विषय - सूची

शासन व्यवस्था और प्रणाली .1

1. मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 1
2. मंत्रिमंडल ने सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति - 2019 को मंजूरी दी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 2
3. राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, पहचानपत्र बना आधार (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 4
4. अयोध्या संपत्ति का विवाद नहीं, आस्था का मामला (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 5
5. 'क्रिकेट में 'लोकपाल' करेगा भ्रष्टाचार को आउट (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 6
6. लोकसभा के साथ होंगे आंध्र, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 7
7. अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता टीम के अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला की पहली प्रतिक्रिया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 9
8. सुप्रीम कोर्ट 10 फीसद आर्थिक आरक्षण का मामला संविधान पीठ को भेजने पर करेगा विचार (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 9
9. हिस्सेदारी का सवाल और रोस्टर सिस्टम (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 10
10. आर्थिक आरक्षण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, संविधान की मूल संरचना या 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 14
11. सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सकेंगी शत्रु संपत्तियां (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)..... 15

12. *जस्टिस पीसी घोष हो सकते हैं देश के पहले लोकपाल (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)* 16

13. *राजनीति के स्तर में गिरावट का सिलसिला (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)* 17

14. *पिनाकी घोष पहले लोकपाल (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)*..... 19

15. Election commission applied code of ethics for social media- *चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के लिए 'कोड ऑफ एथिक्स' लागू किया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)*..... 20

16. Implications of Moral code of conduct- *आदर्श चुनाव आचार संहिता के निहितार्थ (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)..... 21

17. Supreme Court refused to intervene on ordinance for reservation in Central Universities- *केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance) 24

18. Question mark over increasing wealth of elected representatives- *जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संपत्ति पर सवाल (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)..... 25

19. Appointment of Lokpal members- *लोकपाल अध्यक्ष ने लोकपाल सदस्यों को पद की शपथ दिलाई (*Relevant for GS Prelims; Polity) 28

अंतरराष्ट्रीय संगठन 28

1. OIC *की बैठक में बोलीं सुषमा स्वराज, आतंकवाद को पनाह और फंडिंग बंद हो (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संगठन)*..... 28

2. *मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की इस अपील को संयुक्त राष्ट्र ने ठुकराया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संगठन)*..... 30

3. *केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाइस समझौता, वियना समझौता तथा लोकार्नो समझौते को मंजूरी दी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संगठन)* ... 32

4. *ओआइसी में भारत की भागीदारी का महत्व (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र*-II *के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संगठन)* 32
5. Italy joins China's OBOR initiative- *चीन के ओबीओआर अभियान से जुड़ा इटली (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) 37
6. Golan heights recognized by Trump as Israeli territory- *गोलान पहाड़ियों पर मान्यता को लेकर विवाद (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR).... 37
7. Indo-Sri Lanka joint excercise- Mitra Shakti-VI- *भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास - मित्र शक्ति*-VI (Relevant for GS Prelims; IOBR) 38
8. America's THAAD system in place of Russia's S-400 system- *रूस के एस*-400 *की जगह अमेरिक का थाड! (*Relevant for GS Prelims; IOBR) 39
9. Sharda mandir corridor- PoK *में अभी नहीं खुलेगा शारदा मंदिर कॉरिडोर (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR) 39

अर्थशास्त्र.....40

1. *प्रधानमंत्री जी-वन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र* III *के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)* 40
2. *कैबिनेट ने आधार एवं अन्य कानूनों के प्रख्यापन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को मंजूरी दी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र*-III *के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र).....* 43
3. *मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति,* 2019 *को मंजूरी दी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र*-III *के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)* 45
4. *क्रिकेट सट्टेबाज संजीव चावला का होगा भारत प्रत्यर्पण (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-* III *के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)* 47
5. *आइएलएंडएफएस के कर्ज में ही गड़बड़झाला (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र*-III *के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र).....* 48
6. *सरकार ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्धन के जरिए चीनी क्षेत्र और गन्ना किसानों की सहायता के उपाय किए (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र*-III *के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र).....* 50
7. *काली जमा योजनाओं के कारोबार पर पाबंदी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र*-III *के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र).....* 52

8. *प्राइवेट हुआ आइडीबीआइ बैंक (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)* 56

9. *सबको बिजली का लक्ष्य हासिल (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)*..... 56

10. Nirav modi arrested in London in PNB Scam: *भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार, नहीं मिली जमानत, 29 को अगली सुनवाई (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)*..... 59

11. Nirav Modi, prime accussed in PNB scam, arrested in London- *पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपित नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)*..... 60

12. India worried due to rising trade deficit with China- *चीन के साथ लगातार बढ़ते व्यापार घाटे से भारत चिंतित (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)*..... 61

13. NSSO Report on level of employment- *सरकारी रिपोर्ट से हुआ खुलासा, छह साल में दो करोड़ लोग हुए बेरोजगार (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)* 62

14. GST council *34*th meeting outcomes- *जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक आयोजित, रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी दर लागू करने के बारे में निर्णय लिए गए (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)*..... 62

15. Foreign investors required to pay more tax - *विदेशी निवेशकों को देना होगा ज्यादा टैक्स (*Relevant for GS Prelims & GS Mains Paper III; Economics) ... 65

16. How serious is the problem of unemployment in India- *रोजगार का सवाल कितना गंभीर (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)..... 66

17. India and US will jointly stop tax evasion by MNCs- *भारत-यूएस मिलकर रोकेंगे एमएनसी की टैक्स चोरी (*Relevant for GS Prelims; Economics)..... 68

18. Awareness on patents within India- *पेटेंट के प्रति भारत में बढ़ती जागरूकता (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)..... 69

19. Increasing difficulties faced by airlines- *विमानन कारोबार की बढ़ती मुश्किलें (*Relevant for GS Prelims and GS Mains Paper-III; Economics)..... 73

20. Analysis of economic schemes announced before elections-*चुनाव के दौरान घोषित आर्थिक सहायता योजनाओं का विश्लेषण (*Relevant for GS Prelims and GS Mains Paper-III; Economics) 77

पर्यावरण एवं जैव विविधता..80

1. *पराली जलाना है दिल्ली में वायु प्रदूषण की प्रमुख वजह (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)*..... 80
2. *गुरुग्राम है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, टॉप 10 में सात शहर भारत से (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)*..... 80
3. *जाम और प्रदूषण की दोहरी चुनौती (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)*..... 81
4. *ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता प्रकोप (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)*..... 85
5. *दुनिया में हर चार में से एक मौत प्रदूषण से (प्रारंभिक परीक्षा लता मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)*..... 87
6. NGT said Air Pollution is a serious crime- *एनजीटी ने ध्वनि प्रदूषण को गंभीर अपराध बताया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)*..... 88
7. Lake in Chile vanishes due to climate change- *गायब हुई चिली की एक झील (*Relevant for GS Prelims and Mains paper III; Environment)..... 89
8. Carelessness over rising temperatures- *बढ़ते तापमान पर लापरवाही (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Environment)..... 91
9. Reduction in water accumulation in Country's 91 major reservoirs- *देश के* 91 *प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में दो प्रतिशत की कमी (*Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Environment)..... 93

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 95

1. *बोन मैरो ट्रांसप्लांट से एड्स के खात्मे की आस (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)*.....95
2. *चीन लगाने जा रहा है अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट, धरती तक ऐसे पहुंचेगी बिजली (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)* 97
3. *एयर स्ट्राइक में इसरो की भूमिका (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)*.....97
4. *हाइड्रोजन से चलेंगी बसें! (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)*.....101
5. *कैंसर के इलाज की 390 गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमत 87 प्रतिशत तक घटी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)*.....103
6. *वर्ल्ड वाइड वेब की 30वीं सालगिरह (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)*.....104
7. *डाटा सुरक्षा में चीन से काफी पीछे भारत (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)*.....105
8. What is Mission Shakti- *मिशन शक्ति क्या है?* (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology).....109
9. Russia is building its own internet-*रूस बना रहा अपना इंटरनेट (*Relevant for GS Prelims; Science & Technology).....111

सामाजिक मुद्दे.....113

1. *सोशल मीडिया का खतरनाक इस्तेमाल (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-I के लिए प्रासंगिक; सामाजिक मुद्दे)*.....113
2. International Women's Day 2019: *क्या है महिला दिवस का इतिहास? जानिए कौन सी बीमारी मर्दों से ज्यादा औरतों को शिकार बनाती है (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-I के लिए प्रासंगिक; सामाजिक मुद्दे)*.....115

आंतरिक सुरक्षा.....116

1. *इथोपिया हादसे के बाद भारत ने भी बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान पर लगाई रोक (प्रारंभिक परीक्षा प्रथम मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III; आंतरिक सुरक्षा)* 116
2. *भारत समेत दुनिया के कई देशों में बोइंग 737 विमानों पर रोक, एयरस्पेस भी बंद (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)*..... 117
3. *राफेल विमान के दस्तावेज लीक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा (प्रारंभिक परीक्षा लता मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)*..... 118
4. *विमान पर सवालिया निशान (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)*..... 119
5. Issues raised by Boeing accidents- *बोइंग हादसे से उठते गंभीर सवाल (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)*..... 120
6. Aseemanand acquitted in Samjhauta blast case- *समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में असीमानंद सहित सभी बरी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)*..... 124

अंतरराष्ट्रीय संबंध.....126

1. *फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)*..... 126
2. *रूस ने आइएनएफ हथियार समझौता निलंबित किया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)*..... 127
3. *मजबूत हो रही पश्चिम एशिया संबंधी नीति (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)*..... 128
4. *एफ-16 के दुरुपयोग की रिपोर्ट को गंभीरता से देख रहा है अमेरिका (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)*..... 132
5. *बालाकोट के बाद की चुनौतियां (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)*..... 133

6. अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट 891 अरब डॉलर पर पहुंचा (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध).. 136

7. चीनी अड़ंगे से फिर बचा मसूद अजहर (प्रारंभिक परीक्षा लता मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध).. 137

8. आतंक के अंकुश पर चीन का अड़ंगा (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध).. 138

9. India not to participate in belt and road forum- बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार करेगा भारत (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध).. 142

10. India-Sri Lanka joint millitary exercise- भारत - श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति - 6 का पूर्वावलोकन (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध).. 143

विविध विषय 144

1. प्रधानमंत्री कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करेंगे (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक).. 144

2. नाइजीरिया के राष्ट्रपति बुहारी ने फिर जीता चुनाव (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक).. 144

3. भारत-बांग्लादेश के संयुक्त सैन्य अभ्यास-'सम्प्रीति-2019' (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक).. 145

4. भारतवंशी मेधा बनीं अमेरिकी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक) 146

5. प्रयागराज कुंभ मेला 2019 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक).. 146

6. Forbes List 2019: भारत में मुकेश अंबानी, तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने अमेजन सीईओ जेफ बेजोस (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक).. 147

7. Google ने बच्चों के लिए भारत में लॉन्च किया BOLO ऐप (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक).. 148

8. अमेरिकी मॉडल काइली जेनर बनीं दुनिया की सबसे युवा अरबपति (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक).. 149

9. *इथोपियन एयरलाइंस हादसा, मृतकों में यूएनडीपी सलाहकार शिखा गर्ग समेत चार भारतीय (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)*..... 150

10. *अब जॉब बदलने के साथ पीएफ अकाउंट ट्रांसफर का झंझट नहीं (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)* 150

11. *भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागाह*-2019 (*प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)* 151

12. *मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास फुटओवर ब्रिज गिरा*, 6 *की मौत*, 30 *से अधिक घायल (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)* 152

13. *नहीं रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, लंबी बीमारी के बाद* 63 *साल की उम्र में हुआ निधन (केवल जानकारी के लिए पढ़ें)*..... 153

14. *न्यूजीलैंड मस्जिद गोलीबारी में मारे गये* 49 *लोगों में केरल की महिला भी शामिल (केवल जानकारी के लिए पढ़ें)*..... 154

15. Sawant to be next Goa CM, there will be two deputy CMs- *सावंत होंगे गोवा के नए सीएम, दो डिप्टी सीएम बनेंगे (केवल जानकारी के लिए पढ़ें)* 155

16. Number of Political parties in India-*देश में अब हैं कुल* 2293 *राजनीतिक दल (केवल जानकारी के लिए पढ़ें)* 155

17. 2 adoloscent girls forcefully converted into Islam in Pakistan- *पाकिस्तान में दो हिंदू किशोरियों को अगवा कर जबरन इस्लाम धर्म कुबूल कराया (*Read only for understanding) 157

18. Chinook helicopter added to Indian Airforce- *भारतीय वायुसेना में चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल (*Relevant for GS Prelims)..... 158

19. Naresh Goyal resigned from Jet Airways board of directors- *जेट एयरवेज के चेरयमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी ने कंपनी के निदेशक मंडल से दिया इस्तीफा (*Relevant for GS Prelims) 159

20. Introduction of Chinook in Air force- *वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ 'चिनूक')*Relevamt for GS Prelims) 160

21. Air India withdrew boarding passes with photo of PM-*विवाद के बाद एयर इंडिया ने पीएम की तस्वीर वाले बोर्डिंग पास वापस लिए (जानकारी के लिए पढ़ें)*..... 161

22. Coffee Board launched blockchain based e-market place- *कॉफी बोर्ड ने ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्किटप्लेस का आरंभ किया* (Relevant for GS Prelims) 162

23. Facebook's candidate connect feature launched on account of elections- *चुनाव के लिए फेसबुक ने लांच किया 'कैंडीडेट कनेक्ट' फीचर* (Read only for understanding) 163

24. Five Indian varieties of coffee received GI tag- *कॉफी की पांच देसी किस्मों को मिला जीआइ टैग* (Relevant for GS Prelims) 164

शासन व्यवस्था और प्रणाली

1. मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) की स्थापना के लिए एक विधेयक की घोषणा को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त व्यवस्था निर्मित करना है।

लाभ

इस संस्थागत मध्यस्थता के लाभ सरकार, उसकी संस्था और परिवाद के पक्षकारों को प्राप्त होंगे। विशेषज्ञता की गुणवत्ता और आने वाली लागत के लिहाज से यह केंद्र जनता और सरकारी संस्थानों के लिए फायदेमंद साबित होगा और भारत के संस्थागत मध्यस्थता की धुरी बनने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

उद्देश्य

एनडीआईएसी को जिन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया जाएगा वो हैं -

1. अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता संचालित करने के एक प्रमुख संस्थान के तौर पर खुद को विकसित करने के लिए लक्षित सुधार लाना।
2. समाधान मध्यस्थता और मध्यस्थता संबंधी कार्यवाहियों के लिए सुविधाएं और प्रशासकीय सहयोग प्रदान करना।
3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मान्यता प्राप्त पंचों, मध्यस्थों व सुलहकारों या सर्वेक्षकों और जांचकर्ताओं जैसे विशेषज्ञों के पैनल बनाकर रखना।
4. बड़े ही पेशेवर अंदाज में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थताओं और सुलहों के संचालन को सुगम बनाना।
5. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता और सुलह के संचालन के लिए कम खर्चीली और समयोचित सेवाएं प्रदान करना।
6. वैकल्पिक विवाद समाधान और संबंधित मामलों के क्षेत्र में अध्ययन को प्रोत्साहित करना और झगड़ों के निपटारे की व्यवस्था में सुधारों को प्रोत्साहित करना।
7. वैकल्पिक विवाद समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समाजों, संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना।

एनडीआईएसी की स्थापना को सुगम करने की दिशा में इस विधेयक में, वैकल्पिक विवाद समाधान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीएडीआर) के दायित्वों को केंद्र सरकार में स्थानांतरित और निहित करने की परिकल्पना की गई है। केंद्र सरकार बाद में ये दायित्व एनडीआईएसी में निहित करेगी।

मुख्य विशेषताएं

• नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हों या फिर ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों जिन्हें मध्यस्थता कानून के प्रशासन या प्रबंधन या संचालन में अनुभव और ज्ञान प्राप्त हो। उनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।

• दो पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य इसमें होंगे जिन्हें उन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से लिया जाएगा जिन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, संस्थागत मध्यस्थता का ठोस ज्ञान और अनुभव हो।

• साथ ही, वाणिज्य और उद्योग के किसी मान्यता प्राप्त निकाय के एक प्रतिनिधि को नियमित आवर्तन के आधार पर अंशकालिक सदस्य के तौर पर चुना जाएगा।

• विधि मामलों के विभाग के सचिव, व्यय विभाग द्वारा नामित वित्तीय सलाहकार और एनडीआईएसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे।

(Adapted from PIB)

2. मंत्रिमंडल ने सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति -2019 को मंजूरी दी प्रारंभिक परीक्षा) -तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्रII के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था(

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति -2019 को मंजूरी दे दी ताकि भारत कोएक सॉफ्टवेयर उत्पाद राष्ट्र के तौर पर विकसित किया जा सके।

प्रमुख प्रभाव

सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र को इसके नवाचारों, बौद्धिक संपदा सृजन और (आईपी) उत्पादकता में विशाल मूल्य संवर्धन वृद्धि से परिभाषित किया जाता है। इसमें इस क्षेत्र के राजस्व और निर्यातों को महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने, मूलभूत रोजगार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में उद्यम संबंधी अवसरों को पैदा करने, और डिजिटल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की संभावना है जिससे समावेशी और स्थायी विकास में बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त होगा।

इसमें शामिल व्यय

इस नीति के अंतर्गत सोची गई योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अगले सात वर्षों के लिए 1500 करोड़ रुपये के व्यय को शुरुआती तौर पर शामिल किया गया है। इन 1500 करोड़ रुपयों को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास निधि और अनुसंधान एवं नवाचार निधि में (एसपीडीएफ) विभाजित किया जाएगा।

क्रियान्वयन रणनीति और लक्ष्य

इस नीति के अंदर जिस रूपरेखा की परिकल्पना की गई है उससे देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, पहलों, परियोजनाओं और तौरतरीकों के सूत्रीकरण की - राह बनेगी।

सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति -एनपीएसपी)2019) के सपने को हासिल करने के लिए इस नीति में निम्नलिखित पांच मिशन रखे गए हैं -

1. बौद्धिक संपदा से संचालित होने वाले एक स्थायी भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद (आईपी) उद्योग के निर्माण को प्रोत्साहित करना जिससे2025 तक वैश्विक सॉफ्टवेयर उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी में दस गुना बढ़ोतरी तक पहुंचा जा सके।

2. सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग में 10,000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को पोषित करना जिसमें टीयर-2 और टीयर-3 नगरों व शहरों में ऐसे 1000 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं और 2025 तक सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर 35 लाख लोगों के लिए रोजगार निर्मित करना।

3. सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग के लिए एक प्रतिभा समूह का निर्माण करना। इसके लिए ये किया जाएगा (क) -1,000,000 सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को अतिरिक्त कुशलताओं से सुसज्जित करना (ख)100,000 स्कूल और कॉलेज विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, और (ग)10,000 विशेषीकृत पेशेवरों का निर्माण करना जो नेतृत्व प्रदान कर सकें।

4. एकीकृत आईसीटी आधारभूत ढांचे, मार्केटिंग, इनक्यूबेशन, अनुसंधान व विकास परीक्षण / मंच और परामर्श सहयोग वाले20 क्षेत्रवार व रणनीतिक रूप से स्थित सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास क्लस्टर विकसित करते हुए एक क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना।

5.इस नीति की योजना और कार्यक्रमों पर निगरानी रखने और उन्हें विकसित करने की दिशा में राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें सरकार, शिक्षा समुदाय और उद्योग की भागीदारी होगी।

(Adapted from PIB)

3. राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, पहचानपत्र बना आधार (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

बैंक खाता खोलने और मोबाइल सिम लेने के लिए आधार को पहचान पत्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल स्वैच्छिक होगा यानी बैंक या मोबाइल कंपनियां आधार देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ी?

संबंधित बिल संसद में पास नहीं हो सका था। लोकसभा ने तो बिल को मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सका था। इसके बाद पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी।

अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी से आधार कानून के दो प्रावधानों में भी संशोधन हो गया है। इसमें आधार के इस्तेमाल के लिए तय मानकों और निजता के उल्लंघन पर सख्त पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है।

(Adapted from Jagran.com)

4. अयोध्या संपत्ति का विवाद नहीं, आस्था का मामला (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

रामलला को मध्यस्थता स्वीकार नहीं

रामलला के वकील ने कहा, राम जन्मस्थान दूसरी जगह नहीं हो सकता। मध्यस्थता से मसला तय नहीं हो सकता। अगर मस्जिद दूसरी जगह बनवानी हो तो वह पैसा एकत्र करके बनवा देंगे। उप्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा, मामला मध्यस्थता के लिए भेजने का नहीं लगता।

बाबर ने क्या किया उस पर हमारा नियंत्रण नहीं

हरिशंकर जैन ने कहा,मुस्लिम आक्रांता बाबर ने राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। जस्टिस बोबडे ने कहा कि उन्हें इतिहास पता है। इतिहास पर उनका नियंत्रण नहीं है। बाबर ने क्या किया इस पर उनका नियंत्रण नहीं है, वह मौजूदा हालात में विवाद हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन मुस्लिम पक्ष ने फिर किया समर्थन

मुस्लिम पक्ष के वकील ने मामला सुलह के लिए मध्यस्थता को भेजे जाने का समर्थन किया। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट को मध्यस्थता की संभावित शर्तें तय करने की जरूरत नहीं है। निर्मोही अखाड़ा के वकील ने भी फिर मध्यस्थता का समर्थन किया।

भूमि अधिग्रहण ने मामला राष्ट्रीय बनाया

सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, अयोध्या भूमि अधिग्रहण के बाद मामला राष्ट्रीय हो गया है। सरकार अधिगृहित जमीन किसी को भी दे सकती है। नरसिम्हा राव सरकार ने वादा किया था कि अगर वहां मंदिर निकला तो जमीन हिंदुओं को दे दी जाएगी। एएसआइ रिपोर्ट में मंदिर पाए जाने की बात है।

कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पूरी तरह गोपनीय रहनी चाहिए। मीडिया को मध्यस्थता प्रक्रिया की कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इसे मीडिया को चुप कराना नहीं माना जाए। धवन ने कहा कि गोपनीयता भंग करने को न्यायालय की अवमानना माना जाए। सुब्राण्यम स्वामी और राम भक्तों की ओर से दाखिल रिट याचिकाओं पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी या छोटी पीठ, इस पर कोर्ट बाद में फैसला देगा।

5. क्रिकेट में 'लोकपाल' करेगा भ्रष्टाचार को आउट (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

क्रिकेट में लोकपाल' का गठन

क्रिकेट को कलंकित करने वाले भ्रष्टाचारियों पर लगाम के लिए बीसीसीआइ में 'लोकपाल' का गठन हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डीके जैन को बीसीसीआइ का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। बीसीसीआइ के संविधान के अनुच्छेद-40 के मुताबिक ही पूर्व न्यायाधीश को बीसीसीआइ का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है।

लोकपाल के समक्ष चुनौतियां

नए लोकपाल के समक्ष चुनौतियों की कमी नहीं होगी। उनके लिए लोकपाल का ताज कांटों से कम नहीं होगा। शिकायतों का पिटारा जब खुलेगा, तब उनको एहसास होगा कि संस्था में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। मालूम हो कि भारत में क्रिकेट से संबद्ध बीसीसीआइ एक स्वतंत्र खेल संस्था है। पर दुनिया के सभी खेल संघ संस्थाओं के मुकाबले यह ज्यादा धनी है, क्योंकि भारत में दूसरे खेलों के मुकाबले क्रिकेट सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्रिकेट के घरेलू टूर्नामेंट के लिए भी प्रायोजकों की लाइन लग जाती है, जबकि अन्य खेल मुंह ताकते रहते हैं।

लोकपाल के उद्देश्य

1. दरअसल लोकपाल के गठन का मुख्य मकसद बीसीसीआइ में फैले भ्रष्टाचार को कम करना होगा। विगत कुछ वर्षो से संस्था में घूसखोरी के चर्चे आम हो गए थे।

2. इससे क्रिकेट प्रेमियों में नाराजगी थी। आइपीएल के दौरान संस्था बेहताशा पैसा कमाती है, तब संस्था से जुड़े लोगों की नजर उन्हीं पैसों पर होती थी।

3. इसके अलावा टीम चयन के दौरान अपात्र खिलाड़ियों से घूस लेकर टीम में जगह देने की खबरें भी सबसे ज्यादा परेशान करती रही हैं। इस बाबत कई खिलाड़ियों ने खुलकर अपनी शिकायतें बीसीसीआइ में पूर्व में दर्ज कराई हैं, लेकिन उनकी सुनवाई की जगह उलटे उन्हें ही प्रताड़ित किया गया।

लेकिन लोकपाल के नियुक्त होने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे कृत्यों पर लगाम लग सकेगी।

प्रशासकों की समिति

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोडगे को प्रशासकों की समिति के तीसरे सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व सीएजी विनोद राय हैं। प्रशासकों की समिति खिलाड़ियों के चुनाव और संस्था में नियुक्तियों पर पैनी नजर रखेगी।

पारदर्शिता

साथ ही बीसीसीआइ में अब कोई काम पर्दे के पीछे नहीं, बल्कि पारदर्शी तरीके से होगा। पारदर्शिता को लेकर ही विगत काफी समय से कई मामले उठ रहे थे। आरापे लगते रहे हैं कि किसी भी टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों का चयन सिफारिशों के आधार पर किया जाता था जिसमें पात्र खिलाड़ी मुंह ताकते रह जाते थे। लेकिन अब शायद सभी के साथ न्याय हो सकेगा और सभी को सामान्य आधार पर जुड़ने का मौका मिलेगा। बीसीसीआइ में घूसखोरी और बेवजह पदाधिकारियों का दखल नहीं होगा। इनके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। सभी फैसले 'सीओए' समिति की निगरानी में हुआ करेंगे। क्रिकेट में अब व्याप्त कलंक की सफाई कर नई सुबह का आगाज होने वाला है।

(Adapted from Jagran.com)

6. लोकसभा के साथ होंगे आंध, अरुणाचल, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

चुनाव आयोग ने 17वीं लोकसभा के गठन के लिये सात चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले आम चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हुये बताया कि सातों चरण के मतदान के बाद 23 मई को मतगणना होगी। उल्लेखनीय है कि 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव नौ चरण में कराया गया था।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव

अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के साथ नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग किये जाने के बाद मई से पहले राज्य में चुनाव कराना अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी जटिल हालात को देखते हुये राज्य में फिलहाल लोकसभा सीटों पर ही चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का छह साल का कार्यकाल 16 मार्च 2021 तक निर्धारित था, लेकिन पिछले साल राज्य में सत्तारूढ़ पीडीपी-भाजपा गठबंधन टूटने के कारण विधानसभा भंग कर दी गयी थी। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष होता है।

चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित किये जाने के साथी ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी जो मतदाताओं के 'फैसले' को प्रभावित कर सके।

अरोड़ा ने लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव के लिये देश में लगभग दस लाख मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। पिछले चुनाव में मतदान केन्द्रों की संख्या नौ लाख थी।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इस बार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वीवीपेट युक्त ईवीएम का इस्तेमाल किया जायेगा। इससे पहले प्रत्येक सीट के किसी एक मतदान केन्द्र पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाता रहा है। वीवीपैट की मदद से मतदाता को उसके मतदान की पर्ची देखने को मिलती है, जिससे वह अपने मत की पुष्टि कर सकता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान करनेवालों की संख्या लगभग 90 करोड़ होगी। उन्होंने आगामी चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार बताया। कुल मतदाताओं में 1.50 करोड़ मतदाता 18-19 साल उम्र के होंगे।

इस चुनाव में मतदाताओं की संख्या लगभग 90 करोड़ होगी, जो 2014 के 81.45 करोड़ से अधिक है। अरोड़ा ने कहा कि चुनाव के लिए लगभग 10 लाख मतदान केंद्र होंगे, जो 2014 से एक लाख अधिक है। चुनाव के लिए सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ कुल 17.4 लाख वीवीपैट इस्तेमाल किए जाएंगे।

(Adapted from NDTV.Khabar.com)

7. अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता टीम के अध्यक्ष जस्टिस खलीफुल्ला की पहली प्रतिक्रिया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

अयोध्या में रामजन्मभूमि जमीन विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता को मंजूरी दे दी और इसके लिए तीन मध्यस्थों का नाम तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफ।एम।आई। कलीफुल्ला को अयोध्या विवाद की मध्यस्थता के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मुद्दे को सौहार्दपूर्वक सुलझाने के लिए समिति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। कलीफुल्ला ने कहा, "मैं इस समय बस इतना कह सकता हूं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने समिति गठित की है तो हम विवाद को सौहार्दपूर्वक सुलझाने की हर कोशिश करेंगे।"

इस समिति में आर्ट ऑफ लीविंग के श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू के अलावा कलीफुल्ला शामिल हैं। समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सदस्यों को शामिल कर सकती है। समिति का सदस्य नियुक्त किए जाने के बाद श्री श्री ने कहा, "हर किसी का सम्मान करने, सपनों को साकार करने, लंबे समय से लंबित विवाद को खुशी-खुशी समाप्त करने और समाज में सदभाव बनाए रखने के लिए हम सभी इन लक्ष्यों की ओर एकसाथ आगे बढ़े।"

इससे पहले तीन मध्यस्थों में से एक श्री श्री रविशंकर ने कहा था कि उन्हें सबका सम्मान करते हुए समाज में समरसता कायम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- सबका सम्मान करना, सपनों को साकार करना, सदियों के संघर्ष का सुखांत करना और समाज में समरसता बनाए रखना- इस लक्ष्य की ओर सबको चलना है।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

8. सुप्रीम कोर्ट 10 फीसद आर्थिक आरक्षण का मामला संविधान पीठ को भेजने पर करेगा विचार (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

संविधान पीठ को भेजने पर करेगा विचार

सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसद आरक्षण देने के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को विचार के लिए संविधान पीठ को भेजे जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। हालांकि कोर्ट ने कोई भी अंतरिम आदेश जारी करने से इन्कार करते हुए मामले को 28 मार्च को सुनवाई पर लगाए जाने का आदेश दिया।

ये आदेश तीन सदस्यीय पीठ ने 10 फीसद आरक्षण को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिये।

किस आधार पर 10 फीसद आरक्षण को चुनौती दी जा रही है

सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कोर्ट से कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसद आरक्षण देने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संविधानपीठ फैसला दे चुकी है जिसमें कहा गया है कि आरक्षण की 50 फीसद की सीमा पार नहीं होनी चाहिए। आरक्षण की 50 फीसद की सीमा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, लेकिन इस 10 फीसद आरक्षण से 50 फीसद की सीमा पार हो रही है।

पृष्ठभूमि

संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसद आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। केंद्र सहित कई राज्यों ने इसे लागू भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं हैं जिनमें आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती दी गई है।

याचिकाओं में संविधान संशोधन कानून 103 की वैधानिकता को मुख्य तौर पर आरक्षण की 50 फीसद की सीलिंग पार होने और आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक होने के आधार पर चुनौती दी गई है। याचिकाओं में इंद्रा साहनी के 1992 के फैसले को आधार बनाया गया है।

(Adapted from Jagran.com)

9. हिस्सेदारी का सवाल और रोस्टर सिस्टम (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

पिछले दिनों विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करनेवाले 200 प्वाइंट रोस्टर बनाम 13 प्वाइंट रोस्टर का विवाद अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में छाया रहा। दरअसल अप्रैल 2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो सदस्यों वाली एक पीठ ने विश्वविद्यालय को इकाई मानकर आरक्षण की जगह विभागवार आरक्षण का फैसला सुनाया था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस फैसले ने विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों में उस समय अपनाए जा रहे 200 प्वाइंट रोस्टर की जगह 13 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था कर दी। इस आदेश के तहत यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पांच मार्च 2018 को सभी विश्वविद्यालयों को चिट्ठी लिखकर विभागवार आरक्षण को लागू करने का निर्देश दे दिया। इसके बाद देश भर में 13 प्वाइंट रोस्टर का व्यापक विरोध शुरू हो गया। इस फैसले से न सिर्फ विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई, बल्कि इसने सामाजिक न्याय के सवाल को एक बार फिर केंद्र में ला दिया। इस 13 प्वाइंट रोस्टर के विरोध में एक साल तक चले आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने दो बार उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, मगर दोनों ही बार उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। आखिरकार रोस्टर के मुद्दे को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते देख केंद्र सरकार बीते सात मार्च को 200 प्वाइंट रोस्टर की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए अध्यादेश लेकर आई।

सामाजिक न्याय का सवाल

भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है 'इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से नहीं रोकेगी।' इस अनुच्छेद की भाषा पर गौर करें, तो इसका मकसद स्पष्ट तौर पर राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्गो का 'प्रतिनिधित्व' सुनिश्चित करना है। प्रतिनिधित्व का सवाल लोकतंत्र को सच्चा और समावेशी बनाने के सवाल से जुड़ा है।

आंबेडकर की चिंता

बाबा साहब भीम राव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में राजनीतिक लोकतंत्र के लिए सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को जरूरी माना था। 25 नवंबर 1949 को दिए गए अपने भाषण में भारत के भविष्य पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा था, '26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के युग में दाखिल होंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे, लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक बनावट के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य को नकारेंगे। हम कब तक अंतर्विरोधों का यह जीवन जीते रहेंगे? हम कब तक अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में सबको समानता देने से इन्कार करते रहेंगे? अगर हम लंबे समय तक ऐसा करते रहे, तो अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही खतरे में डालेंगे।' दरअसल सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का मकसद प्रतिनिधित्व के रास्ते से इसी समानता को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को मजबूत करना है।

विवि में प्रतिनिधित्व का सवाल

हकीकत यह है कि विश्वविद्यालयों में समाज के सभी वर्गो का समुचित प्रतिनिधित्व अभी तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए उच्च शिक्षा को लेकर कराए गए एक सर्वेक्षण से इस बात का खुलासा हुआ कि उच्च शिक्षण संस्थानों में कार्यरत 12,84,000 शिक्षकों में अनुसूचित जाति (एससी) का प्रतिनिधित्व महज 8.6 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रतिनिधित्व महज 2.27 प्रतिशत है। जबकि एससी के लिए 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। विभागवार आरक्षण या 13 प्वाइंट रोस्टर संबंधी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश एससी, एसटी के प्रतिनिधित्व को और कम कर देनेवाला था। इसका सबसे नकारात्मक असर एसटी उम्मीदवारों पर पड़ता। विश्वविद्यालय में नौकरी पाने के लिए उनकी बारी आने में एक सदी से ज्यादा का समय लग जाता।

क्या है 200 प्वाइंट रोस्टर

रोस्टर नौकरियों में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए भरे जानेवाले पदों का क्रम है। सात अप्रैल 2017 को दिए गए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले से पहले विश्वविद्यालयो में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 200 प्वाइंट रोस्टर के तहत आरक्षण की व्यवस्था चल रही थी। यह रोस्टर 2006 में अस्तित्व में आया था। इसके तहत विवि को एक इकाई माना गया था। एक से 200 पद के लिए 49.5 फीसद आरक्षित वर्ग और 50.5 फीसद अनारक्षित या सामान्य वर्ग के हिसाब से भर्ती की व्यवस्था की गई थी। उदाहरण के लिए माना जाए कि छह विभागों में कुल 30 रिक्तियां हों, तो पहली, दूसरी, तीसरी सीट सामान्य, चौथी अन्य पिछड़ा वर्ग, पांचवीं, छठी सामान्य, सातवीं एससी, आठवीं ओबीसी, नौवीं, 10वीं, 11वीं सामान्य, 12वीं ओबीसी, 13वीं सामान्य, 14वीं एसटी, 15वीं एससी, 16वीं ओबीसी, 17वीं, 18वीं सामान्य, 19वीं ओबीसी, 20वीं एससी के क्रम से आवंटित की जाती थी। इसके तहत 28वां पद फिर से अनुसूचित जनजाति को जाता था। इस व्यवस्था के तहत 30 सीटों में सामान्य को 16, ओबीसी को आठ, एससी को चार और एसटी को दो सीटें मिलतीं।

क्या है 13 प्वाइंट रोस्टर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 'विवेकानंद तिवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' के केस में सात अप्रैल 2017 के जस्टिस विक्रम नाथ और दयाशंकर तिवारी की बेंच द्वारा विभागवार आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया गया। विभागवार या विषयवार आरक्षण के विभाग को इकाई माना जाता है और आरक्षण देने के लिए 13 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था को अपनाया जाता है। इस 13 प्वाइंट रोस्टर के तहत रिक्तियों में आरक्षण देने का क्रम इस प्रकार होता है। पहला, दूसरा और तीसरा पद सामान्य वर्ग के लिए। चौथा ओबीसी के लिए, पांचवां और छठा फिर से सामान्य वर्ग के लिए। सातवां पद अनुसूचित जाति के लिए, आठवां पद ओबीसी, नौवां, 10वां, 11वां पद सामान्य वर्ग के लिए, जबकि 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां पद फिर सामान्य वर्ग के लिए और 14वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होता है।

विरोध की वजह

आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। विभागवार या 13 प्वाइंट रोस्टर के तहत आरक्षण की व्यवस्था आरक्षण के इस मूल उद्देश्य के साथ ही खिलवाड़ करने वाला था। इसे ऊपर के उदाहरण से ही समझा जाए, तो अगर छह विभागों में आई रिक्तियों को 13 प्वाइंट रोस्टर से भरा जाता, तो ओबीसी को छह सीटें मिलतीं, मगर एससी और एसटी के खाते में एक भी सीट नहीं जाती। अधिकांश मामलों में ओबीसी को मिलनेवाली सीटों की भी संख्या वास्तव में और कम होती और एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य हो जाता। विभाग को इकाई मानने पर हर आरक्षित वर्ग से एक नियुक्ति के लिए कम से कम 14 रिक्तियां जरूरी है। विभागों के छोटे आकार के कारण यह लगभग नामुमकिन शर्त है। नियुक्ति का एक पूरा चक्र पूरा हो भी जाए, तो भी 37.5 प्रतिशत आरक्षण की ही व्यवस्था होती है, जो संविधान द्वारा तय 49.5 प्रतिशत से कम है। 200 प्वाइंट रोस्टर का फायदा यह है कि अगर किसी विभाग में प्रतिनिधित्व कम रह जाता है, तो उसकी भरपाई दूसरे विभाग से हो जाती है।

निराधार नहीं थीं आशंकाएं

वास्तव में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बाद विश्वविद्यालयों में जो भी भर्तियां निकलीं, उनसे ये आशंकाएं सच साबित हुईं। अप्रैल 2018 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के लिए आईं 52 रिक्तियों रिक्तियों में अनारक्षित के हिस्से में 51 सीटें गईं। यही हाल हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का था, जहां आई 80 रिक्तियों में एक भी सीट आरक्षित नहीं थी। दरअसल पिछले एक साल में विभिन्न संस्थानों में आए रिक्तियों के विज्ञापनों ने 13 प्वाइंट रोस्टर में छिपे अन्याय को उजागर करने का काम किया।

रोस्टर मसले का इतिहास

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के सवाल पर यूपीए सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने दिसंबर 2005 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को चिट्ठी भेजकर विश्वविद्यालयों में आरक्षण के प्रभावशाली क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस पर यूजीसी ने प्रोफेसर रावसाहब काले की अध्यक्षता में आरक्षण को लेकर एक फॉमरूला बनाने के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। काले समिति ने डीओपीटी के दो जुलाई 1997 के दिशानिर्देश को, जो कि उच्चतम न्यायालय के सब्बरवाल फैसले के आधार पर तैयार हुआ था, आधार मानते हुए 200 प्वाइंट का रोस्टर बनाया। इसमें किसी विश्वविद्यालय के सभी विभाग में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का तीन स्तर पर कैडर बनाने की सिफारिश की गई। समिति कमेटी ने विभाग की जगह विश्वविद्यालय, कॉलेज को इकाई मानकर आरक्षण लागू करने की सिफारिश की।

आखिर अध्यादेश लाई सरकार

राजनीतिक विरोध को देखते हुए 11 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह वादा किया था कि 13 प्वाइंट रोस्टर को लागू नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और जरूरत पड़ने पर अध्यादेश लाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 फरवरी को पुनर्विचार याचिका को खारिज कर देने के बाद केंद्र सरकार ने 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल करने के लिए ही आखिरकार अध्यादेश लाने का फैसला किया।

(Adapted from Jagran.com)

10. आर्थिक आरक्षण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, संविधान की मूल संरचना या 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि संशोधनों ने संविधान की मूल संरचना या सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया है। इंद्रा साहनी मामले में, और यह कि आरक्षण पर पचास प्रतिशत की सीमा यह केवल अनुच्छेद 15 (4), 15 (5) और 16 (4) के तहत किए गए आरक्षण पर लागू होता है और अनुच्छेद 15 (6) पर लागू नहीं होता है। सरकार ने कहा कि यह कदम आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की सिफारिशों के बाद किया गया था, इसके अध्यक्षता मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) एस।आर। सिन्हा थे। दरसअल संवैधानिक (103 वां संशोधन) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है। गौरतलब है कि सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर दिए 10 फीसदी आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजकर न्यायिक परीक्षण करने पर अगली तारीख को विचार करेंगे। ये तय करेंगे की इसे संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को करेगा सुनवाई।

जेईई मेन परीक्षा में आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स को मिलेगा आरक्षण

आपको बता दें कि सवर्ण जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था लेकिन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से इंद्रा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 50%की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है। इससे पहले इसी मामले में यूथ फ़ॉर इक्वलिटी, जीवन कुमार, विपिन कुमार और पवन कुमार व तहसीन पूनावाला आदि की याचिकाओं सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है। अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगा।

(Adapted from khabar.ndtv.com)

11. सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल हो सकेंगी शत्रु संपत्तियां (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

शत्रु संपत्ति क्या है?

केंद्र सरकार ने राज्यों को कुछ शत्रु संपत्तियों के सार्वजनिक उपयोग की अनुमति दे दी है। शत्रु संपत्ति वह संपत्ति है जिसे बंटवारे के समय लोग छोड़कर पाकिस्तान और 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद छोड़कर चीन चले गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि शत्रु संपत्तियों में पाकिस्तान की नागरिकता लेने वाले लोगों की 9,280 संपत्तियां और चीन जाने वाले लोगों की 126 संपत्तियां शामिल हैं। पाकिस्तान जाने वाले लोगों की संपत्तियों में से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 4,991 संपत्तियां हैं। इसके बाद 2,735 शत्रु संपत्ति पश्चिम बंगाल और 487 संपत्ति दिल्ली में है। जबकि, चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई शत्रु संपत्ति सबसे ज्यादा मेघायल में 57, पश्चिम बंगाल में 29 और असम में सात है।

अधिकारियों ने बताया कि यह पहल ऐसे समय हुई है, जबकि केंद्र सरकार लगभग एक लाख करोड़ रुपये की 9,400 से ज्यादा शत्रु संपत्तियों और तीन हजार करोड़ रुपये के शत्रु शेयर बेचने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्रलय द्वारा जारी अध्यादेश के मुताबिक राज्य सरकारों को शत्रु संपत्तियों के सार्वजनिक इस्तेमाल की अनुमति देने के लिए शत्रु संपत्ति आदेश, 2018 के दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है।

शत्रु संपत्ति कितनी है?

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने पिछले साल राज्यसभा को बताया था कि देश में कुल एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की शत्रु संपत्तियां हैं। तीन हजार करोड़ रुपये के शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए मूल्य निर्धारण हेतु केंद्र सरकार ने पिछले महीने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। 996 कंपनियों में 20 हजार से ज्यादा लोगों के साढ़े छह करोड़ से ज्यादा शत्रु शेयर हैं। शत्रु संपत्ति कानून 1968 में बनाया गया था, जिसके जरिए शत्रु संपत्तियों का नियमन होता है।

(Adapted from Jagran.com)

12. जस्टिस पीसी घोष हो सकते हैं देश के पहले लोकपाल (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

जस्टिस घोष का परिचय

1952 में जन्मे जस्टिस पीसी घोष (पिनाकी चंद्र घोष) पूर्व जस्टिस शंभू चंद्र घोष के बेटे हैं। 1997 में वे कलकत्ता हाईकोर्ट में जज बने। दिसंबर 2012 में वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 8 मार्च 2013 में वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रोन्नत हुए और 27 मई 2017 को वह सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए।

अन्ना हजारे आंदोलन से उठी थी मांग

केंद्र सरकार के फैसले का सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने स्वागत किया है और इसे 48 साल की जनता की लड़ाई का नतीजा बताया है। राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने कई आंदोलन और भूख हड़तालें की

थीं। वह लोकपाल की नियुक्ति न किए जाने से नाराज होकर अहमदनगर स्थित अपने गांव रालेगढ़सिद्धि में इसी फरवरी-मार्च में भूख हड़ताल कर चुके हैं।

(Adapted from Jagran.com)

13. राजनीति के स्तर में गिरावट का सिलसिला (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश का आत्मविश्वास बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर भारत को आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए इतना व्यापक अंतरराष्ट्रीय समर्थन पहले कभी नहीं मिला था। देश के हर स्थान पर सेना को और एक-दूसरे को बधाइयां दी गईं। हर चेहरे पर प्रसन्नता व्याप्त थी। हालांकि क्षुद्र स्वार्थवश कुछ गिने-चुने राजनेता पक्ष-विपक्ष के ऊपर उठ नहीं पाए। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने न केवल वायुसेना के पायलटों को बधाई दी, जो सर्वथा उचित था, लेकिन साथ ही यह उनकी संकुचित मानसिकता की सीमाओं को भी स्पष्ट कर गया। कई अन्य उदाहरण भी हैं जो राजनीति के हल्केपन और नासमझी के उदाहरण ही माने जाएंगे। ऐसे अवसरों पर राष्ट्र की मन:स्थिति सामान्य नागरिक ही बिना लागलपेट के व्यक्त करते हैं। उनके विवेचन सदैव ही तर्कसंगत पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें पूर्वाग्रह शामिल नहीं होते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तथा निर्णय लेने की क्षमता की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई। इंदिरा गांधी को याद किया गया, उनके तथा उस समय के पक्ष-विपक्ष के राजनेताओं के बड़प्पन तथा इस समय कुछ लोगों की क्षुद्रता को भी गांव-चौपालों में विश्लेषित किया गया। लोगों ने 'नोट' किया कि नरेंद्र मोदी के विरोधी इस अवसर पर भी उनकी प्रशंसा नहीं कर पाए। उन्हें बधाई नहीं दे पाए और इससे वे भारतीय राजनीति में 1971 के बाद आई गिरावट को अनजाने ही लोगों के समक्ष उजागर कर गए। जनता ने इसे समझा है।

1971 में हर राजनीतिक दल तथा छोटे-बड़े सभी नेताओं ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दिल खोलकर सराहना की थी। उस समय हर दल के पास परिपक्व नेतृत्व था, स्वतंत्रता संग्राम में तपे हुए सेनानियों की उपस्थिति थी। उनमें शायद ही कोई उस समय करोड़पति या अरबपति रहा हो! आज शीर्ष पंक्ति में नरेंद्र मोदी को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा राजनेता होगा, जो परिवार सहित धन-धान्य से पूरी तरह संपन्न न हो? वैसे इन सबके परिवारों की स्थिति भी प्रारंभ में वैसी ही थी जैसी मोदी के परिवार की आज भी बनी हुई है, जबकि वे स्वयं अठारह वर्ष से सत्ता में हैं। लोग जानते हैं कि उनका सामना उन अरबपतियों से है जो राजनीति में आने के कारण ही 'कहां से कहां पहुंच गए!' आज देश की जनता इस अंतर को पहचान चुकी है। नोटबंदी के समय बैंक के सामने तीन-तीन दिन तक खड़े रहने वाले लोग भी मोदी की प्रशंसा ही करते देखे गए। क्या किसी राजनेता या राजनीतिक पंडित ने लाल बत्ती हटाने के सामान्य जनता पर पड़े प्रभाव का अध्ययन किया? वे इसे भूल गए, मगर लोग नहीं भूले हैं। आज जनता सेना को शीघ्र सशक्त होते देखना चाहती है। जब सेना का एक भी जवान शहीद होता है तो हर घर में दुख प्रवेश करता है। कई दशकों से देश इसे सहता रहा है। इस तथ्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि पाक के साथ अमन की आशा कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ देती रही है, लेकिन पाकिस्तान भारत को घाव देते रहने की नीति पर बेशर्मी से चलता रहा है। 1971 में राजनीति पीछे थी, देश आगे ही नहीं सवरेपरि था। 2019 में अपने उस राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की चिंता उन नेताओं में सवरेपरि दिखती है जो नरेंद्र मोदी की अप्रत्याशित स्वीकार्यता के आभामंडल में विलीन होने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं।

लोगों को अभी अच्छी तरह याद है कि दिसंबर 1971 में बांग्लादेश बनाने के पहले इंदिरा गांधी ने छह देशों का दौरा किया था। जहां अमेरिका में उनका अपमान हुआ वहीं उन्होंने सोवियत संघ के साथ अगस्त 1971 में संधि की जो अत्यंत विचारणीय कदम था। वर्तमान प्रधानमंत्री की विदेश यात्रओं के आलोचक यह सब भूल जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी दीर्घकालीन रणनीति के अंतर्गत पहले विश्व में भारत को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाया, आर्थिक प्रगति को दिशा दी और तब विश्व का ध्यान भारत की ओर गया। आज उसी का परिणाम है कि पुलवामा के बाद भारत को अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिला है। इससे देश का जो सामान बढ़ा है, उसे स्वीकार करने में आनाकानी करना केवल क्षुद्रता की ही निशानी मानी जाएगी। आखिर हम कब तक अपने शहीदों को तिरंगे में लिपटाकर उनके परिवारों को सौंपते रहेंगे? इससे देश का मनोबल गिरता है। देश को इससे निकालने का सफल और स्वीकार्य प्रयास एयर स्ट्राइक के जरिये हुआ है। इसकी सराहना देश-विदेश कर रहा है। जनता इसका श्रेय वर्तमान सरकार और उसके नेता नरेंद्र मोदी को खुले दिल से दे रही है। जो 'नेतागण' इसमें कोताही कर रहे हैं वे अपने व्यक्तित्व को स्वयं नीचे ला रहे हैं। उनकी साख कम हो रही है। अनेक हंसी के पात्र बन रहे हैं, विशेषकर वे जो 'सेना से सुबूत' मांग रहे हैं! ऐसे लोगों को गांवों में जाकर उन परिवारों से मिलकर देश का 'मूड' जानना चाहिए जहां सेना में जाने की परंपरा है, जहां शहादत से साक्षात परिचय पीढ़ियों से होता आ रहा है, जहां हर शहीद के परिवार से आगे की पीढ़ी सेना में जाने को पहले से अधिक उत्सुक रहती है। वे शौर्य परंपरा के ध्वजवाहक हैं। सुरक्षा बालों के हर स्तर के लोग बधाई के पात्र हैं। आज सत्ता में जनता यानी राष्ट्र द्वारा चयनित नेतृत्व बधाई का पात्र है, क्योंकि वह निर्णय ले सका। निर्णय लेने की इस क्षमता ने सुरक्षाबलों का मनोबल दशकों के लिए बढ़ा दिया है। एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने रणनीति परिवर्तन को यह कहकर पूरी तरह उजागर कर दिया कि मेरे जैसे लोग तो पाकिस्तान की ओर से अपमान सहते-सहते राजनीतिक नेतृत्व की निर्णय लेने की अक्षमता के तले दबे रहे और मन मारकर सेवानिवृत्त हो गए! आज का राजनीतिक नेतृत्व निर्णय लेने में सक्षम है। यह बड़ा अंतर है और सराहनीय है।

कुछ पूर्वाग्रही अपवादों को छोड़कर इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कदम सर्व-स्वीकार्य है। 2014 में भी उन्होंने राजनीति की उस धारा को प्रवाहित किया था जहां राजनीतिक दल में रहते हुए भी नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाता है। नरेंद्र मोदी को देश का नेतृत्व देने के लिए 2014 में देश के हर हिस्से में लोगों ने दलगत प्रतिबद्धताएं त्यागकर 'व्यक्ति' को वोट दिया था। ऐसा लगा था कि अब राजनीति, क्षेत्रीयता, भाषागत विविधता जैसे पक्षों को आधार बनाकर उभरे नेताओं और दलों के दिन पूरे होने वाले हैं। देश ने नरेंद्र मोदी के परिवारजनों के संबंध में जाना। अनेक क्षेत्रीय नेताओं के परिवारों तथा धन-वैभव संग्रह के संबंध में पहले से ही देश परिचित था। वह वर्ग इस समय मोदी के पुन: आने की संभावना से इतना भयग्रस्त हो गया है कि सामान्य आचरण और शिष्टाचार भूलकर जनता से भी दूर हो गया है। वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, किधर, किसके पास जाएं! वे बेसुरे होकर अपने ऊपर ही आघात कर रहे हैं।

(Adapted from Jagran.com)

14. पिनाकी घोष पहले लोकपाल (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

कौन हैं जस्टिस घोष

1952 में जन्मे जस्टिस पीसी घोष जस्टिस शंभू चंद्र घोष के बेटे हैं। 1997 में वे कलकत्ता हाईकोर्ट में जज बने। दिसंबर 2012 में वह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। 8 मार्च 2013 में वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रोन्नत हुए और 27 मई 2017 को वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत हुए।

(Adapted from Jagran.com)

15. Election commission applied code of ethics for social media- चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के लिए 'कोड ऑफ एथिक्स' लागू किया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; राजव्यवस्था)

चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया पर पैनी निगाह रखेगा। आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ दूसरे दौर की बैठक के बाद बुधवार से ही सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कोड आफ एथिक्स लागू करने का फैसला किया है जिससे लोकसभा चुनावों के दौरान किसी भी दुरुपयोग की कोशिश रोकी जा सके।

लोकसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न हो।।। फेक न्यूज़ को फैलने से रोका जा सके और सोशल मीडिया पर चुनावी कैंपेन के लिए राजनीतिक दलों के खर्च पर नज़र रखी जा सके। इसके लिए बुधवार को चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कोड ऑफ़ एथिक्स लागू करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने तय किया है कि माडल कोड ऑफ कंडक्ट की तर्ज़ पर लोकसभा चुनावों के दौरान सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक "Code of Ethics" लाया जाएगा।।।जो उनकी जवाबदेही तय करेगा।।। अब सोशल मीडिया कंपनी को अपने यूज़र्स को बताना होगा कि चुनावों के दौरान वो क्या कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं और क्या नहीं। आम यूज़र्स को यह भी बताना होगा कि वे दुरुपयोग से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहे हैं। ऐतराज़ वाले कंटेंट को फौरन हटाना होगा और एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा जो चुनाव आयोग से लगातार संपर्क में रहेगा।

(Adapted from khabar.ndtv.com)

16. Implications of Moral code of conduct- आदर्श चुनाव आचार संहिता के निहितार्थ (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

आगामी लोकसभा के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की तिथियों की घोषणा के साथ ही 'आदर्श चुनाव आचार संहिता यानी मॉडल कॉड ऑफ कंडक्ट' लागू हो चुकी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के प्रमुख आधार हैं। इसमें मतदाताओं के बीच अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों को रखने के लिए सभी उम्मीदवारों और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। इस संदर्भ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी का उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों के लिए बराबरी का समान स्तर उपलब्ध कराना होता है। इसके अतिरिक्त आदर्श चुनाव संहिता प्रचार अभियान को निष्पक्ष तथा स्वस्थ बनाए रखने के लिए व तमाम राजनीतिक दलों के बीच झगड़ों और विवादों को निपटाने से लेकर उन्हें टालने तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मकसद केंद्र या राज्य की सत्ताधारी पार्टी को आम चुनाव में अनुचित

लाभ लेने से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना है। आदर्श आचार संहिता लोकतंत्र के लिए भारतीय निर्वाचन प्रणाली का विशिष्ट योगदान है।

मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का प्रभाव

चुनाव आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव आ जाते हैं। राज्य और केंद्र सरकार में कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही देश भर में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती हैं और न ही सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी कार्य के लिए कर सकती है।

आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा विशेषकर उम्मीदवारों के लिए आचरण और व्यवहार का मानक है। इसकी विशेषता यह है कि यह दस्तावेज राजनीतिक दलों की सहमति से अस्तित्व में आया और विकसित हुआ। वर्ष 1960 में केरल विधानसभा में पहली बार इसे लागू किया गया। इसमें यह बताया गया कि राजनीतिक दल क्या करें और क्या नहीं करें। वर्ष 1962 में लोकसभा चुनाव में आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया तथा व्यापक पैमाने पर इसका पालन हुआ। वर्ष 1967 में इसका पालन लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों में हुआ। वर्ष 1968 में निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तर पर सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार के न्यूनतम मानक के रूप में इस संहिता का वितरण किया। वर्ष 1974 में आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल कर समिति गठित की जाए, ताकि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर विचार हो सके। वर्ष 1979 में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार विमर्श कर आचार संहिता का दायरा बढ़ाते हुए एक नया भाग जोड़ा, जिसमें 'सत्तारूढ़ दल' पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हुआ, ताकि सत्ताधारी दल अन्य पार्टियों तथा उम्मीदवारों की अपेक्षा अधिक लाभ उठाने के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। वर्ष 1991 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी. एन. शेषन ने आदर्श आचार संहिता को और भी मजबूती प्रदान की। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 'चुनाव घोषणापत्र' संबंधी संहिताओं को आदर्श आचार संहिता में जोड़ने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव आयोग ने इन प्रावधानों को आदर्श आचार संहिता में वर्ष 2014 में जोड़ा। यानी आचार संहिता का सशक्तीकरण अब भी जारी है।

आचार संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। इसका मुख्य मकसद राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों से चुनावी संहिता का पालन कराना होता है। चुनावी संहिता में सामान्य आचरण, बैठकों, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता में पार्टी और चुनाव घोषणा पत्र सहित कुल आठ प्रावधान हैं। पहला, सामान्य आचार संहिता के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों को अपनी प्रतिद्वंद्वी पार्टियों की पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही आलोचना करनी होगी। मतदाताओं को लुभाने के लिए जातीय और सांप्रदायिक लाभ उठाने से बचना होगा। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का रिश्वत नहीं देना होगा। 'मीटिंग' के अंतर्गत पार्टियों को अगर कोई बैठक या सभा करनी होगी, तो उन्हें स्थानीय पुलिस को जानकारी देनी होगी, जिससे पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम

संभव हो सके। इसके तीसरे प्रावधान 'चुनाव प्रचार' के अंतर्गत अगर दो या दो से अधिक पार्टियां एक ही रूट में चुनाव प्रचार के लिए निकली हैं, तो आयोजनकर्ताओं को आपस में यह तय करना होगा कि वे आपसी संघर्ष नहीं करेंगे। हिंसा पूर्णत: प्रतिबंधित है। चतुर्थ, 'पोलिंग डे' के अंतर्गत सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र रखना होगा। इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं होगा और न ही चुनाव चिह्न् और न ही किसी उम्मीदवार का नाम होगा। पंचम, 'पोलिंग बूथ' के अंतर्गत केवल मतदाता, जिनके पास चुनाव आयोग के मान्य पहचान पत्र हैं, वे ही पोलिंग बूथ के अंदर जा सकेंगे। छठे प्रावधान में 'निरीक्षक' के अंतर्गत चुनाव आयोग पोलिंग बूथ के बाहर एक निरीक्षक तैनात करेगा, ताकि अगर संहिता का कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उसकी शिकायत की जा सके। सातवां प्रावधान 'सत्ताधारी पार्टी' से संबंधित है। इस दौरान सत्ताधारी पार्टियों के मंत्रियों को किसी भी तरह की आधिकारिक दौरे की मनाही होगी, ताकि वे अपने आधिकारिक दौरे पर चुनाव प्रचार न करें। उन्हें किसी तरह के लोकलुभावन वादे नहीं करने होंगे। संहिता का आठवां प्रावधान 'चुनावी घोषणापत्र' है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे जोड़ा गया है। इसके अनुसार चुनावी घोषणापत्र में बताए गए वादों को पूरा करना होगा।

क्या कानूनी रूप से बाध्यकारी है संहिता?

मॉडल कॉड ऑफ कंडक्ट कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका कोई वैधानिक आधार भी नहीं है। यदि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो चुनाव आयोग नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि जब आदर्श चुनाव आचार संहिता पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, तो चुनाव आयोग कार्रवाई कैसे करती है? इसके लिए चुनाव आयोग आइपीसी- 1860, सीआरपीसी- 1973 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 के धाराओं का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए पूजा स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करना मूलत: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 के अंतर्गत आपराधिक कार्य है। इसी तरह चुनाव में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रिश्वत देना मूलत: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 तथा आइपीसी की धारा- 177 बी के अंतर्गत प्रतिबंधित है। ऐसे में अगर कोई इसका उल्लंघन करता है, तो चुनाव आयोग उपरोक्त दोनों कानूनों का प्रयोग करती है। इसी तरह चुनाव के समय शराब वितरण के आरोपों में भी चुनाव आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 के अंतर्गत कार्रवाई करती है।

आचार संहिता को विधिक दर्जा

चुनाव आयोग का कहना है कि आदर्श संहिता को कानूनी दर्जा देने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। सामान्यत: 'चुनाव' कार्यक्रम घोषित होने के लगभग 45 दिनों के भीतर निपटा लिया जाता है। इसलिए इससे संबंधित शिकायतों को तेजी से निपटाने का महत्व है। समय पर इसका निपटान नहीं होने से ये महत्वहीन हो जाते हैं। कानून और विधिक मामलों की स्टैंडिंग कमिटी ने 2011 में कहा कि आदर्श आचार संहिता को मूलत: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम- 1951 का भाग बना देना चाहिए। वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने भी चुनाव सुधारों के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता को सांविधिक बनाने की मांग की थी।

संहिता का उल्लंघन और आयोग

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग केवल नोटिस दे सकता है या एफआइआर दर्ज करा सकता है। इसका प्रभाव यह होता है कि नोटिस की बात आम जनता तक पहुंच जाती है और नेता पर जन दबाव पड़ता है। यदि इससे संबंधित अधिकार कोर्ट को दिया जाएगा, तो लंबी अवधि में निपटारे के कारण आचार संहिता का महत्व खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर चुनाव आयोग के पास जो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, वो भी टूट जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाने के बाद आचार संहिता के संदर्भ में दर्ज मामलों पर शायद ही कोई प्रगति होती है। अगर कुछ प्रगति होती भी है, तो कमजोर कानूनों के कारण आचार संहिता तोड़ने वाला व्यक्ति जमानत पर शीघ्र रिहा हो जाता है। चुनाव के बाद मामलों को मुकाम पर पहुंचाने में आयोग बेबस है। जब आचार संहिता जारी होती है, तो संपूर्ण प्रशासन आयोग के अधीन होता है और उसी के दिशा निर्देश का पालन करता है। परंतु इस अवधि के समाप्त होने के बाद प्रशासन प्राय: इन मामलों का समुचित फोलोअप नहीं करता है।

बढ़ाई जाए आयोग की ताकत

प्राय: आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग दंडात्मक कार्रवाई से बचता ही है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने दो प्रमुख नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी। आयोग ने इसके लिए अपनी असाधारण शक्तियों का सहारा लिया था। इस समय चुनाव सुधार के लिए नियमों के निर्माण के लिए चुनाव आयोग विधायिका पर निर्भर है। आवश्यक है कि नियमों के निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन की शक्तियां आयोग को मिलें। फेक न्यूज भी गंभीर चुनौती है, जिसे चुनावी अपराध घोषित करने की मांग स्वयं चुनाव आयोग ने की है। यद्यपि इस वर्ष आचार संहिता को लागू करने के लिए चुनाव आयोग ने लोगों के लिए सी-विजिल' एप बनाया है जिस पर की गई शिकायतों पर चुनाव आयोग त्वरित रूप से सुनवाई करेगा। कुल मिलाकर निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों को और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है।

(Adapted from Jagran.com)

17. Supreme Court refused to intervene on ordinance for reservation in Central Universities- केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस पर पहले संबंधित हाइकोर्ट में सुनवाई हो क्योंकि यह राज्यों से जुड़ा मामला है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए ये अध्यादेश लाया गया तो पूरी तरह असंवैधानिक है। याचिका में 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में जो आधार दिए गए हैं उन पर कोर्ट पहले से ही विचार कर चुका है। लिहाजा कोर्ट को अपने 23 जनवरी के फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी। इसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश पारित कर फैसले को पलट दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा फंडेड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की नियुक्तियां घट सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोटे के लाभ के लिए विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी (UGC) की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला तर्कसंगत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद रूकी हुई भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। आपको बता दें कि लगभग 6000 पदों पर भर्तियां रुकी हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों, प्रोफेसरों की भर्ती के लिए विश्वविद्यालय-स्तर पर नौकरियों को एक साथ जोड़कर नहीं देख सकते। एक विभाग के प्रोफेसर की दूसरे विभाग के प्रोफेसर से तुलना कैसे की जा सकती है?

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रैल 2017 में 200 प्वाइंट वाले रोस्टर, जिसमें कॉलेज/यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जाता था, रद्द कर दिया था और कहा था कि विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को एक इकाई माना जाना चाहिए। इससे पहले यूजीसी का रोस्टर लागू था जिसमें यूनिवर्सिटी को एक इकाई माना जाता था और एससी/एसटी और ओबीसी को प्रोफेसर आदि के पद पर आरक्षण दिया जाता था

(Adapted from NDTV.khabar.com)

18. Question mark over increasing wealth of elected representatives- जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संपत्ति पर सवाल (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; Polity & Governance)

दौलत आसमान से नहीं टपकती है, लेकिन यदि आप पार्षद, विधायक, सांसद और मंत्री बन जाते हैं तो देखते ही देखते मालामाल कैसे हो जाते हैं? इसका कोई संतोषजनक जवाब हमारे नेताओं के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी नेता भ्रष्ट और बेईमान होते हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में मिसाल भी पेश की है, पर इनकी संख्या बहुत कम है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जनप्रतिनिधियों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी पर नजर रखने के लिए अब तक कोई स्थायी निगरानी तंत्र क्यों नहीं बना?

उसने अपने पिछले वर्ष के आदेश पर अमल के बारे में कानून मंत्रलय और विधायी सचिव से जवाब भी मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से सरकार के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। मालूम हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 16 फरवरी को आदेश दिया था कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन भरते समय हलफनामे में स्वयं की ही नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी और सहयोगियों की संपत्ति का स्नोत भी बताना होगा।

आम आदमी के खाते में चंद पैसों की आमद भी बैंकों के लिए तहकीकात का कारण बन जाती है, लेकिन हमारे माननीयों की संपत्ति में हो रही बेतहाशा वृद्धि खबरों में भी जगह नहीं पाती। हालांकि संपत्ति में बढ़ोतरी निजी मामला है, लेकिन अगर किसी जनप्रतिनिधि की संपत्ति कुछ ही वर्षो में लाख से बढ़कर करोड़ रुपये हो जाए तो यह आंकड़ा अचरज में डालने वाला है। एक आम आदमी कैसा भी व्यापार करे उसे हजार को लाख में बदलने में वर्षो लग जाते हैं, जबकि हमारे माननीय महज एक बार के प्रतिनिधित्व में लाख को करोड़ में बदलने का माद्दा रखते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में जो 168 सांसद दोबारा चुनकर आए, उनमें से 165 की औसत संपत्ति 12.78 करोड़ रुपये थी, जो 2009 की उनकी औसत संपत्ति से 137 फीसद ज्यादा थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2004 के अपने चुनावी शपथपत्र में अपनी संपत्ति 55,38,123 रुपये घोषित की थी जो 2014 में 9 करोड़ रुपये हो गई। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछा है कि उनकी संपत्ति दस साल में 17 गुना कैसे बढ़ गई?

जबकि बतौर सांसद राहुल गांधी का वेतन ही उनकी आय का जरिया है। सपत्ति बढ़ाने का यह सियासी फॉमरूला न तो उन्हें पता है और न ही वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेरोजगारी और गरीबी की मार से जूझ रहे हैं। भारत में इस समय करीब 5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। बेरोजगारी एवं गरीबी भी उन मुद्दों में से प्रमुख है, जिनका राग अलाप कर लोग राजनीति में आते हैं। सेवा के नाम पर की जा रही सियासत जिस तरह से भारी मुनाफा देने वाले उद्योग में बदलती जा रही है, उससे राजनीति के साथ-साथ लोकतंत्र की सार्थकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।

लोक प्रहरी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका के मुताबिक दूसरी बार चुने गए 25 सांसदों और 257 विधायकों की संपत्ति 5 साल में 5 गुना बढ़ गई है। वहीं ऐसे सांसदों और विधायकों की संख्या भी सैकड़ों में है, जिनकी संपत्ति में 100 से लेकर 500 फीसद तक की बढ़ोतरी हुई है। इस फेहरिस्त में कई नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं, जिनकी संपत्ति में 500 फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। विधायकों की संपत्ति में बढ़ोतरी की बात करें तो वे इस मामले में सांसदों से भी आगे हैं।

ऐसा भी नहीं है कि यह बढ़ोतरी किसी एक राज्य के किसी एक विधायक की संपत्ति में हुई है। मध्य प्रदेश के विधायकों की औसत संपत्ति में 290 फीसद, हरियाणा के विधायकों की 245 फीसद, महाराष्ट्र के विधायकों की 157 फीसद और छत्तीसगढ़ के विधायकों की औसत संपत्ति में 147 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 70 फीसद विधायक तो ऐसे हैं, जिनकी संपत्ति एक करोड़ रुपये से ज्यादा है।

सांसदों-विधायकों की संपत्ति में यह बेतहाशा वृद्धि इसलिए भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के रूप में इनकी कमाई उतनी नहीं होती, जिससे इतनी बढ़ोतरी हो सके। हमारे सांसदों की बात करें तो सैलरी के रूप में इन्हें हर महीने 50 हजार रुपये मिलते हैं। वहीं जब संसद सत्र चल रहा होता है तो प्रत्येक सत्र के हिसाब से 2 हजार रुपये का दैनिक भत्ता मिलता है। इसके अलावा हर सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के नाम पर 45 हजार और कार्यालय खर्च भत्ता के नाम पर 45 हजार रुपये हर महीने मिलते हैं। यानी सैलरी के रूप में एक सांसद को एक महीने में कुल एक लाख 40 हजार रुपये मिलते हैं। हालांकि इसमें फायदा यह होता है कि उन्हें आम लोगों की तरह इस सैलरी से घर का रेंट, बिजली-फोन का बिल और यात्र के लिए खर्च नहीं करना पड़ता है।

आजादी की अर्धशताब्दी पर लोकसभा के विशेष अधिवेशन में विपक्ष के तत्कालीन नेता की हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 'लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार का दानव आज हमें निगलने जा रहा है। ..इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि यह (भ्रष्टाचार) अंतरराष्ट्रीय परिघटना है। उन्होंने गलत नहीं कहा था। जहां-जहां लोकतंत्र है, वहां भ्रष्टाचार पनपने लगता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ा और उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ा। जापान के एक प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ा। कोरिया के एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को मृत्युदंड दिया गया। इटली में मंत्री जेल गए हैं। हालांकि भारत में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन धीरे-धीरे उठाए गए हैं। सत्ता के समीकरण पर उसका क्या असर होगा, यह पूरी तरह से आंकते हुए कदम उठाए गए हैं। देखा जाए तो यह राष्ट्र की अस्मिता को बचाने का सवाल है। इसके लिए यह सुझाव भी आया था कि राजनेता अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दें। सब कुछ लोगों के सामने आना चाहिए। अपने रिश्तेदारों की संपत्ति का विवरण देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई राजनेता चुनकर आता है तो थोड़े ही दिनों में उसके सगे-संबंधी मालदार बन जाते हैं। सवाल है कि अगर राजनेता निष्कलंक नहीं होंगे, अगर राजनेता का जीवन पारदर्शी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? ऐसे नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे वह नैतिक बल नहीं आएगा जिस नैतिक बल से समाज बदला जाता है, व्यवस्था बदली जाती है। यह केवल कानून बनाने का मामला नहीं है। लोकतंत्र एक स्वच्छ वातावरण की मांग करता है। लोकतंत्र एक नैतिक व्यवस्था है और आज यहां लोकतंत्र दांव पर लगा है।'

लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से ही है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार नेताओं की बढ़ती संपत्ति पर निगरानी के लिए एक प्रभावी तंत्र बनना चाहिए और उनकी नाजायज तरीकों से कमाई गई दौलत जब्त की जानी चाहिए। जनता चाहती है कि यदि आप सत्ता में हैं तो कम से कम ईमानदारी से काम कीजिए। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए और लोगों की रोजी-रोटी का इंतजाम कीजिए। जनता भ्रष्ट और बेईमान नेताओं को उनकी असली जगह जेल में देखना चाहती है। जनता इसकी अपेक्षा हर सरकार से करती है।

(Adapted from Jagran.com)

19. Appointment of Lokpal members- लोकपाल अध्यक्ष ने लोकपाल सदस्यों को पद की शपथ दिलाई (Relevant for GS Prelims; Polity)

लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.सी. घोष ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में लोकपाल के निम्नलिखित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई :

1. न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भौसले
2. न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती
3. न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी
4. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी
5. श्री दिनेश कुमार जैन
6. श्रीमती अर्चना रामसुन्दरम
7. श्री महेन्द्र सिंह
8. डा. इन्द्रजीत प्रसाद गौतम

अंतरराष्ट्रीय संगठन

1. OIC की बैठक में बोलीं सुषमा स्वराज, आतंकवाद को पनाह और फंडिंग बंद हो (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संगठन)

सुषमा स्वराज ने क्या कहा?

भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी) की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि आतंकवाद का दायरा बढ़ा है। आतंकवाद से लड़ाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं है। आतंकवाद को पनाह और फंडिंग बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है। विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने कहा "एक महान धर्म और प्राचीन सभ्यताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मुल्कों से आए साथियों के बीच आकर सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं उस देश की प्रतिनिधि हूं, जो ज्ञान का भंडार रहा है, शांति का दूत रहा है, आस्था व परम्पराओं का स्रोत रहा है, बहुत-से धर्मों का घर रहा है और दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।" उन्होंने कहा, "OIC के सदस्य संयुक्त राष्ट्र के एक-चौथाई हैं, और लगभग एक-चौथाई मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं।।।

भारत का आपसे बहुत कुछ साझा है, और हममें से बहुत से उपनिवेशवाद के काले दिन भुगते हैं।" विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में हर धर्म के लोग हैं, सभी धर्म और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है।

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया

आपको बता दें कि इससे पहले OIC की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) के शामिल होने की वजह से पाकिस्तान ने बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी (Shah Mehmood Qureshi) का कहना है, "मैं विदेश मंत्रियों की काउंसिल बैठक में शिरकत नहीं करूंगा। यह उसूलों की बात है, क्योंकि (भारत की विदेशमंत्री) सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) को 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में न्योता दिया गया है।" इससे पहले पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर हमले के बाद इस्लामाबाद ने प्रयास किया था कि ओआईसी के लिए स्वराज का आमंत्रण रद्द हो जाए। मगर स्वराज जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनाव की पृष्ठभूमि में इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं।

भारत को आमंत्रण खास क्यों है?

आपको बता दें कि भारत को 57 इस्लामिक देशों के समूह ने पहली बार अपनी बैठक में आमंत्रित किया। सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने बतौर विशिष्ट अतिथि संबोधित किया। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में भारत और ओआईसी के बीच यह नया संबंध स्थापित हो रहा है। आपको बता दें कि दोनों मुल्कों के बीच जारी तनाव के बीच एक दिन पहले ही नयी दिल्ली में भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारियों की एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा गया कि सशस्त्र बल किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं।

इस्लामिक सहयोग संगठन (ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION)

इस्लामी सहयोग संगठन (ओआईसी) 1969 में स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें 57 सदस्य राज्य शामिल हैं। संगठन का मानना है कि यह 'मुस्लिम विश्व की सामूहिक आवाज' है और 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की भावना से मुसलमानों के हितों के बचाव और रक्षा' के लिए काम करता है। ओआईसी के संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ में स्थायी प्रतिनिधिमंडल हैं। ओआईसी का मुख्यालय जेद्दाह, सऊदी अरब में स्थित है।

महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले कुछ देश, जैसे रूस और थाईलैंड, ओआईसी के पर्यवेक्षक राज्यों में हैं, जबकि दूसरे, जैसे कि भारत और इथियोपिया को कोई दर्जा प्राप्त नहीं हैं।

इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष

ओआईसी इजराइल-फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए दो-राज्य समाधान का समर्थन करता है। ओआईसी ने फिलीस्तीनी क्षेत्रों के कब्जे को समाप्त करने के लिए इजराइल पर दबाव डालने के प्रयास में इजराइली उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए कहा है।

भारत के साथ विवाद

ओआईसी कश्मीर के विवादित क्षेत्रों को 'भारत द्वारा कब्जे' के रूप में मानता है। यद्यपि लगभग 18 करोड़ मुस्लिम भारत में रहते हैं, भारत को ओआईसी की सदस्यता नहीं दी गई है। पाकिस्तान ओआईसी में भारत की प्रविष्टि का विरोध करता है।

(Adapted from ndtv.khabar.com and PrepMate IOBR Book)

2. मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की इस अपील को संयुक्त राष्ट्र ने ठुकराया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संगठन)

मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद (Hafiz Saeed) की गुहार को संयुक्त राष्ट्र (UN) ने ठुकरा दिया है। संयुक्त राष्ट्र से जमात-उद-दावा (JUD) प्रमुख हाफिज सईद ने प्रतिबंधित आतंकियों की सूची से अपना नाम हटाने की अपील की थी।

संयुक्त राष्ट्र की समिति से अजहर पर पाबंदी लगाने की मांग

बता दें कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब संयुक्त राष्ट्र (UN) की 1267 प्रतिबंध समिति को जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने का एक नया अनुरोध प्राप्त हुआ है। बीते 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदायीन हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद संयुक्त राष्ट्र की समिति से अजहर पर पाबंदी लगाने की मांग की गई है।

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के भी सह-संस्थापक सईद की अपील संयुक्त राष्ट्र ने तब खारिज की जब भारत ने उसकी गतिविधियों के बारे में विस्तृत साक्ष्य मुहैया कराए। साक्ष्यों में 'अत्यंत गोपनीय सूचनाएं' भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में सईद के वकील हैदर रसूल मिर्जा को वैश्विक संस्था के इस फैसले से अवगत करा दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के मुखिया सईद पर 10 दिसंबर 2008 को पाबंदी लगाई थी। मुंबई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उसे प्रतिबंधित किया था। मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए थे। सईद ने 2017 में लाहौर स्थित कानूनी फर्म 'मिर्जा एंड मिर्जा' के जरिए संयुक्त राष्ट्र में एक अपील दाखिल की थी और पाबंदी खत्म करने की गुहार लगाई थी। अपील दाखिल करते वक्त वह पाकिस्तान में नजरबंद था।

सूत्रों ने बताया कि स्वतंत्र लोकपाल डेनियल किपफर फासियाटी ने सईद के वकील को सूचित किया है कि उसके अनुरोध के परीक्षण के बाद यह फैसला किया गया है कि वह 'सूचीबद्ध व्यक्ति के तौर पर बरकरार' रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे सभी अनुरोधों के परीक्षण के लिए डेनियल की नियुक्ति की है। उन्होंने बताया कि लोकपाल ने सिफारिश की कि सारी सूचनाएं इकट्ठा करने के बाद यह तय किया गया है कि पाबंदी जारी रहेगी, 'क्योंकि (प्रतिबंध) सूची में बनाए रखने के लिए एक तार्किक एवं विश्वसनीय आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त सूचनाएं हैं।'

संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति ने लोकपाल की सिफारिश का समर्थन किया है। सूत्रों ने बताया कि भारत के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उन देशों ने भी सईद के अनुरोध का विरोध किया, जिन्होंने मूल रूप से उसे प्रतिबंध सूची में डाला था। पाकिस्तान ने सईद की अपील का कोई विरोध नहीं किया, जबकि पड़ोसी देश में इमरान खान की अगुवाई वाली नई सरकार दावा करती है कि वह 'नया पाकिस्तान' में प्रतिबंधित आतंकवादियों और उनके संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाइस समझौता, वियना समझौता तथा लोकार्नो समझौते को मंजूरी दी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संगठन)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (ए) - ट्रेडमार्क के पंजीकरण के उद्देश्य के लिए वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में नाइस समझौता (बी) - ट्रेडमार्कों के प्रतीकात्मक तत्वों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए वियना समझौता (सी) - औद्योगिक डिजाइनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करने के लिए लोकार्नो समझौते में भारत के प्रवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

पंजीकरण के प्रभाव

1. नाइस, वियना और लोकार्नो समझौतों में पहुंच स्थापित करने से वैश्विक रूप से अपनाई जा रही वर्गीकरण प्रणालियों के अनुसार ट्रेड मार्क और डिजाइन अनुप्रयोगों के परीक्षण के लिए वर्गीकरण प्रणालियों से तालमेल के लिए भारत में बौद्धिक संपदा कार्यालय को मदद मिलेगी।

2. यह भारतीय डिजाइनों, प्रतीकात्मक तत्वों और वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणालियों में शामिल करने का अवसर प्रदान करेगा।

3. इस पहुंच से भारत में आईपी के संरक्षण के संबंध में विदेशी निवेशकों में विश्वास जगाने की उम्मीद है।

4. इस पहुंच से समझौते के तहत वर्गीकरणों की समीक्षा और संशोधन के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिकारों का उपयोग करने में भी आसानी होगी।

4. ओआइसी में भारत की भागीदारी का महत्व (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संगठन)

भारत 'गेस्ट ऑफ ऑनर'

इस माह एक मार्च को ओआइसी यानी इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के 46वें सत्र की बैठक संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी में बुलाई गई। बैठक का विषय था, '50 साल का अंतर-इस्लामिक सहयोग : समृद्धि और विकास का खाका।' इस्लामिक दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव को समझते हुए भारत को संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान द्वारा 'गेस्ट ऑफ ऑनर' देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया।

पहली बार भारत ने भाग लिया

ओआइसी की स्थापना के बाद बीते 50 वर्षो में यह पहली बार था कि भारत ने उसके किसी सत्र में भाग लिया। अतीत में कई बार ऐसे अवसर आए जब ओआइसी सदस्यों ने भारत को उसकी मुस्लिम आबादी और उसके विभिन्न इस्लामिक राष्ट्रों के साथ भू-राजनीतिक रिश्तों के कारण ओआइसी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, लेकिन भारत ने अनिच्छा दिखाई। 1969 में मोरक्को के शहर रबात में हुए एक अधिवेशन के बाद ओआइसी वजूद में आया था। इस अधिवेशन में भारत की भागीदारी पर पाकिस्तान ने अड़ंगा लगा दिया था। वक्त ने करवट ली और बीते दिनों पाकिस्तान की अड़ंगेबाजी के बावजूद सुषमा स्वराज उसके मंच पर पहुंचीं।

ओआइसी में लगभग 57 मुस्लिम देश हैं जिसमें से 30 इसके संस्थापक सदस्य हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व की दूसरी बड़ी संस्था है। ओआइसी के शुरुआती अधिवेशनों में कभी कश्मीर का मुद्दा चर्चा का हिस्सा नहीं बना। इसके चर्चा में आने का कारण पाकिस्तान बना। शुरू से कई बार यह बात भिन्न-भिन्न देशों ने ओआइसी में उठाई कि भारत को भी इस संस्था का सदस्य बनना चाहिए, क्योंकि विश्व में दूसरी बड़ी संख्या में मुसलमान भारत में रहते हैं, परंतु जब पाकिस्तान को इस बात की काट का कोई उपाय नजर नहीं आया तो उसने कश्मीर के मुद्दे पर अपनी कूटनीति तैयार की। उसने कहा कि विश्व का कोई भी देश अगर ओआइसी के संस्थापक देशों के साथ सीधे टकराव में है तो वह ओआइसी का सदस्य नहीं बन सकता।

इस पर अन्य सदस्यों ने भारत के ओआइसी में प्रवेश पर चुप्पी साध ली। पाकिस्तान के निरंतर विरोध करने के बावजूद 2006 में सऊदी अरब के शासक अब्दुल्ला जब 26 जनवरी, 2006 को भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने तब उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि भारत को ओआइसी के साथ जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत को एक पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में इस संस्था के साथ आना चाहिए। इसके अगले साल 2007 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अमेरिका के एक दूत को इस संस्था के साथ स्थायी रूप से जोड़ दिया। आज रूस और थाईलैंड जैसे देश भी ओआइसी के पर्यवेक्षक सदस्य हैं, जबकि इन सब देशों में मुस्लिमों की संख्या न के बराबर है।

भारत को ओआइसी में पर्यवेक्षक इसलिए होना चाहिए, क्योंकि इसके मंचों पर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उछाल रहा है। वह न केवल कश्मीर, बल्कि भारत में मुसलमानों की स्थिति के बारे में भी आए दिन बोलते नजर आता है। आश्चर्यजनक रूप से भारत कई वर्षो तक केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ बोलता रहा, लेकिन गत पांच वर्षो में हमारी अंतरराष्ट्रीय नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। आज हम पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाने के लिए जितने संभव हों उतने राजनयिक चैनलों का उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं और ओआइसी के मंच पर भारत का जाना इसका ही प्रमाण है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व ने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति देखी जिसे शीत युद्ध भी कहा जाता है। उस दौरान तो तत्कालीन अमेरिकी नेतृत्व ने बहुत समझदारी से काम लिया, लेकिन वही अमेरिका अलकायदा, तालिबान और आइएसआइएस के खतरे को समझने में नाकाम रहा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उसने अपने कट्टरपंथी दुश्मनों के खिलाफ अपने हथियारों की शक्ति पर अधिक भरोसा किया, जबकि उसे उसी वैचारिक मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए था जिसका इस्तेमाल उसने सोवियत संघ केखिलाफ शीत युद्ध के समय किया था।

70 साल पुरानी भारत-पाक समस्या का एक वास्तविक समाधान एक समानांतर विचारधारा तैयार करने में है। क्या यह काम सिर्फ सरकार का है? यह जिम्मेदारी अकेले सरकार की नहीं, बल्कि देश के नागरिकों की भी है कि वे अपनी सरकार के लिए सहायक सिद्ध हों। किसी भी देश के नागरिक उसके वास्तविक राजदूत होते हैं। वे कैसे रहते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, इस पर उस देश की छवि बहुत हद तक निर्भर करती है? एक ऐसे समय जब अन्य देश ओआइसी जैसे मंचों पर कश्मीर या भारत के मुसलमानों के बारे में झूठी बात कहते हैं तब भारतीय मुसलमानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। पिछले कुछ दशकों में जितना समृद्ध भारतीय मुसलमान हुआ है और किसी देश में रहने वाला मुसलमान नहीं हुआ, फिर भी भारतीय मुस्लिम समाज के नेतृत्व ने अपने लोगों को पीड़ित मानसिकता का शिकार बना दिया है। उसने उन्हें कर्तव्य केंद्रित समाज के बजाय एक अधिकार केंद्रित समाज बना दिया है।

पिछले 70 वर्षो में मिस्न और पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया के आध्यात्मिक नेतृत्व की नब्ज को पकड़ा और राजनीतिक नेतृत्व सऊदी अरब के हाथों में गया। सैकड़ों वर्षो तक मिस्न के अल-अजहर विश्वविदयालय में बेहतरीन इस्लामिक साहित्य का निर्माण होता रहा, लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम ब्रदरहुड के उदय के बाद वहां के भी हालात बदल गए। पहले ऐसा बड़ा काम केवल भारत में ही हो पाया, जिसका कारण था यहां की आध्यात्मिकता, पर भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद भारतीय मुस्लिम समुदाय की रचनात्मकता को सामुदायिक नेताओं द्वारा दबा दिया गया। इसका लाभ पाकिस्तान उठा रहा है। उसके मुल्ला-मौलवी कुरान और हदीस की गलत व्याख्या कर स्वयं और अपने राजनीतिक नेतृत्व को लाभ पहुंचाने में लग गए और अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल भी करने लगे। यह समय की मांग है कि भारतीय मुस्लिम समुदाय ओआइसी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग जैसे मंचों का उपयोग करे। उसे भारत की वास्तविक छवि विश्व के सामने पेश करनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान ने इस्लाम का नाम लेकर अपने गलत इरादों को पूरा करने की कोशिश की है।

5. Rise and fall of ISIS- आइएस के उदय और पतन की कहानी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

ऐसे हुई शुरुआत

एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिका इराक को सद्दाम हुसैन के चंगुल से आजाद करा चुका था, पर इस आजादी को हासिल करने के दौरान इराक पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अमेरिकी सेना के इराक छोड़ते ही बहुत से छोटे-मोटे गुट अपनी ताकत की लड़ाई शुरू करने लगे। उन्हीं में से एक गुट का नेता था अबू बकर अल बगदादी। यह अल-कायदा इराक का प्रमुख था। वह 2006 से ही इराक में अपनी जमीन तैयार करने में लगा था।

अलकायदा इराक बना आइएस

संसाधनों की कमी के चलते तब बगदादी ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा था। हालांकि इराक पर कब्जे के लिए तब तक उसने अल-कायदा इराक का नाम बदल कर नया नाम आइएसआइ यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक रख लिया।

सीरिया पहुंचा बगदादी

बगदादी ने सद्दाम हुसैन की सेना के कमांडर और सिपाहियों को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने शुरुआती निशाना पुलिस, सेना के दफ्तर और चेकप्वाइंट्स को बनाना शुरू किया। अब तक बगदादी के साथ कई हजार लोग शामिल हो चुके थे। फिर भी बगदादी को इराक में वो कामयाबी नहीं मिल रही थी। लिहाजा उसने सीरिया का रुख करने का फैसला किया। सीरिया तब गृह युद्ध डोल रहा था।

फिर बदला नाम

पहले चार साल तक सीरिया में भी बगदादी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। इस दौरान उसने एक बार फिर से अपने संगठन का नाम बदल कर अब आइएसआइएस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) कर दिया था। जून 2013 को फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने पहली बार सामने आकर दुनिया से अपील की थी कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो वो बागियों से जंग एक महीने के अंदर हार जाएंगे।

पलट गए दिन

इस अपील के हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजरायल, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे, और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू कर दी। इन देशों ने बाकायदा सारे आधुनिक हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला-बारूद सब कुछ सीरिया पहुंचा दिया। यहीं से आइएसआइएस के दिन पलट गए। दरअसल जो हथियार फ्री सीरियन आर्मी के लिए थे, वो साल भर के अंदर आइएसआइएस तक जा पहुंचे क्योंकि तब तक आइएस फ्री सीरियन आर्मी में सेंध लगा चुका था और उसके बहुत से लोग उसके साथ हो लिए थे।

एक साल में विस्तार

आइएसआइएस ने अब सीरिया और इराक के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा लिया था। इनमें इन दोनों देशों के कई बड़े शहर भी शामिल थे। जून 2014 से आइएसआइएस ने इराक और सीरिया में जो कहर बरपाना शुरू किया वो आजतक बदस्तूर जारी रहा। आइएसआइएस के आतंकवादी इराक और सीरिया के कई अहम शहरों पर कब्ज़ा कर चुके थे। वे इन इलाकों में अपनी सरकार चला रहे थे। आइएस ने सीरिया के रक्का, पामयेरा, दियर इजौर, हसाक्का, अलेप्पो, होम्स, यारमुक और इराक के रमादी, अनबार, तिकरित, मोसुल, फालुजा जैसे शहरों को अपने कब्जा में किया हुआ था।

खात्मे की शुरुआत

जून, 2017 में आइएस को बड़ा झटका लगा। लंबी लड़ाई के बाद मोसूल इससे मुक्त हो गया। धीरे-धीरे आइएस के हाथ से एक एक करके इलाके छूटते गए। उसका प्रभाव क्षेत्र सिकुड़ता गया। 2018 में सीरियाई सरकार ने दमिश्क के दक्षिण में यारमुक में और इजरायली-कब्जे वाले गोलन हाइट्स के साथ सीमांत पर आइएस का घेराव किया।

(Adapted from Jagran.com)

5. Italy joins China's OBOR initiative- चीन के ओबीओआर अभियान से जुड़ा इटली (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

इटली ओबीओआर में शामिल

चीन के वन बेल्ट-वन रोड (ओबीओआर) अभियान में शामिल होने के लिए इटली ने समझौते (एमओयू) पर दस्तखत कर दिए। इसके चलते चीन और इटली मिलकर अफ्रीका, यूरोप और अन्य महाद्वीपों में बंदरगाह, पुल और बिजलीघर का निर्माण करेंगे। अमेरिका की आपत्ति की अनदेखी करते हुए इटली ने चीन के ओबीओआर अभियान में शामिल होने का फैसला किया है। चीन का दावा है कि 10 खरब डॉलर वाले उसके अभियान से अभी तक 150 देश जुड़ चुके हैं।

दोनों देशों के अधिकारियों ने समझौता प्रपत्र पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और इटली के प्रधानमंत्री गियूसेप कोंटे उपस्थित थे। चिनफिंग यहां दो दिन की यात्र पर आए हैं। दुनिया की सात सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों (जी-7) में शुमार इटली पहला देश है जो ओबीओआर में शामिल हुआ है। इटली के ताजा फैसले से संकेत मिले हैं कि वहां के बंदरगाहों के विकास में चीन का बड़ा निवेश होगा।

यूरोप में ओबीओआर अभियान का विस्तार होने से चीन का अब अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और तीखा होने के आसार हैं। अभी तक यूरोपीय यूनियन चीन की कंपनियों को लाभ पहुंचाने की चिनफिंग सरकार की गलत नीतियों से सशंकित रहा है। वह चीनी कंपनियों और वहां की सरकार के रुख को व्यापार की शर्तो के खिलाफ मानता है। यूरोपीय यूनियन के नेता ब्रसेल्स में चीन के गलत नीतियों वाले व्यापार की चुनौती से लड़ने के लिए रणनीति बना रहे हैं।

(Adapted from Jagran.com)

6. Golan heights recognized by Trump as Israeli territory- गोलान पहाड़ियों पर मान्यता को लेकर विवाद (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गोलान पहाड़ियों को इजरायली क्षेत्र के तौर पर मान्यता दिए जाने के विरोध में खाड़ी देश खुलकर सामने आ गए हैं। चार खाड़ी देशों ने ट्रंप के इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और उनकी मान्यता को खारिज कर दिया। सऊदी अरब ने यह चेतावनी तक दे डाली कि इस कदम से शांति प्रक्रिया और क्षेत्रीय स्थिरता को गहरा धक्का पहुंचेगा।

ट्रंप ने सोमवार को गोलान पहाड़ियों पर अपने फैसले का एलान अमेरिका के दौरे पर आए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में किया था।

सऊदी अरब, बहरीन, कतर और कुवैत ने गोलान पहाड़ियों पर इजरायल के कब्जे को मान्यता दिए जाने के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि यह अरब क्षेत्र की जमीन पर कब्जा है। ये चारों देश अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगी हैं और अमेरिकी सेना की मेजबानी करते हैं। सऊदी अरब ने कहा, 'इसका पश्चिमी एशिया में शांति प्रक्रिया, सुरक्षा और स्थिरता पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।' कुवैत और बहरीन ने ट्रंप के फैसले पर अफसोस जताया, जबकि कतर ने इजरायल से गोलान पहाड़ियों को मुक्त करने व अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का पालन करने की मांग की।

(Adapted from Jagran.com)

7. Indo-Sri Lanka joint excercise- Mitra Shakti-VI- भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास - मित्र शक्ति-VI (Relevant for GS Prelims; IOBR)

भारतीय सेना और श्रीलंका की सेना के 14 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति-VI की दियातलावा, बदूला, श्रीलंका में दियातलावा परेड ग्राउंड में 27 मार्च को शुरूआत हुई। दोनों देशों के बीच संयुक्त अभ्यास का यह छठा संस्करण है। यह युद्धाभ्यास 26 मार्च से शुरू होकर 08 अप्रैल, 2019 तक चलेगा।

भारतीय सेना की टुकडी में बिहार रेजीमेंट का कंपनी समूह और इतनी ही क्षमता में श्रीलंका की सेना की जेमूनु वॉच बटालियन शामिल थी। श्रीलंका की सेना की 21वीं डिविजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर एचपीएनके जयपतिराणा उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे।

युद्धाभ्यास में मुख्य रूप से विद्रोही गतिविधियों और संयुक्त राष्ट्र के झंडे के तहत शहरी / ग्रामीण माहौल में आतंकवादी कार्रवाईयों से निपटने के लिए टुकड़ियों को प्रशिक्षित करना और सुसज्जित करना है। युद्धाभ्यास दोनों टुकड़ियों को एक आदर्श मंच प्रदान करता है ताकि वे अपने परिचालन अनुभव और विशेषज्ञता को साझा कर सकें। साथ ही यह युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच पारस्परिकता और सहयोग बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा।

(Adapted From PIB)

8. America's THAAD system in place of Russia's S-400 system- रूस के एस-400 की जगह अमेरिक का थाड! (Relevant for GS Prelims; IOBR)

भारत को रूसी एस-400 टिंफ एयर डिफेंस सिस्टम के बदले अमेरिका अपना थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अमेरिकी सहायक रक्षा मंत्री रैंडल श्रीवर ने यह जानकारी अमेरिकी संसद की रक्षा मामलों की समिति को दी है।

एस-400 अमेरिका कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा

श्रीवर ने संकेत दिया कि एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए भारत और रूस के बीच हुए 5।4 अरब डॉलर के सौदे में बाधा डालने के लिए वह अमेरिका कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। वैसे रूस के साथ किसी रक्षा सौदे या संबंध पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस प्रतिबंध में रूस के साथ ही सौदा या सहयोग करने वाले देश पर भी कार्रवाई का प्रावधान है।

अमेरिका का प्रस्ताव

लेकिन भारत के मामले में अमेरिकी सरकार ने ठंडा रुख अपना रखा है। इसे भारत के साथ हाल के वर्षो में निरंतर बेहतर हुए अमेरिकी रिश्तों को कारण माना जा रहा है। लेकिन श्रीवर ने कहा, एस-400 सौदे पर भारत का आगे बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण कदम होगा। इसीलिए हम भारत के साथ वैकल्पिक सौदा करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। उन्होंने बताया कि हंिदू-प्रशांत क्षेत्र के अमेरिकी सेना के कमांडर एडमिरल फिलिप डेविडसन इस सिलसिले में रूपरेखा तैयार कर रहे हैं।

श्रीवर ने कहा, हम भारत के साथ अपने मजबूत होते संबंधों के मद्देनजर यह सौदा करना चाहते हैं। भारत को हम बेहतर डिफेंस सिस्टम देना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि चीन की बढ़ती ताकत के मद्देनजर अमेरिका के लिए हंिदू-प्रशांत महासागर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। यहां पर वह भारत की मदद से आगे बढ़ना चाहता है।

(Adapted from Jagran.com)

9. Sharda mandir corridor- PoK में अभी नहीं खुलेगा शारदा मंदिर कॉरिडोर (Relevant for GS Prelims & Mains Paper II; IOBR)

पाकिस्तान का कहना है कि उसके कब्जे वाले कश्मीर में भारत के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए शारदा मंदिर कॉरिडोर खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। ऐसे कदम उठाने के लिए "सकारात्मक माहौल" होना चाहिए। इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर में कहा गया था कि पाकिस्तानी सरकार ने एक कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिससे भारत के हिंदू श्रद्धालुओं को प्राचीन हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक स्थल तक जाने का मौका मिलेगा।

एक साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने इस खबर को खारिज करते हुए कहा, "मेरी जानकारी के मुताबिक, अभी शारदा मंदिर कॉरिडोर खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया।" उन्होंने कहा, "ऐसे सभी मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए एक सकारात्मक माहौल की जरुरत होती है।"

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी खबर में पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के, नेशनल असेंबली सदस्य रमेश कुमार के हवाले से कहा था, "पाकिस्तान ने शारदा मंदिर खोलने का फैसला किया है। मौजूदा वर्ष से परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा जिसके बाद पाकिस्तान में हिंदू भी इस स्थल का दौरा कर सकेंगे।"

बता दें, 237 ईसा पूर्व, सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान स्थापित शारदा पीठ करीब 5,000 साल पुराना मंदिर है। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों के तीन प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है। उनके दो अन्य पवित्र स्थल अमरनाथ मंदिर और अनंतनाग स्थित मार्तंड सूर्य मंदिर हैं। कश्मीर पंडितों के संगठन बरसों से शारदा पीठ कॉरिडोर खोले जाने की मांग कर रहे हैं।

(Adapted frpm ndtv.khabar.com)

अर्थशास्त्र

1. प्रधानमंत्री जी-वन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के लिए वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोसेलुलॉसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती हैं, के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है।

वित्तीय प्रभावः

जी-वन योजना के लिए 2018-19 से 2023-24 की अवधि में कुल 1969.50 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल 1969.50 करोड़ रुपये की राशि में से 1800 करोड़ रुपये 12 वाणिज्यिक परियोजनाओं की मदद के लिए, 150 करोड़ रुपये प्रदर्शित परियोजनाओं के लिए और बाकी बचे 9.50 करोड़ रुपये केन्द्र को उच्च प्रौद्योगिकी प्रशासनिक शुल्क के रूप में दिए जाएंगे।

विवरणः

इस योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 इथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी।

1. पहला चरण (2018-19 से 2022-23)- इस अवधि में 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी।
2. दूसरा चरण (2020-21 से 2023-24)- इस अवधि में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को मदद की व्यवस्था की गई है।

• परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है। इसके लिए उसे वाणिज्यिक परियोजनाएं स्थापित करने और अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।

• ईबीपी कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मदद पहुंचाने के अलावा निम्नलिखित लाभ भी होंगे।

1. जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाने की भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना।
2. जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प लाकर उत्सर्जन के सीएचजी मानक की प्राप्ति।

3. बायोमास और फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का समाधान और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
4. दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
5. बायोमास कचरे और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण की समुचित व्यवस्था कर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना।
6. दूसरी पीढ़ी के बायोमास को इथेनॉल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने की विधि का स्वदेशीकरण।

• योजना के लाभार्थियों द्वारा बनाए गए इथेनॉल की अनिवार्य रूप से तेल विपणन कम्पनियों को आपूर्ति, ताकि वे ईबीपी कार्यक्रम के तहत इनमें निर्धारित प्रतिशत में मिश्रण कर सके।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2022 तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इथेनॉल की कीमत ज्यादा रखने और इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद 2017-18 के दौरान इथेनॉल की खरीद 150 करोड़ लीटर ही रही, हालांकि यह देशभर में पेट्रोल में इथेनॉल के 4.22 प्रतिशत मिश्रण के लिए पर्याप्त है। इथेनॉल इसी वजह से बायोमास और अन्य कचरों से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्राप्त करने की संभावनाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तलाशी जा रही हैं। इससे ईबीपी कार्यक्रम के तहत किसी तरह होने वाली कमी को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी-वन योजना इसी को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है। इसके तहत देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल क्षमता विकसित करने और इस नए क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।

इस योजना को लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक तकनीकी इकाई सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है। इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक प्रोजेक्ट डेवलपरों को अपने प्रस्ताव समीक्षा के लिए मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति को सौंपने होंगे। समिति जिन परियोजनाओं की अनुशंसा करेगी उन्हें मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

पृष्ठभूमिः

भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके जरिए पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है। वर्तमान में ईबीपी 21 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कम्पनियों के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है। मौजूदा नीति के तहत पेट्रोकेमिकल के अलावा मोलासिस और नॉन फीड स्टाक उत्पादों जैसे सेलुलोसेस और लिग्नोसेलुलोसेस जैसे पदार्थों से इथेनॉल प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

2. कैबिनेट ने आधार एवं अन्य कानूनों के प्रख्यापन (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को मंजूरी दी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आधार अधिनियम 2016, काला धन शोधन रोकथाम 2005 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश के प्रख्यापन को मंजूरी दी है। प्रस्तावित संशोधन वैसे ही हैं जैसे 4 जनवरी, 2019 को लोकसभा द्वारा पारित विधेयक में निहित हैं।

प्रभाव:

ये संशोधन यूआईडीएआई को जनहित की सेवा करने एवं आधार के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए अधिक मजबूत तंत्र की स्थापना करने में सक्षम बनायेंगे। इस संशोधन के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से सत्यापन की प्रक्रिया के लिए आधार संख्या रखने का प्रमाण उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जबतक कि संसद द्वारा बनाये गए किसी कानून द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जाता।

इन संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

-आधार नंबर धारक की सहमति से ऑफलाइन सत्यापन के प्रमाणीकरण द्वारा भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार संख्या के स्वैच्छिक उपयोग का प्रावधान करता है

- किसी व्यक्ति के वास्तविक आधार नंबर को छुपाने के लिए 12 संख्या के आधार नंबर एवं इसकी वैकल्पिक आभासी पहचान के उपयोग का प्रावधान करता है

-उन बच्चों को, जो आधार कार्डधारी हैं, 18 वर्ष पूरे हो जाने पर अपना आधार नंबर रद्द करने के विकल्प का प्रावधान करता है

-संस्थाओं को केवल तभी प्रमाणीकरण करने की अनुमति देता है जब वे प्राधिकारी द्वारा निर्दिश्ट गोपनीयता एवं सुरक्षा मानदंडों के अनुपालक हों, और प्रमाणीकरण की अनुमति संसद द्वारा बनाये गए किसी कानून के तहत दी जा सकती है या वे केंद्र सरकार द्वारा देश के हित में अनुशंसित हो

- स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या के उपयोग की अनुमति देता है जैसाकि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 एवं काला धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वीकार्य है

-निजी संस्थाओं द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 के विलोपन का प्रस्ताव रखता है

-यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंड की स्थापना के लिए प्रावधान करता है

-आधार पारिस्थितिकी तंत्र में कंपनियों द्वारा आधार अधिनियम एवं प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में नागरिक दंड, इसके अधिनिर्णय एवं संबंधित अपील का प्रावधान करता है।

पृष्ठभूमि:

सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 के डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 494 में दिनांक 26.09.2018 के अपने निर्णय एवं अन्य चिन्हित याचिकाओं में आधार को संवैधानिक रूप से वैध माना। तथापि, इसने आधार अधिनियम एवं विनियमनों के कुछ हिस्सों को वैध नहीं माना एवं गोपनीयता के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई अन्य निर्देश दिए।

इसके बाद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी दुरुपयोग की स्थिति में आधार धारकों के व्यक्तिगत डाटा की रक्षा हो और आधार योजना संविधान के अनुरूप बनी रहे, सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों एवं डाटा सुरक्षा पर न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) की रिपोर्ट के अनुसार आधार अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और काला धन शोधन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया।

इस दिशा में, आधार एवं अन्य कानून (संशोधनों) विधेयक, 2018 को लोकसभा द्वारा 4 जनवरी, 2019 को आयोजित इसकी बैठक में पारित कर दिया गया। तथापि, इससे पहले कि राज्य सभा द्वारा इस पर विचार किया जाता और पारित किया जाता, राज्य सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई।

(Adapted from PIB)

3. मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को मंजूरी दी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को मंजूरी दी।

लाभ

नई राष्ट्रीय खनिज नीति अधिक प्रभावी नियमन सुनिश्चित करेगी। यह खनन क्षेत्र के स्थायी विकास में सहायता प्रदान करेगी तथा इससे परियोजना से प्रभावित होनेवाले लोगों विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के बेहतर समाधान में मदद मिलेगी।

उद्देश्य

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है जो बेहतर पारदर्शिता, नियमन और कार्यान्वयन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधि खनन अभ्यासों को समर्थन प्रदान करती है।

ब्यौरा

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो खनन क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करेंगे, जैसे-

- आरपी/पीएल धारकों के लिए पहले अस्वीकार के अधिकार की शुरूआत
- अन्वेषण कार्य के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना
- राजस्व-साझा के आधार पर समग्र आरपी-सह-पीएल-सह-एमएल के लिए नये क्षेत्रों में नीलामी
- खनन कंपनियों में विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन तथा खनन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए खनन-पट्टों के हस्तांतरण की अनुमति तथा समर्पित खनिज कॉरीडोर का निर्माण

• 2019 नीति में प्रस्ताव दिया गया है कि खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। इससे निजी क्षेत्र को खनन-संपत्ति अधिग्रहण के लिए वित्त पोषण प्राप्त होगा।
• यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति के निर्माण से निजी क्षेत्र बेहतर नीतियां बनाने में सक्षम होगा और व्यापार में स्थिरता आएगी।
• नीति में सार्वजनिक उपक्रमों को दिए गए आरक्षित क्षेत्रों को भी युक्तिसंगत बनाने का उल्लेख किया गया है। ऐसे क्षेत्रों जहां खनन गतिविधियों की शुरूआत नहीं हुई है की नीलामी होनी चाहिए। इससे निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए अधिक अवसर प्राप्त होंगे।
• नीति में निजी क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए वैश्विक मानदंडों के आधार पर टैक्स, लेवी और रॉयल्टी को युक्तिसंगत बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में कुछ बदलाव किये गए हैं जैसे नीति के विजन के रूप में मेक इन इंडिया और लैंगिक समानता पर विशेष ध्यान देना। खनिजों के विनियमन के लिए ई-प्रशासन, आई-टी सक्षम प्रणाली, जागरूकता तथा सूचना अभियान आदि को शामिल किया गया है। स्वीकृति मिलने में विलंब होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल में ऐसे प्रावधान शामिल किये गए हैं जिससे उच्च-स्तर पर मामलों को निपटाया जा सकेगा। एमएनपी, 2019 का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना है और इसके लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। खनन पट्टा-भूमि प्रणाली के तहत खनिज संसाधनों तथा पट्टे पर दी गई भूमि का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। नई नीति के तहत खनिजों के परिवहन के लिए तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। नीति में खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित खनिज कॉरीडोर का उल्लेख किया गया है। परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और निवासियों के न्यायसंगत विकास के लिए जिला खनिज निधि के उपयोग की बात कही गई है। एमएनपी, 2019 में खनिज क्षेत्र के लिए लंबी अवधि के आयात-निर्यात नीति का प्रस्ताव दिया गया है। इससे खनिज गतिविधि में स्थिरता आएगी और बड़े पैमाने पर होने वाली वाणिज्यिक खनिज गतिविधि में निवेश आकर्षित होगा।

नीति, 2019 में अंतर-पीढी समानता के विचार का उल्लेख किया गया है। इसके तहत वर्तमान पीढ़ी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के कल्याण की बात कहीं गई है। नीति में अंतर-मंत्रालय निकाय के गठन का भी उल्लेख है जो सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।

(Adapted from PIB)

4. क्रिकेट सट्टेबाज संजीव चावला का होगा भारत प्रत्यर्पण (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र- III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

ब्रिटेन ने प्रत्यर्पण की अनुमति दी

वर्ष 2000 में क्रिकेटर हेंसी क्रोन्ये से जुड़े मैच फिक्सिंग मामले में आरोपित बुकी संजीव चावला के भारत प्रत्यर्पण को हरी झंडी मिल गई है। अब ब्रिटिश नागरिक बन चुके चावला के खिलाफ यह आदेश ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने दिये हैं।

ब्रिटेन के गृह विभाग ने इस बात की पुष्टि करते हुए चावला को भारत भेजे जाने का रास्ता साफ कर दिया। कैबिनेट मंत्री जाविद ने भारत-ब्रिटेन की प्रत्यर्पण संधि के तहत चावला के भारत प्रत्यर्पण के आदेश पर विगत 27 फरवरी, 2019 को दस्तखत किए थे। इससे पहले, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस साल पूर्ववर्ती फैसले के खिलाफ कहा कि संजीव चावला के प्रत्यर्पण में कोई अड़चन नहीं है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि 50 वर्षीय संजीव चावला ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ कोई याचिका दायर की है या नहीं।

दूसरा प्रत्यर्पण मामला

ब्रिटेन के गृह कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2000 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के मैच-फिक्सिंग स्कैंडल में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैंसी क्रोन्ये से जुड़े मामले में संजीव चावला प्रमुख आरोपित है। ध्यान रहे कि पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश मंत्री जाविद ने भारत के लिए यह दूसरे प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। इससे पहले विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण के फैसले को मंजूरी दी थी।

कैसे प्रत्यर्पण संभव हुआ?

उल्लेखनीय है कि संजीव चावला के जून, 2016 में गिरफ्तार होने के बाद से उसके खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई चली है। अक्टूबर, 2017 में लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर कोर्ट में प्रत्यर्पण के लिए प्रारंभिक सुनवाई हुई थी। इसमें संजीव चावला की मानवाधिकारों की दुहाई को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली की तिहाड़ जेल उपयुक्त नहीं है, जहां उसे रखा जाना है। लेकिन इस फैसले को ब्रिटेन के सरकारी पक्ष (क्राउन प्रासेक्यूशन सर्विस) ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट में चुनौती दी और भारतीय प्रशासन की ओर से आग्रह किया। लिहाजा, पिछले साल नवंबर में रायल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत सरकार की अपील को मंजूर किया और वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जिला जज को निर्देशित किया कि वह आदेश की समीक्षा करे। हाईकोर्ट के जजों ने भारत सरकार के आश्वासनों को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि आरोपित को उचित और सुरक्षित जेल में रखा जाएगा। जहां साफ-सफाई और उसे अकेले रखने की पूरी व्यवस्था होगी। भारत ने चिकित्सकीय सुविधाओं की भी गारंटी दी है। लिहाजा इस साल जनवरी में निचली अदालत ने ताजा आदेश चावला के भारत प्रत्यर्पण के पक्ष में दिया है।

चावला कौन है?

अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, चावला दिल्ली में जन्मा कारोबारी है। वह 1996 में बिजनेस वीजा पर ब्रिटेन आ गया था। उसके बाद वह बीच-बीच में भारत जाता रहा था। 2000 में उसका भारतीय पासपोर्ट रद होने के बाद उसने वर्ष 2005 में ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर लिया था।

क्या है मैच फिक्सिंग मामला

ब्रिटिश कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान हैंसी क्रोन्ये से जनवरी-फरवरी 2000 में संजीव चावला को मिलवाया गया था। चावला और एक अन्य व्यक्ति ने तब कोन्ये को सुझाव दिया था कि अगर वह कुछ क्रिकेट मैच हार जाए तो उसे मोटी रकम हासिल हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे के समय क्रोन्ये को बकाया धनराशि दी गई थी। चावला पूरे मामले में क्रोन्ये के सीधे संपर्क में था। इस पूरे मामले का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया था, जिसके बाद क्रिकेट की दुनिया में सनसनी फैल गई थी। मैच फिक्सिंग के इस प्रकरण से क्रिकेट की साख पर खासा असर पड़ा था, जिसके बाद तमाम देशों ने अपने-अपने स्तर पर भी खिलाड़ियों की जांच कराई थी।

5. आइएलएंडएफएस के कर्ज में ही गड़बड़झाला (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

संकट में फंसे इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) ग्रुप द्वारा दिए गए कर्ज में गड़बड़झाला होने की बात सामने आई है। समूह द्वारा कराए गए विशेष ऑडिट में अकाउंटिंग और कंसल्टेंसी फर्म ग्रांट थॉन्टन ने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज में गड़बड़ी होने की बात कही है। आइएलएंडएफएस ग्रुप पर 94,000 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।

विशेष ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है?

विशेष ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे 29 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें ऐसा लगता है कि ग्रुप द्वारा किसी कंपनी को दिए गए लोन का उपयोग उसकी सहायक कंपनियों ने आइएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आइएफआइएन) का कर्ज उतारने में किया। रिपोर्ट के मसौदे में कहा गया है कि ग्रुप के 2,502 करोड़ रुपये के कर्ज में इस प्रकार की गड़बड़ी दिखी है। यह रिपोर्ट एक अप्रैल 2013 से 30 सितंबर 2018 के बीच आइएलएंडएफएस लिमिटेड और उसकी कुछ सहायक कंपनियों द्वारा दिए गए बड़े कर्जों पर तैयार की गई है।

रिपोर्ट में ऐसे 18 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें ऐसी कंपनियों के लिए कर्ज को मंजूरी दी गई, जिनके संकट में आ सकने की संभावना मीडिया रिपोर्ट्स में जताई गई थी। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि रिस्क टीम द्वारा नकारात्मक मूल्यांकन किए जाने के बावजूद इस तरह के मामलोंमें 2,400 करोड़ रुपये से अधिक के लोन दिए गए।

ग्रांट थॉन्टन ने 10 बड़ी अनियमितताओं की ओर इशारा किया है और कहा है कि इनमें कुल 13,290 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। रिपोर्ट में ऐसे कई मामले बताए गए, जिनमें 541 करोड़ रुपये के लोन छोटी अवधि के लिए दिए गए थे, लेकिन इसका उपयोग लंबी अवधि के लक्ष्यों में किए जाने की संभावना दिखती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के ब्योरे की समीक्षा की और फंड के अंतर पर ध्यान दिया। इसके मुताबिक ऐसा लगता है कि मई 2013 के बाद से ही आइएफआइएन की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई थी और उसे पहले मंजूर की जा चुकी कर्ज प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए खुद कर्ज लेना पड़ रहा था। जुलाई 2018 में फंड का अंतर काफी बढ़ गया था। आइएलएंडएफएस के तत्कालीन चेयरमैन रवि पार्थसारथी ने 21 जुलाई 2018 को इस्तीफा दिया था।

रिपोर्ट में ऐसे 16 मामलों का हवाला दिया गया है, जिनमें खराब वित्तीय हालत वाली कंपनियों के लिए 1,922 करोड़ रुपये के कर्ज मंजूर किए गए और इनमें से सात को दिए गए कर्ज को बाद में राइट ऑफ कर दिया गया। अगस्त के आखिरी सप्ताह से ग्रुप की कई कंपनियों ने कर्ज का भुगतान करने में कई डिफॉल्ट किए हैं।

(Adapted from Jagran.com)

6. सरकार ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्धन के जरिए चीनी क्षेत्र और गन्ना किसानों की सहायता के उपाय किए (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 'चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना' के तहत 268 आवेदनों / प्रस्तावों के लिए बैंकों द्वारा चीनी मिलों को दिए गए 12900 करोड़ रुपये के सांकेतिक ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 2790 करोड़ रुपये की निधि को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सीसीईए ने जून, 2018 में पहले ही 1332 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान राशि को मंजूरी दे दी थी।

सीसीईए ने बैंकों द्वारा इथेनॉल उत्पादन के साथ ही नए स्टैंडअलोन डिस्टिलरीज स्थापित करने और वर्तमान डिस्टिलरीज में जेडएलडी हासिल करने के लिए इंसीनरेशन बॉयलर्स लगाने और अन्य विधियों के माध्यम से शीरा आधारित डिस्टिलरीज को 2600 करोड़ रुपये के सांकेतिक ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 565 करोड़ रुपये की भी स्वीकृति दी है। इसके अनुसार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरीज के लिए एक अलग योजना तैयार की जाएगी।

सीसीईए द्वारा जून, 2018 में अनुमोदित पहले की योजना के साथ ही चीनी क्षेत्र की सहायता की दृष्टि से और गन्ना किसानों के हित में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीईए ने आज बैंकों के माध्यम से चीनी मिलों और शीरा आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरिज को लगभग 15500 करोड़ रुपये के सुलभ ऋण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह ऋण इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के तहत दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार एक वर्ष की ऋण स्थगन अवधि सहित पांच वर्ष के लिए 3355 करोड़ रुपये की ब्याज अनुदान राशि का वहन करेगी। सीसीईए के इस निर्णय के बाद अधिसूचित की जा रही योजना के कार्यान्वयन और जून, 2018 में सीसीईए द्वारा अनुमोदित पहले की योजना के परिणामस्वरूप देश में इथेनॉल उत्पादन की अधिकता के दौरान चीनी की अधिकता के वैकल्पिक इस्तेमाल की पर्याप्त क्षमता होगी।

सरकार ने वर्ष 2018 में जैव-ईंधन राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की, जिसके तहत अधिकता वाले मौसम में इथेनॉल के उत्पादन के लिए बी-भारी शीरा और गन्ने के रस का उपयोग किया जा सकता है। इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और इथेनॉल उत्पादन में चीनी के वैकल्पिक इस्तेमाल करने के लिए पहले स्वीकृत योजना में नई डिस्टलरी स्थापित / मौजूदा डिस्टिलरीज का विस्तार और इंसीनरेशन बॉयलर लगाने या जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी विधि की स्थापना के वास्ते बैंकों के माध्यम से सुलभ ऋण दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 1332 करोड़ रुपये के ब्याज अनुदान की मंजूरी दी थी। सरकार ने उस योजना के तहत 114 चीनी मिलों को लगभग 6139 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी।

हालांकि, देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और संवर्धन के लिए सरकार ने अब यह फैसला किया है कि नई डिस्टिलरी / मौजूदा डिस्टिलरिज के विस्तार और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी विधि की स्थापना के लिए कुछ और चीनी मिलों को 12900 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण दिया जाए, जिसके लिए सरकार 2790 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान वहन करेगी। इस उपाय से लगभग 268 चीनी मिलों के लाभन्वित होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, इथेनॉल उत्पादन क्षमता और अधिक बढ़ाने के लिए बैंकों द्वारा नई डिस्टिलरी / मौजूदा डिस्टिलरिज के विस्तार और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी विधि की स्थापना के लिए 2600 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण देने का भी निर्णय लिया गया है, जिसके लिए सरकार 565 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान वहन करेगी।

इस निर्णय से इथेनॉल के मिश्रण के लिए सम्मिश्रण लक्ष्य और राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी तथा इथेनॉल उत्पादन के लिए बी-भारी शीरा और गन्ने के रस के इस्तेमाल से चीनी स्टॉक कम होगा। यह इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत इथेनॉल की आपूर्ति से राजस्व बढ़ने के कारण चीनी मिलों में नगदी बढ़ेगी, जिससे वे किसानों का बकाया गन्ना मूल्य चुका सकेंगे।

लाभ:

ब्याज अनुदान की मंजूरी से मदद मिलेगी:

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (ईबीआर) के तहत इथेनॉल की आपूर्ति से अधिक राजस्व के माध्यम से चीनी मिलों में नगदी बढ़ेगी;

- चीनी स्टॉक कम होगा और जिससे किसानों का बकाया गन्ना मूल्य समय पर चुकाया जा सकेगा
- ईबीपी का 10% सम्मिश्रण लक्ष्य प्राप्त करना।

(Adapted from PIB)

7. काली जमा योजनाओं के कारोबार पर पाबंदी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

अनियमित जमा योजनाओं, पोंजी और चिटफंड योजनाओं को एक अध्यादेश के जरिये केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। पूर्व में यह कानून लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। इस नए अध्यादेश के तहत वैसी जमा योजनाओं की जांच की जाएगी, जिसके जरिये गरीब, निरक्षर एवं गैर-जागरूक लोगों से पैसा ठगने का काम किया जा रहा है। इस अध्यादेश से बिना पंजीकरण के अवैध रूप से चलाई जा रही जमा योजनाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अध्यादेश के प्रावधानों के मुताबिक वैध जमा निकायों की सूची तैयार करने एवं गरीबों को वित्तीय रूप से जागरूक करने का भी काम किया जाएगा, क्योंकि ऐसी योजनाओं की मदद से काला कारोबार करने वालों की गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी।

नए अध्यादेश के प्रावधानों में हर उस निकाय के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है जो आम आदमी से जमा लेने का कारोबार करता है। नए अध्यादेश के अस्तित्व में आने के बाद से गैर पंजीकृत निकायों द्वारा जमा लेने पर रोक लगा दी गई है। अगर कोई निकाय अध्यादेश में मौजूद निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई किए जाने का प्रावधान अध्यादेश में है। अध्यादेश के प्रावधान किसी एजेंट या विज्ञापन के जरिये धोखाधड़ी करने पर भी रोक लगाते हैं। अब गैर पंजीकृत निकाय अखबारों या टीवी में अपनी योजना के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन नहीं दे सकेंगे।

अध्यादेश के प्रमुख प्रावधान

अध्यादेश के लागू होने से अनियमित जमा योजनाएं पूरी तरह गैर-कानूनी हो गई हैं। इसमें अनियमित जमा योजनाएं चलाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसमें वसूली के भी प्रावधान किए गए हैं। इस अध्यादेश का मकसद देश में फर्जी योजनाओं की मदद से ठगी करने से जुड़ी समस्याओं से निपटना है। आम तौर पर ऐसी योजनाएं चला रही कंपनियां नियामक के स्तर पर मौजूद खामियों का फायदा उठाती हैं। कड़े कानूनों के अभाव में चिटफंड या पोंजी योजनाओं में निवेश करने वालों को ठगा जा रहा है। अध्यादेश में नियमित तौर पर जमा योजनाओं से जुड़ा एक ऑनलाइन डाटा बेस तैयार करने की भी बात कही गई है। जरूरत पड़ने पर दोषी व्यक्ति की संपत्ति को बेचकर जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने का प्रावधान भी इस अध्यादेश में है। इसमें इस तरह की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने वाले मशहूर शख्सियतों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है।

कानून बनाने के पूर्व प्रयास

अनियमित जमा और बचत योजनाओं को गैर-कानूनी बनाने संबंधी अनियमित जमा योजना पाबंदी विधेयक- 2018 को पिछले वर्ष लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं होने की वजह से यह कानून का रूप नहीं ले सका। इस विधेयक का मकसद अनियमित जमा व बचत योजनाओं वाली चिटफंड कंपनियों एवं पोंजी योजनाओं पर रोक लगाना था।

चिटफंड योजना का इतिहास

चिटफंड योजनाओं की शुरुआत एक बचत योजना के रूप में केरल में किसानों के एक समूह द्वारा की गई थी। व्यवस्थित रूप से वर्ष 1830 से 1835 के दौरान यह प्रचलन में आया था। इस तरह यह एक विशुद्ध भारतीय अवधारणा है, लेकिन आज इसका संचालन विश्व के कई अन्य देशों में भी किया जा रहा है। चीन में यह चीनी लॉटरी के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था श्रीलंका और म्यांमार में भी प्रचलन में है।

योजना को मूर्त रूप देने की विधि

चिटफंड एक्ट 1982 के तहत चिटफंड से जुड़े व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के बीच एक समझौता किया जाता है जिसमें एक निश्चित रकम या वस्तु एक निश्चित समय में किस्तों में जमा की जाती है। फिर उसे नीलामी के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है जिसे लौटाने के प्रावधान होते हैं। इसके जरिये प्राप्त लाभ की राशि को अन्य सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। चिटफंड एक्ट के अनुसार इस योजना को किसी संस्था या व्यक्ति के जरिये आपसी संबंधियों या दोस्तों के बीच चलाया जाता है, लेकिन इसके माध्यम से ठगी का काम भी किया जाता है। कई बार यह पोंजी योजना में तब्दील हो जाता है।

चिटफंड योजना के जरिये ठगी

आम तौर पर चिटफंड कंपनियां पांच साल में पैसा दोगुना करने का लालच निवेशकों को देती हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ कई बार कार्रवाई की है, पर वे रक्तबीज की तरह फिर से खड़े हो जाते हैं।

ऐसी कंपनियों का साम्राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में फैला हुआ है। सेबी और रिजर्व बैंक के अनुसार मध्य प्रदेश में एक भी चिटफंड कंपनी पंजीकृत नहीं है। बावजूद इसके सैकड़ों फर्जी कंपनियां वहां सक्रिय हैं। हाई

कोर्ट ने मध्य प्रदेश में चिटफंड कंपनियों को प्रतिबंधित कर रखा है। आलीशान दफ्तर, एजेंट के शानदार रहन-सहन और जमा रकम को दो से तीन गुना करके देने के दावे के जरिये ये कंपनियां मुख्य रूप से छोटे शहरों एवं कस्बाई इलाकों के लोगों को झांसे में लेते हैं।

क्यों नहीं होती कार्रवाई

यह देखा गया है कि चिटफंड कंपनियां रिश्वत और राजनीतिक संरक्षकों की मदद से पुलिस कार्रवाई से बच जाती हैं। हालांकि जब मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है तो सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2014 से मई 2018 के बीच इस तरह की योजनाओं में ठगी के 978 मामले सामने आए थे जिनमें से अकेले 326 पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़े थे। बीते दिनों स्थिति बदतर होने के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार थोड़ी सख्त हुई और कार्रवाई शुरू हुई।

पश्चिम बंगाल और ओडिशा में रोज वैली द्वारा पोंजी योजना के माध्यम से 60,000 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है, जबकि पश्चिम बंगाल की शारदा समूह पर 10 लाख लोगों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाने का आरोप है।

दस लाख से अधिक चिटफंड कंपनियां

देश में सक्रिय गैर पंजीकृत चिटफंड कंपनियों का आकलन कर पाना संभव नहीं है, लेकिन ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ चिटफंड्स के एक अनुमान के मुताबिक 10 लाख से अधिक ऐसी कंपनियां देश में सक्रिय हैं। वर्ष 2013 तक गैर पंजीकृत चिटफंड कंपनियों का आकार तीस लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का था, जबकि पंजीकृत चिटफंड कंपनियों का आकार महज तीस हजार करोड़ रुपये का था। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रलय के मुताबिक अक्टूबर 2014 तक भारत में कुल 5,000 चिटफंड कंपनियां पंजीकृत थीं।

क्या है पोंजी योजना

इसका नामकरण इटली के चार्ल्स पोंजी नामक व्यक्ति के नाम पर हुआ था। पोंजी ने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद यूरोपीय मौद्रिक व विनिमय अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए अमेरिका में पोंजी नाम से योजना शुरू की। उसने कई देशों में निवेश पर अधिक प्रतिफल का लालच देकर लोगों को ठगा। कालांतर में पोंजी ने एक कंपनी बनाई जिसमें हजारों निवेशकों ने पैसा लगाया। निवेशकों का पैसा डूबने पर योजना के ज्यादा कुख्यात होने पर वर्ष 1964 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने अपनी डिक्शनरी में इस शब्द को शामिल किया था।

लोगों के ठगे जाने से अब होगा बचाव

मौजूदा समय में चिटफंड कंपनियां, पोंजी योजनाओं एवं अन्य अनियमित योजनाओं के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस की कमियों और नियामकीय चूकों का फायदा उठाकर ऐसी कंपनियां फर्जीवाड़े को अंजाम दे रही हैं। जमीन, सोना, नए कारोबार आदि में निवेश जैसी फर्जी योजनाओं के माध्यम से घोटालेबाज लोगों को फांस रहे हैं। एक तरह से यह सपने दिखाकर लूटने का कारोबार है। देर से ही सही, पर सरकार ने इन जमा योजनाओं, पोंजी और चिटफंड योजनाओं पर लगाम लगाने के लिए 21 फरवरी को एक अध्यादेश को अमलीजामा पहनाया है। माना जा रहा है कि इसके कड़े प्रावधानों की वजह से लाखों लोग ठगे जाने से बच सकेंगे।

पोंजी योजनाओं की कैसे करें पहचान

पोंजी योजना की पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी कोई निश्चित रूप-रेखा नहीं होती है। हालांकि ऐसी निवेश योजनाओं में सतर्कता और विवेक का इस्तेमाल करने से ठगी से बचा जा सकता है। यदि कोई योजना अधिक प्रतिफल देने का लालच दे रही है तो निवेश से पहले सतर्कता बरतें। अगर कोई कंपनी किसी योजना को सरकारी नियमों के तहत संचालित किए जाने का दावा बार-बार कर रही है तो उसमें फर्जीवाड़े की गुंजाइश हो सकती है। यदि किसी योजना में सामान्य से बहुत अधिक दर से प्रतिफल देने का दावा किया जा रहा है तो वह फर्जी हो सकता है। ऐसी स्थिति में पूरी जांच-पड़ताल के बाद ही निवेश करना चाहिए।

पोंजी योजना के तहत निवेश पर आकर्षक प्रतिफल का लालच देकर लोगों को ठगा जाता है। जमा योजनाओं द्वारा ठगी को अंजाम देने के लिए कंपनियां सतर्कता से काम करती हैं। सबसे पहले वैसे स्थानीय व्यक्ति का चयन किया जाता है जो बेरोजगार हो, पर इलाके में उसकी छवि अच्छी हो। आम तौर पर 85 प्रतिशत लोग भरोसे या पहचान के कारण इस तरह की योजनाओं में निवेश करते हैं। परिवार के किसी सदस्य के आग्रह पर भी ऐसी योजनाओं में निवेश करने के मामले देखे जाते हैं। अमूमन ऐसी योजनाओं का प्रचार-प्रसार नामचीन लोग करते हैं जिससे आम लोगों का भरोसा इस पर अटूट होता है। शुरुआत में निवेशकों को अच्छा प्रतिफल दिया जाता है। जब लोगों को कंपनी पर भरोसा हो जाता है तो कंपनियां अपना कारोबार समेटकर गायब हो जाती हैं। वर्तमान में पोंजी योजनाओं का जाल देश के दूरदराज के इलाकों तक फैला हुआ है। आम तौर पर छोटे एवं मझोले किसान व मजदूर वर्ग ऐसी योजनाओं के झांसे में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोआ, उत्तराखंड एवं पंजाब के किसानों ने एमु (एक खास प्रकार के विदेशी पक्षी) फार्मिंग के नाम पर बड़ी संख्या में अपनी पूंजी से हाथ धोया है।

8. प्राइवेट हुआ आइडीबीआइ बैंक (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी 51 फीसद हिस्सेदारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने आइडीबीआइ बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रख दिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) के आइडीबीआइ बैंक में अधिकांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद यह कदम उठाया गया है। एलआईसी ने संकट में फंसे आईडीबीआई बैंक में नियंत्रणकारी 51 फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण जनवरी में पूरा किया था। आरबीआइ ने एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक ने नियामकीय मकसद से 21 जनवरी 2019 से आइडीबीआइ बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा है। एलआइसी के आइडीबीआइ बैंक में चुकता शेयर पूंजी का 51 फीसद अधिग्रहण के बाद बैंक को निजी श्रेणी में डाला गया है।

तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई प्रारूप के अंतर्गत

आइडीबीआइ बैंक को आरबीआइ के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई प्रारूप के अंतर्गत रखा गया है। यह प्रारूप बैंकों को कॉरपोरेट कर्ज देने, शाखा विस्तार करने, वेतन वृद्धि करने तथा कई अन्य नियमित कार्य करने पर रोक लगाता है। बैंक ने हालांकि अपने नए शेयरधारक एलआइसी के साथ मिलकर बैंक तथा बीमा को एक छत के नीचे लाने की एक पुनरुद्धार रणनीति तैयार की है।

(Adapted from Jagran.com)

9. सबको बिजली का लक्ष्य हासिल (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

देश के सभी घरों को बिजली से रोशन करने का स्वप्न अब हकीकत का स्वरूप लेता दिख रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश के 99 फीसद से अधिक परिवारों को बिजली की सुविधाओं से जोड़ा जा चुका है। अब केवल नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों को ही विद्युतीकरण प्रक्रिया से जोड़ा जाना शेष है, जिन्हें जल्द ही इस प्रक्रिया से जोड़ दिए जाने की उम्मीद है! वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश के करीब ढाई करोड़ घरों को विद्युतीकरण के लिए चिन्हित किया गया था। इस योजना की शुरुआत के बाद केवल 17 महीने में ही ढाई करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराने में सरकार ने कामयाबी हासिल की है। इधर जिन जिलों में एक भी घर बिना बिजली कनेक्शन के नहीं हैं, उन्हें 'सौभाग्य' घोषित किया जा रहा है। वहीं विद्युत विभाग द्वारा इस उपलब्धि पर 'सौभाग्य उत्सव' का आयोजन करके खुशियां मनाई जा रही हैं।

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने पिछले साल देश के हरेक घर को बिजली से रोशन करने के मोदी सरकार के कदम को दुनिया की बेहतरीन कदमों में से एक माना था और मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता और जद्दोजहद की प्रशंसा की थी। देश में सौ फीसद विद्युतीकरण के सपने को साकार करने में मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना की महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय भूमिका रही है।

नरेंद्र मोदी सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर 33 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ 20 नवंबर 2014 को दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आरंभ की थी। इसके तीन वर्ष बाद 25 सितंबर 2017 को महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) की शुरुआत की गई जिसका लक्ष्य 31 मार्च 2019 तक देश के सभी घरों को रोशन करना था। इस योजना के तहत सभी इच्छुक परिवार तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना को आधार बनाया गया और इसमें सूचीबद्ध परिवारों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराया जाने लगा। जिनका नाम जनगणना में नहीं है, उन्हें भी मामूली खर्च के साथ बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस योजना में सरकार 16 हजार करोड़ का निवेश कर रही है। हालांकि इस योजना का प्रारंभिक लक्ष्य 2018 के अंत तक सौ फीसद विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा करना था, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुछ घर छूट जाने के कारण यह लक्ष्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा नहीं हो सका था, जो अब मार्च के अंत तक पूरा हो जाएगा।

बिजली आधुनिक मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है और यह हरेक घर की बहुआयामी जरूरतों को एक सहायक के तौर पर पूरा करती है। बिजली के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिजली की महत्ता की पुष्टि इस बात से ही हो जाती है कि किसी दिन बिजली न आने से हम कितने बेचैन हो उठते हैं। बिजली की वजह से देश में सामाजिक बदलाव भी बड़ी तेजी से हुआ है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बिजली आने से लोगों के जीवन स्तर में तेजी से बदलाव आया है। बिजली सुविधा के विस्तार से देश में शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में लगातार सुधार होता दिखा है। दूसरी तरफ बिजली के प्रयोग से प्रकाश और ऊर्जा के लिए ऊर्जा के परंपरागत स्नोतों पर निर्भरता घटती है, जिससे पर्यावरण की

सुरक्षा होती है। ऊर्जा के परंपरागत या गैर-नवीकरणीय स्नोतों के इस्तेमाल से जो जहरीला धुआं पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, वह बात बिजली के प्रयोग के साथ नहीं दिखती है। चूंकि बिजली हर परिवार की जरूरत है। ऐसे में इसके अभाव का असर वंचित परिवारों में शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार की स्थिति पर भी पड़ता है। हालांकि देश के हरेक घर तक बिजली पहुंचना अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। लेकिन इसके साथ ही ऊर्जा के इस स्नोत के संरक्षण के लिए भी हमें तत्परता दिखानी होगी। यह सही है कि हम व्यक्तिगत तौर पर बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन बिजली बचाकर भी हम इसके उत्पादन में अपना योगदान दे सकते हैं। मौजूदा समय में जब देश ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और विद्युतीकृत इलाकों में भी उपभोक्ताओं को बिजली की अनियमित आपूर्ति परेशान कर रही है, तब ऊर्जा संरक्षण प्रत्येक नागरिक के लिए एक अनिवार्य कर्तव्य बन जाना चाहिए।

वैश्वीकरण के इस युग में ऊर्जा संसाधनों के अत्यधिक दोहन से आज ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संकट के तात्कालिक व दीर्घकालिक प्रभावों से विश्व के अधिकांश राष्ट्र दो-चार हो रहे हैं। इसलिए आज ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। दरअसल प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत हजारों-लाखों वर्षो में तैयार होने वाले ऊर्जा के परंपरागत स्नोतों पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता से ऊर्जा संकट की यह स्थिति उत्पन्न हुई है। चूंकि ऊर्जा के ये संसाधन धरती पर सीमित मात्र में उपलब्ध हैं, इसलिए इसके अत्यधिक दोहन से ये समाप्ति के कगार पर हैं। मौजूदा समय की यह मांग भी है कि अब ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्नोतों के इस्तेमाल पर अधिक जोर देना होगा। विगत कुछ दशकों में बढ़ती जनसंख्या के साथ विद्युत की खपत में काफी वृद्धि हुई है। यह अच्छा है कि पूरा देश विद्युतीकृत हो चुका है। लेकिन देश के हरेक इलाके में बिजली की पर्याप्त सप्लाई करना और बिजली की बर्बादी को रोकना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बहरहाल अगर हम छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें तो ऊर्जा के संरक्षण में बड़ी भूमिका साबित हो सकती है। जैसे हम बिजली बचाकर भी इसके उत्पादन में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। यदि हरेक नागरिक अपने घर में अनावश्यक प्रयोग हो रहे बिजली के उपकरणों पर नियंत्रण रखता है, तो प्रतिदिन कई हजार मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। इस बिजली का प्रयोग उन इलाकों में रोशनी के लिए किया जा सकता है, जो विद्युतीकरण योजना से जुड़े तो हैं, लेकिन बिजली की सप्लाई वहां बहुत कम समय के लिए होती है।

10. Nirav modi arrested in London in PNB Scam: भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार, नहीं मिली जमानत, 29 को अगली सुनवाई (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

पीएनबी घोटाले (PNB Scam) के मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। नीरव मोदी को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां उसने जमानत की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। इस दौरान कोर्ट में नीरव मोदी ने कानून से सहयोग करने का वादा भी किया। गिरफ्तारी के बाद यह उम्मीद जगी है कि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इससे पहले नीरव मोदी (Nirav Modi) की गिरफ्तारी के लिए लंदन की एक अदालत ने वारंट जारी किया था। इसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि नीरव मोदी को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर थी कि लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी (Nirav Modi News) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंटईडी (ED) के अनुरोध पर किया है। बता दें कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi)को हाल ही में लंदन में देखा गया था।

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी को हाल में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा वारंट जारी करने के बारे में सूचित किया गया था और नीरव मोदी को जल्द ही स्थानीय पुलिस (लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस) द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले वारंट जारी किया गया और बाद में ईडी को सूचित किया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद नीरव मोदी जमानत के लिए अदालत के समक्ष लाया जायेगा और उसके प्रत्यर्पण के लिए कानूनी कार्यवाही उसके बाद शुरू होगी।

भगोड़े डायमंड कारोबारी नीरव मोदी को लंदन की सड़कों पर देखे जाने का दावा ब्रिटिश न्यूजपेपर द टेलीग्राफ ने किया था। इतना ही नहीं, अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया था कि नीरव मोदी अब लंदन के ही एक इलाके में हीरा का कारोबार चला रहा है। अखबार द्वारा साझा की गई दो मिनट के वीडियो क्लिप में भारत का वांटेड नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक पत्रकार के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है।

'द टेलीग्राफ' का रिपोर्टर नीरव मोदी (Nirav modi) से कई सवाल पूछता है, मगर नीरव मोदी किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर देता है। लंदन की सड़क पर चलते-चलते भगोड़े नीरव मोदी से करीब 6 सवाल पूछे जाते हैं, मसलन वह कब तक यूके में रहेगा, वह कितने पैसों का मालिक है, मगर वह कोई जवाब नहीं देता है।

दरअसल, जो वीडियो जारी किया गया था, उसमें वह पिंक रंग के शर्ट और ब्लैक जैकेट में दिख रहा है। चेहरे पर बढ़ी दाढ़ियों की वजह से उसका चेहरा पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। सड़क पर चलते-चलते रिपोर्टर नीरव मोदी से सवाल करता है, मगर डायमंड कारोबारी हर सवाल को टालता जाता है और कहता है 'नो कमेंट्स'। वीडियो में दिख रहा है कि वह एक टैक्सी को इशारा करता है, लेकिन ड्राइवर उसे बैठाने से मना कर देता है। रिपोर्टर कुछ समय के लिए उसका पीछा करता है जब तक कि वह अंत में एक कैब नहीं ले लेता और बाजार से निकल नहीं जाता।

नीरव मोदी के लंदन में रहने और वहां की सड़कों पर सरेआम घूमने से जुड़ी खबर को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि हजारों करोड़ रुपये लूटकर ऐशगाह में जिंदगी बिताना इस सरकार में ही मुमकिन है। कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, 'देश के 23,000 करोड़ रुपये लूट कर ले जाओ, बगैर रोक-टोक देश से भाग जाओ, फिर प्रधानमंत्री के साथ विदेश में फ़ोटो खिचवाओ, लंदन में 73 करोड़ रुपये के ऐशगाह में ज़िंदगी बिताओ। बुझो, मैं कौन हूं, अरे छोटा मोदी, और कौन!' उन्होंने आरोप लगाया, "जब मोदी भए कोतवाल, तो डर काहे का। मोदी है तो मुमकिन है!'

(Adapted from NDTV.khabar.com)

11. Nirav Modi, prime accussed in PNB scam, arrested in London- पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपित नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

मोदी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू

मुंबई में ईडी की विशेष अदालत ने नीरव मोदी की पत्नी अमी मोदी के खिलाफ गैरजमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। ईडी ने हाल ही में दाखिल पूरक आरोपपत्र में पीएनबी घोटाले में अमी की भूमिका का उल्लेख किया है। अमी मोदी फिलहाल कहां रह रही हैं, इसे लेकर भारतीय अधिकारी संशय में हैं। माना जा रहा है कि वह अमेरिका या ब्रिटेन में हो सकती है। इससे नीरव मोदी पर दबाव बनाने में सहूलियत होगी।

महंगी पेंटिंग्स-कारें बेचने की मंजूरी

विशेष अदालत ने नीरव की कंपनी कैमलॉट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की 173 महंगी पेंटिग्स व 11 वाहनों को बेचने की अनुमति भी दे दी है। उक्त पेंटिंग्स का मूल्य लगभग 57.72 करोड़ रुपये है, जबकि महंगे वाहनों में रॉल्स रायस, पोर्शे, मर्सिडीज और टोयोटा फॉच्यरूनर ब्रांड की कारें शामिल हैं। इनकी नीलामी इस माह के आखिर में होगी। विशेष अदालत ने आयकर विभाग को नीरव मोदी की 68 अन्य पेंटिंग्स बेचने की इजाजत भी दे दी है। आयकर विभाग का नीरव मोदी पर 95.91 करोड़ रुपये बकाया है। इन पेंटिंग्स को इसी मामले की जांच के दौरान जब्त किया गया था।

(Adapted from Jagran.com)

12. India worried due to rising trade deficit with China- चीन के साथ लगातार बढ़ते व्यापार घाटे से भारत चिंतित (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर भारत ने चिंता जताई है। चीन में भारत के नवनियुक्त राजदूत विक्रम मिसरी ने बुधवार को कहा कि चीन में अपने कृषि उत्पादों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में भारत लगातार कोशिश कर रहा है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स से बातचीत में मिसरी का कहना था कि भारत-चीन का द्विपक्षीय कारोबार 80 अरब डॉलर (करीब 5.6 लाख करोड़ रुपये) का है। इसमें व्यापार घाटा 58 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। उन्होंने इस वर्ष द्विपक्षीय कारोबार 100 अरब डॉलर (सात लाख करोड़ रुपये) के पार पहुंच जाने की भी उम्मीद जताई।

मिसरी ने कहा, 'भारत-चीन कारोबार घाटे की रकम 58 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। यह साल-दर-साल बढ़ती ही जा रही है, जो लंबी अवधि के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। व्यापार घाटे की इस खाई को पाटना मेरी प्राथमिकताओं में एक है।' उन्होंने कहा कि भारत अपने चीनी समकक्षों के साथ इस मसले पर लगातार बातचीत कर रहा है और चीन के बाजार में अपने कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ाने पर बातचीत हो रही है।

चीनी कंपनियां बढ़ा रहीं कारोबार : मिसरी ने कहा कि चीन की कई कंपनियां भारत में जबर्दस्त कारोबार कर रही हैं। शाओमी और अन्य कंपनियां भारत में सबसे बड़ी मोबाइल फोन वितरक कंपनियों में एक हैं। हम इन कंपनियों को भारत में उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आपसी व्यापार घाटे की खाई को पाटा जा सके।

चीन से मदद की उम्मीद

भारतीय राजदूत का कहना था कि कुछ क्षेत्रों में बातचीत में खासी प्रगति हुई है। लेकिन इस प्रगति को निर्यात के मौकों में तब्दील करना बेहद महत्वपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि चीन को किए जा रहे निर्यात में बढ़ोतरी के मौके तलाशने में चीन भारत की पूरी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अपने फार्मास्युटिकल्स और आइटी उत्पादों व सेवाओं के क्षेत्र में भी चीन के बाजार में और बड़ी पहुंच से संबंधित मसले सुलझाने की जरूरत है।

13. NSSO Report on level of employment- सरकारी रिपोर्ट से हुआ खुलासा, छह साल में दो करोड़ लोग हुए बेरोजगार (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2011-12 से लेकर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान पांच साल में देश में पुरुष कार्यबल में करीब दो करोड़ की कमी आई। एनएसएस की इस रिपोर्ट को हाल ही में सरकार ने दबा दिया। एनएसएसओ की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट 2017-18 की समीक्षा में बताया गया है कि वर्ष 2017-18 के दौरान सिर्फ 28.6 करोड़ पुरुष देश में रोजगार में थे जबकि 2011-12 में 30.4 करोड़ पुरुष रोजगार में थे। यह समीक्षा अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

भारत का पुरुष कार्यबल 1993-94 में 21.9 करोड़ था, जिसके बाद पहली बार इसमें कमी दर्ज की गई है। पुरुष कार्यबल 2011-12 दौरान बढ़कर 30.4 करोड़ हो गया जबकि 2017-18 में घटकर 28.6 करोड़ रह गया। पीएलएफएस की रिपोर्ट जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 के बीच तैयार की गई।

14. GST council 34th meeting outcomes- जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक आयोजित, रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी दर लागू करने के बारे में निर्णय लिए गए (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; अर्थशास्त्र)

जीएसटी परिषद की 34वीं बैठक आज 19 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। जीएसटी परिषद द्वारा अपनी 33वीं बैठक में किफायती मकानों के लिए 1 प्रतिशत और किफायती मकानों को छोड़ निर्माणाधीन मकानों पर 5 प्रतिशत की घटी हुई प्रभावी जीएसटी दर हेतु की गई सिफारिशों पर अमल के लिए इससे संबंधित प्रक्रियागत विवरण पर विचार-विमर्श किया गया। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने इस दिशा में अग्रसर होने के लिए संबंधित तौर-तरीकों के बारे में निर्णय लिया जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

मौजूदा परियोजनाओं के संबंध में विकल्प:

• प्रमोटरों को उन मौजूदा परियोजनाओं (ऐसी इमारतें जिनके निर्माण कार्य के साथ-साथ वास्तविक बुकिंग भी 1 अप्रैल, 2019 से पहले ही शुरू हो गई है) पर पुरानी दरों (आईटीसी के साथ 8 प्रतिशत अथवा 12 प्रतिशत की प्रभावी दर) से ही टैक्स अदा करने का एकबारगी विकल्प दिया जाएगा जो 31 मार्च, 2019 तक पूरी नहीं हो पाएंगी।

• इस विकल्प को निर्धारित समयसीमा में केवल एक बार ही अपनाया जा सकेगा और जिन मामलों में निर्धारित समयसीमा के भीतर इस विकल्प को नहीं अपनाया जाएगा उन मामलों में नई दरें लागू की जाएंगी।

नई टैक्स दरें:

नई परियोजनाओं के साथ-साथ नई व्यवस्था के तहत टैक्स अदा करने का उपर्युक्त विकल्प अपनाने वाली मौजूदा परियोजनाओं पर लागू नई टैक्स दरों का उल्लेख नीचे किया गया है :

1. किफायती मकानों के निर्माण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना 1 प्रतिशत की नई दर निम्नलिखित के लिए उपलब्ध रहेगी:

ए) ऐसे सभी मकान जो जीएसटीसी द्वारा तय की गई किफायती घरों की परिभाषा पर खरे उतरते हैं (गैर-महानगर में क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर/महानगरों में क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर और कीमत 45 लाख रुपये तक)।

बी) वर्तमान केन्द्रीय एवं राज्य आवास योजनाओं के तहत मौजूदा परियोजनाओं के अंतर्गत ऐसे निर्माणाधीन किफायती मकान जो 8 प्रतिशत की रियायती जीएसटी दर के लिए पात्र हैं (एक तिहाई भूमि एबेटमेंट के बाद)।

2. इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना 5 प्रतिशत की नई दर निम्नलिखित के निर्माण पर लागू होगी :
ए) मौजूदा परियोजनाओं में किफायती घरों को छोड़ अन्य सभी मकान, चाहे इनकी बुकिंग 1 अप्रैल, 2019 से पहले या उसके बाद हुई हो। 1 अप्रैल, 2019 से पहले बुक किए गए मकानों के मामले में नई दर 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद देय किस्तों पर लागू होगी।

बी) नई परियोजनाओं के तहत किफायती घरों को छोड़ अन्य सभी मकान।

सी) आवासीय अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) परियोजना (आरआरईपी) के तहत दुकानों एवं कार्यालय जैसे सभी वाणिज्यिक अपार्टमेंट जिनका कुल कारपेट एरिया समस्त अपार्टमेंट के समग्र कारपेट एरिया के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

नई टैक्स दरों के लिए शर्तें:
1 प्रतिशत (किफायती घरों के निर्माण पर) और 5 प्रतिशत (किफायती घरों को छोड़ अन्य मकानों के निर्माण पर) की नई टैक्स दरें निम्नलिखित शर्तों के साथ लागू की जाएंगी:

ए) इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा।

बी) 80 प्रतिशत कच्चे माल (इनपुट) और इनपुट सेवाओं {पूंजीगत सामान, टीडीआर/जेडीए, एफएसआई, दीर्घकालिक लीज (प्रीमियम)को छोड़कर} को पंजीकृत व्यक्तियों से खरीदना होगा। 80 प्रतिशत से कम की खरीदारी होने पर बिल्डर को आरसीएम आधार पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स अदा करना होगा। हालांकि , गैर-पंजीकृत व्यक्ति से सीमेंट खरीदने पर आरसीएम के तहत 28 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा और पूंजीगत सामान पर आरसीएम के तहत लागू दर से टैक्स अदा करना होगा।

आईटीसी नियमों में संशोधन:
• आईटीसी नियमों में संशोधन किया जाएगा, ताकि रियल एस्टेट परियोजनाओं में आईटीसी के मासिक एवं अंतिम निर्धारण के साथ-साथ इसे रिवर्स या वापस करने के बारे में और ज्यादा स्पष्टता आ सके। इस संशोधन के तहत वाणिज्यिक यूनिटों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होगा क्योंकि किसी भी मिश्रित या मिक्स्ड परियोजना में ये इकाइयां या यूनिटें आगे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र मानी जाएंगी।
• जीएसटी परिषद के निर्णयों को इस नोट या प्रपत्र में सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है, ताकि इन्हें आसानी से समझा जा सके। इन निर्णयों को राजपत्र अधिसूचिनाओं/परिपत्रों (सर्कुलर) के जरिए प्रभावी किया जाएगा क्योंकि तभी ये कानूनन लागू हो पाएंगे।

(Adapted From PIB)

15. Foreign investors required to pay more tax - विदेशी निवेशकों को देना होगा ज्यादा टैक्स (Relevant for GS Prelims & GS Mains Paper III; Economics)

अगले महीने से विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार में निवेश के एवज में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि पूंजी बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के सूचीबद्धता और भेदिया कारोबार-रोधी नियम इस वर्ष पहली अप्रैल से लागू हो रहे हैं। इसके अलावा मॉरीशस और सिंगापुर के साथ दोहरा कराधान रोधी समझौता (डीटीएए) में बदलाव संबंधी प्रावधान भी पहली अप्रैल से प्रभावी हो रहे हैं। इन बदलावों के तहत सिंगापुर और मॉरीशस के नागरिकों द्वारा भारत में किए गए निवेश पर हासिल कैपिटल गेन पर टैक्स लगाए जाने का प्रावधान है।

इन सभी उपायों से भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्तर को ऊंचा उठाने में भी मदद मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ समय पहले सन फार्मा, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) जैसी कंपनियों के शेयरों में जिस तरह अचानक अस्थिरता आई थी, उससे इन कंपनियों के निवेशकों में भारी अफरा-तफरी फैली थी। इन सभी घटनाओं में कंपनी के निदेशक बोर्ड की भूमिका सवालों के घेरे में आई।

इस वर्ष पहली अप्रैल से जिस तरह के बदलाव सामने आने हैं, उनसे कंपनियों को इस तरह की घटनाओं को रोकने में सफलता मिलेगी। इनमें सबसे प्रमुख बदलाव यह है कि सूचीबद्ध शीर्ष 1,000 कंपनियों के निदेशक बोर्ड में कम से कम छह सदस्य होने जरूरी हो जाएंगे। अब तक यह बाध्यता महज तीन निदेशकों की है। इसके अलावा शीर्ष 500 कंपनियों को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला को स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल करना ही होगा। नए नियमों के तहत कोई भी निदेशक आठ से ज्यादा सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में इसी पद पर नहीं रह सकता। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति को सात से ज्यादा कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

जहां तक इनसाइडर ट्रेडिंग या भेदिया कारोबार से संबंधित नियमों में बदलाव का सवाल है, तो इसके तहत सेबी ने अप्रकाशित और भाव के प्रति संवेदनशील सूचनाओं की परिभाषा सीमित कर दी है। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड को ऐसी सूचना आपस में साझा करने की इजाजत दे दी है। ऐसी सूचनाएं तभी साझा की जा सकेंगी, जब कंपनी के भविष्य के लिए यह अति आवश्यक होगा।

(Adapted from Jagran.com)

16. How serious is the problem of unemployment in India- रोजगार का सवाल कितना गंभीर (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार और किसानों की आर्थिक स्थिति महत्वपूर्ण मुद्दा है। विरोधियों का मोदी सरकार पर सबसे बड़ा आक्षेप है कि न केवल रोजगार में भारी कमी हुई है, अपितु नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधारों के बाद छोटे-मझोले क्षेत्र की रही-सही नौकरियां भी चली गई हैं। आखिर सच क्या है?

भारत में रोजगार के अवसर वाकई बढ़े हैं या घटे हैं, इससे जुड़ी सच्चाई का एक पक्ष खाड़ी देशों से संबंधित एक हालिया समाचार में मिल जाता है। आर्थिक समृद्धि और बेहतर भविष्य की खोज में लगभग तीन करोड़ भारतीय अन्य संपन्न देशों में बसे हुए हैं। इन प्रवासियों की एक बड़ी संख्या मध्यपूर्व एशिया और खाड़ी देशों में भी बसती है, जिसमें अकेले केरलवासियों की संख्या लगभग 20 लाख है। एक अनुमान के अनुसार वे केरल में 90-95 हजार करोड़ रुपये भेजते हैं, किंतु अब उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सेंटर ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन दिनों खाड़ी देशों में अफ्रीका, नेपाल और फिलीपींस जैसे देशों के लोग आधे वेतन पर भारतीयों से रोजगार छीन रहे हैं। इन देशों में भारतीय ड्राइवर 20,000 रुपये से अधिक वेतन मांगते हैं, जबकि अफ्रीकी इसके लिए 8,000 रुपये प्रतिमाह में तैयार हैं। इसी तरह भारतीय सुरक्षाकर्मी 30,000 रुपये के वेतन की मांग करते हैं, जबकि अफ्रीकी 20,000 रुपये में संतुष्ट हैं। कतर में नेपाली श्रमिक तो 14 हजार रुपये प्रतिमाह में खुश हैं।

मध्यपूर्व देशों में फिलीपींस का श्रमिक एक घरेलू नौकर के रूप में जितनी मजदूरी प्राप्त करता है वह उसके देश में एक शिक्षक के वेतन से कहीं अधिक है। स्पष्ट है कि खाड़ी देशों में नेपाली, फिलीपींस और अफ्रीकी लोग भारतीयों से आधे या उससे भी कम वेतन पर काम करने को इसलिए भी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां अपने देश में उपलब्ध वेतन से कहीं अधिक पगार मिल रही है। खाड़ी में इस स्थिति के मुख्य तीन कारण हैं। पहला, 2008 की आर्थिक मंदी से खाड़ी-मध्यपूर्व के देश अभी तक उबर नहीं पाए हैं और नीतिगत प्रयासों के बाद भी उनकी अर्थव्यवस्था गिर रही है। दूसरा, वहां जनसांख्यिकी संतुलन बनाए रखने का दवाब है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत में इन सभी श्रेणियों के वेतन में बढ़ोतरी होना। एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने बिना-कौशल वाले श्रमिकों के लिए 1,500 सऊदी रियाल अर्थात 27,700 रुपये का प्रतिमाह वेतन तय किया है- जो अरब देशों के स्थानीय परिवारों और कंपनियों को काफी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें वेतन के अतिरिक्त भोजन, आवास, परिवहन, बीमा, वैतनिक अवकाश आदि भी देना होता है।

भारत में मजदूरी बढ़ने का बड़ा कारण हमारी अर्थव्यवस्था है, जिसने सकल घरेलू उत्पाद के मामले में गत वर्ष फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए छठा स्थान प्राप्त किया। यदि भारत आर्थिक और कारोबारी सुधार जारी रखता है तो 2030 तक वह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। क्या पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार रोजगार के अवसर पैदा किए बिना बढ़ गया? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के हालिया आंकड़ों के अनुसार संगठित क्षेत्र में पिछले 17 महीनों में 76.4 लाख नए अंशधारक जुड़े। अकेले जनवरी में यह आंकड़ा 8.96 लाख है, जो गत वर्ष इसी अवधि में 3.8 लाख की तुलना में लगभग 130 प्रतिशत अधिक है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने रिपोर्ट में कहा है कि मझोले और लघु उद्योग में पिछले चार वर्षों में हर साल 1.35-1.49 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इस सर्वे में 28 राज्यों के एक लाख से अधिक लघु उद्योगों ने भाग लिया था।

स्कॉच नामक संस्था के अनुसार, अकेले मुद्रा योजना के अंतर्गत 16 करोड़ से अधिक लोगों को 7.5 लाख करोड़ रुपये स्वरोजगार के लिए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से लाभान्वितों की संख्या एक करोड़ के पार निकल चुकी है। सरकार ने मेक इन इंडिया से 2020 तक 10 करोड़ तो आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना के तहत 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन करने का लक्ष्य रखा है। हाल में रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न श्रेणियों में 1.30 लाख नौकरियों का विज्ञापन निकाला है। ये आंकड़े विपक्षी दलों और उनके बौद्धिक समर्थकों के उन दावों के उलट हैं जिनमें कहा जा रहा है कि नोटबंदी, जीएसटी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। यदि विपक्षी दलों के इस आरोप को आधार बनाएं तो पिछले पांच वर्षो में पीएम आवास योजना के तहत जो 1.53 करोड़ घर बनाए गए वे क्या बिना किसी को नौकरी दिए बन गए? जब स्वयं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम मानते हैं कि मोदी सरकार ने संप्रग शासन की तुलना में अधिक किमी राष्ट्रीय राजमार्गो का निर्माण किया है और गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में दृढ़ कदम उठाया है तो क्या यह सब बिना रोजगारों के संभव हो गया? कुछ माह पूर्व रेलवे में निचली दो श्रेणियों के 90 हजार पदों के लिए 2.5 करोड़ आवेदन आए, जिसमें सामान्य स्नातक से लेकर तकनीकी स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्रीधारक तक भी शामिल रहे। इस पर विरोधियों को बेरोजगारी पर मोदी सरकार को घेरने का अवसर मिल गया। क्या यह सत्य नहीं कि अधिकांश भारतीयों को सरकारी नौकरियां अधिक वेतन, सुविधा और सामाजिक सुरक्षा के कारण आकर्षित करती हैं?

भारत में बेरोजगारी का एक बड़ा कारण बड़ी आबादी का आज भी कृषि आधारित रोजगार/व्यवसाय में संलग्न होना और सीमित आमदनी में उमड़ती आकांक्षाओं का मकड़जाल भी है। कई किसान खेती के उद्देश्य से कर्ज लेते हैं, किंतु अन्य कारणों से उसका अधिकतर हिस्सा अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर देते हैं। परिणामस्वरूप वे आर्थिक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। यदि किसानों को इस संकट से बाहर निकालना है तो उन्हें अन्य क्षेत्रों के रोजगारों से जोड़ना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाए। उन्हें आधारभूत सुविधाओं के साथ उचित जानकारी मिले, क्योंकि निरक्षर होने के कारण अधिकांश ग्रामीण न केवल बेरोजगार रहते हैं, बल्कि गुणहीन शिक्षित होने के कारण आज की गला-काट प्रतिस्पर्धा में किसी आधुनिक उद्योग-धंधे के लिए समर्थ भी नहीं रहते। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसान कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अवसर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे, देश में रोजगार बड़ा मुद्दा बना रहेगा।

(Adapted from Jagran.com)

17. India and US will jointly stop tax evasion by MNCs- भारत-यूएस मिलकर रोकेंगे एमएनसी की टैक्स चोरी (Relevant for GS Prelims; Economics)

भारत और अमेरिका ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए रिपोर्ट आदान-प्रदान को लेकर समझौता किया है। दोनों देशों ने बुधवार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अलग-अलग देशों में आय आवंटन और कर भुगतान से जुड़ी रिपोर्ट के आदान-प्रदान को लेकर अंतर सरकारी समझौता किया।

इस समझौते का मकसद सीमा पार कर चोरी पर अंकुश लगाना है। वित्त मंत्रलय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण व्यवस्था के साथ इस समझौते से दोनों देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मूल प्रमोटर इकाइयों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में जमा की गई देश-दर-देश (सीबीसी) रिपोर्ट का स्वत: आदान-प्रदान कर सकेंगे। यह एक जनवरी 2016 या उसके बाद के वर्ष से जुड़ी रिपोर्ट पर लागू होगा। इससे अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय अनुषंगी इकाइयों द्वारा सीबीसी रिपोर्ट स्थानीय स्तर पर जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इससे संबंधित इकाइयों पर अनुपालन बोझ कम होगा। समझौते पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पीसी मोदी और भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने दस्तखत किए। भारत सीबीसी रिपोर्ट के आदान-प्रदान को लेकर पहले ही बहुपक्षीय योग्य प्राधिकरण समझौते (एमसीएए) पर हस्ताक्षर कर चुका है। इससे 62 क्षेत्रों के साथ रिपोर्ट के आदान-प्रदान की सुविधा हासिल हुई है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की मूल प्रमोटर इकाई को उस क्षेत्र में निर्धारित प्राधिकरण के पास सीबीसी रिपोर्ट जमा करनी होती है, जहां की वह निवासी है। विभिन्न देशों के बीच इस प्रकार की रिपोर्ट का आदान-प्रदान ओईसीडी/जी20 बीईपीएस (आधार क्षरण और मुनाफे का हस्तांतरण) परियोजना की कार्रवाई 2013 रिपोर्ट के तहत न्यूनतम मानदंड हैं जिसकी जरूरत होती है। सीबीसी रिपोर्ट में किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की देश-दर-देश सूचना होती है।

(Adapted from Jagran.com)

18. Awareness on patents within India- पेटेंट के प्रति भारत में बढ़ती जागरूकता (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Economics)

आम तौर पर वैज्ञानिक तरक्की की खबरें मीडिया की सुर्खियों में तब ही आती हैं, जब देश अंतरिक्ष या रक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करता है। विज्ञान के क्षेत्र में अन्य प्रकार की तरक्की चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण हो, आजकल वह आम चर्चा का विषय बहुत मुश्किल से बन पाती है या कहें कि बहुत कम ही बन पाती है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका एक ताजा उदहारण नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने भारत में पेटेंट की बढ़ती संख्या पर ख़ुशी जाहिर की थी। अभी के चुनावी माहौल में जब सरकार की हर छोटी बड़ी सफलता और असफलता मुद्दा बन रही है, ये सूचना न तो अखबारों में कोई खबर बनी, और न ही सोशल मीडिया की बहस का हिस्सा बन सकी।

देखा जाए तो किसी भी देश के वैज्ञानिक तरक्की की सबसे सही पहचान अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र समेत पेटेंट होते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं- पहला अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान आम तौर पर सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। दूसरा इन क्षेत्रों में सामान्य जन की भागीदारी बहुत ही सीमित रहती है। और यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी ऐसी अनेक रिपोर्ट आ चुकी हैं, जिनमें भारत के बढ़ते पेटेंट के बारे में बताया गया था, लेकिन इसकी वजह चाहे जो भी रही हो, जिस प्रमुखता से उन्हें लोगों के सामने लाने की जरूरत है, वैसे लाया नहीं गया।

वैज्ञानिक प्रगति से आर्थिक तरक्की

वैज्ञानिक प्रगति हमेशा से अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य को प्रभावित करती रही है। ऐतिहासिक तौर पर देखें तो उपनिवेशवाद के उद्भव में पश्चिम में हुए वैज्ञानिक विकास और औद्योगिक क्रांति की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अभी अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापारिक द्वंद्व में एक महत्वपूर्ण मुद्दा तकनीक का है। वर्तमान में जिस प्रकार से दुनिया तेजी से बदल रही है, भविष्य में देश की आर्थिक तरक्की, सामरिक तैयारी या सामाजिक विकास, सबकुछ काफी हद तक वैज्ञानिक प्रगति पर निर्भर होगा। चौथी औद्योगिक क्रांति जो काफी हद तक आज हमारे सामने है, उससे आर्थिक तरक्की की वैज्ञानिक तरक्की पर निर्भरता कहीं और ज्यादा बढ़ेगी। अगर कोई भी देश इसका पूरा लाभ उठाना चाहता है, तो उसे नित नए खोजों के लिए कार्य करना पड़ेगा।

पेटेंट आवेदन में डेढ़ गुना वृद्धि

विज्ञान के क्षेत्र में लोगों और सरकार की भी रूचि बढ़ी है और पेटेंट करने को लेकर एक माहौल बना है। सीजीपीडीटीएम यानी भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय के 'ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेड मार्क्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्टियल पॉलिसी एंड प्रोमोशन' के आंकड़े बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के अप्रैल-दिसंबर के बीच वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में 51 प्रतिशत ज्यादा पेटेंट के आवेदन आए। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जहां 40,790 आवेदन आए थे, वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 के अप्रैल-दिसंबर के बीच यह संख्या 61,768 रही है। ठीक इसी तरह ब्लॉकचैन तकनीक के पेटेंट में भी भारत चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद छठे स्थान पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लॉकचैन तकनीक आने वाले समय में विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली है। पेटेंट और ट्रेडमार्क के आवेदन के इ-फाइलिंग में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। जहां वर्ष 2013-14 में यह करीब 30 प्रतिशत था, आज बढ़ कर करीब 90 प्रतिशत हो गया है।

शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत

दुनियाभर में पेटेंट का लेखा-जोखा रखने के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाइजेशन वर्ष 1967 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। विश्व के 191 देश इसके सदस्य हैं। यह संस्था प्रत्येक वर्ष पेटेंट को लेकर अपनी एक रिपोर्ट जारी करती है। पेटेंट की संख्या के क्षेत्र में भारत पिछले कई वर्षो से विश्व के शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल है। पिछले साल दिसंबर में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2017 का रिपोर्ट जारी किया जिसमें यह बात सामने आई कि वर्ष 2017 में भारत के पेटेंट कार्यालय ने 12,387 पेटेंट प्रदान किए। वर्ष 2017 में भारत इस मामले में चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूरोपियन पेटेंट कार्यालय और जर्मनी के बाद सातवें स्थान पर रहा। वर्ष 2017 में हुए पेटेंट वर्ष 2016 में हुए 8,248 के मुकाबले करीब 50 प्रतिशत अधिक है और 2015 के 6,022 पेटेंट के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। इस मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जो चौथी औद्योगिक क्रांति का एक अहम हिस्सा है। माना जा रहा है कि उसके पेटेंट में भी भारत बड़ी तेजी से उभर रहा है।

बाहरी कंपनियों के पेटेंट

वर्ष 2017 के आंकड़ों को और बारीकी से देखें तो पता चलता है कि इन पेटेंट में से अधिक संख्या भारत के बाहर के व्यक्ति या संस्थानों की है। इस वर्ष 1,712 पेटेंट जहां यहां के लोगों या कंपनियों ने कराई, वहीं शेष 10,675 पेटेंट बाहर के लोगों या कंपनियों ने कराई है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, बल्कि अगर इससे पहले केवल दो वर्षों यानी 2016 और 2015 को भी देखें, तो ऐसा ही उदाहरण मिलता है। वर्ष 2015 में भारतीय लोगों या कंपनियों ने 822 पेटेंट कराए थे, वहीं वर्ष 2016 में 1,115 पेटेंट ही कराए थे।

वल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत के पेटेंट की संख्या में हुए भारी इजाफे का एक महत्वपूर्ण कारण बाहर के लोग या कंपनियां हैं जिन्होंने करीब 85 प्रतिशत पेटेंट कराए। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2017 में पूरी दुनिया में करीब 14 लाख पेटेंट दिए गए। वर्ष 2017 में कुल 46,582 आवेदन आए, जिसमें से 14,961 भारत के लोगों या कंपनियों के थे। वहीं 31,621 आवेदन बाहर के लोगों या कंपनियों के थे। बाहर के लोगों या कंपनियों में से 9,222 अकेले अमेरिका के लोगों या कंपनियों के थे। वहीं अमेरिका के 6,06,956 आवेदनों में 10,309 भारत से थे। भारत को आए आवेदनों में सबसे ज्यादा संख्या दवाओं के पेटेंट के थे, जो करीब 15 प्रतिशत थे।

इन आंकड़ों से एक और बात स्पष्ट सामने आती है कि भारतीय लोगों या कंपनियों में पेटेंट को लेकर जागरूकता बढ़ी है। जहां तक विदेशी कंपनियों के पेटेंट का मुद्दा है, तो इसे लेकर दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली कि ये कंपनियां न सिर्फ पेटेंट के फायदों को समझती हैं, बल्कि भारत में पेटेंट के द्वारा एक मकसद यहां पर खुद को और मजबूत बनाना भी है। और दूसरी यह कि भारत में पेटेंट का होना बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो इस ओर भी इंगित करती है कि हमारे देश का पेटेंट कानून मजबूत है और दुनिया भर में मान्य है। जरूरत इस बात की है कि हम भी इससे लाभ उठाएं।

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार

इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है वर्ष 2016 में आया राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति। इस नीति के आने के बाद से पेटेंट देने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है। जहां आम तौर पर पेटेंट मिलने में 6।7 वर्ष लग जाते थे, वहीं यह नीति उस समय को कम करने में काफी कारगर तौर पर काम कर रही है। वर्ष 2017-18 में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में पेटेंट आवेदन के निपटारे में करीब 58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस नीति में भारत के पारंपरिक ज्ञान को भी मुख्यधारा में लाने पर विशेष जोर दिया गया है। न सिर्फ पेटेंट और बौद्धिक संपदा, बल्कि उद्यमिता को भी बढ़ाने पर यह नीति बल देती है, जिससे और भी लोग पेटेंट के लाभ को समझकर इसका व्यावसायिक उपयोग करेंगे। इससे लोगों को इस क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी।

स्टार्टअप इंडिया से बढ़ावा

भारत सरकार की कुछ अन्य योजनाओं, जैसे स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया ने भी पेटेंट को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत नए उद्यमों को पेटेंट आवेदन में 80 प्रतिशत की छूट भी दी जाती है। सरकार द्वारा ऑनलाइन पेटेंट आवेदन करने की सुविधा से इस ओर आवेदकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। वर्ष 2017 में स्टार्टअप कंपनियों ने 909 आवेदन दिए जो वर्ष 2016 में दिए गए 61 आवेदनों से करीब 15 गुना अधिक थे।

विशेषज्ञों के अनुसार पेटेंट कानून में किए गए व्यापक सुधारों ने आवेदनों की संख्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेटेंट हासिल होने से कंपनियों के बाजार मूल्य में भी बढ़ोतरी हो जाती है जो इनके लिए काफी फायदेमंद होता है।

आज भारत की पहचान एक युवा देश के तौर पर की जा रही है और आने वाले कुछ दशक भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अपने शिक्षा में सुधार कर लें तो पेटेंट की संख्या में और बढ़ोतरी की जा सकती है। कुछ अन्य बुनियादी चीजें भी हैं जिस पर जल्द सुधार किया जाए तो उससे अच्छे नतीजे सामने आ सकते हैं। इनमें सबसे पहला है पेटेंट प्रक्रिया को और तेज करने के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की जरूरत। वर्ष 2018 में आए आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 -17 में पूरे देश में पेटेंट आवेदनों की जांच के लिए सिर्फ 132 जांचकर्ता ही थे। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने वर्ष 2017 में 400 से अधिक जांचकर्ताओं की बहाली की। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए पेटेंट कार्यालयों को और बेहतर करने की जरूरत है, ताकि पेटेंट के आवेदन मिलने पर कम से कम समय में उन पर काम शुरू हो सके। दूसरा है उन राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत, जहां पेटेंट बहुत कम हो रहे हैं। वर्ष 2017-18 में भारत में सबसे ज्यादा पेटेंट महाराष्ट्र ने दिए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर रही। उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। सबसे कम पेटेंट की बात करें, तो बिहार में इस वर्ष एक भी पेटेंट नहीं हुआ। अनेक ऐसे राज्य भी रहे जहां महज एक या दो पेटेंट ही हुए। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य है अनुसंधान पर होने वाला खर्च। पिछले करीब दो दशकों से भारत में अनुसंधान पर जीडीपी का केवल 0।6 से 0।7 प्रतिशत ही खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि केवल केंद्र सरकार के भरोसे रहने से काम नहीं होगा, बल्कि राज्य सरकारों को भी इस काम में दिलचस्पी दिखानी होगी और इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा।

(Adapted from Jagran.com)

19. Increasing difficulties faced by airlines- विमानन कारोबार की बढ़ती मुश्किलें
(Relevant for GS Prelims and GS Mains Paper-III; Economics)

आखिरकार जेट एयरवेज के अध्यक्ष नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता गोयल ने बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जेट एयरवेज के कर्जदाताओं ने जेट के बोर्ड और प्रबंधन को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारतीय स्टेट बैंक की अगुआई में बैंकों के समूह जेट में 51 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 1,500 करोड़ रुपये तत्काल डालने पर सहमत हो गए हैं। इसके लिए 11.4 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। जेट एयरवेज पर 26 बैंकों का लगभग आठ हजार करोड़ रुपये कर्ज बकाया है। बड़ी संख्या में जेट के विमान परिचालन से बाहर हो चुके हैं, जिसका असर देश के कई हवाई अड्डों पर देखा जा रहा है। बहरहाल गोयल के इस्तीफे के बाद बीएसई में जेट के शेयर में उछाल आया है।

सरकारी विमान सेवा एयर इंडिया की स्थिति भी खस्ताहाल है। पूर्व में एयर सहारा, किंग फिशर, ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन, स्काइलाइन एनईपीसी, मोदीलुफ्त आदि एयरलाइंस बंद हो चुके हैं। बंद होने के समय एयर सहारा की बाजार में 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। ऐसे में यह सवाल

उठना लाजिमी है कि क्या चमक-दमक वाले विमानन क्षेत्र की हालात उतनी अच्छी नहीं है, जितनी बाहर से दिखती है।

कौन होगा खरीदार

जेट एयरवेज का घाटा बढ़ कर 13 अरब रुपये से भी अधिक हो गया है और इसे मार्च 2021 तक 63 अरब रुपये का कर्ज चुकाना है। हालांकि इसकी माली दशा विगत 11 वर्षो से अच्छी नहीं है। अब तक जेट एयरवेज के शेयरों की कीमत 71 प्रतिशत गिर चुकी है। ऐसे में इसके बेचे जाने की बात कही जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक मुकेश अंबानी या टाटा संस जेट एयरवेज को खरीद सकते हैं। जेट एयरवेज में नरेश गोयल की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है। वर्ष 2013 में गोयल ने अपनी 24 प्रतिशत की हिस्सेदारी एतिहाद एयरवेज को बेच दी थी। टाटा संस की पहले से दो एयरलाइंस विस्तारा और एयर एशिया इंडिया में हिस्सेदारी है। विस्तारा में इसकी 41 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। विस्तारा, टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का ज्वाइंट वेंचर है। लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार चाहती है कि देश की ही कोई कंपनी जेट को खरीदे, ताकि सरकार की नीतियां स्वदेशी कंपनियों को तरजीह देने वाली लगे।

जेट एयरवेज के पतन के कारण

बढ़ते घाटे के कारण जेट अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा है। जेट का जेटलाइट में विलय नहीं होने से भी इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण आयकर विभाग द्वारा कंपनी के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर छापे डालने से भी इसकी साख को धक्का लगा।

जेट एयरवेज इंडिगो की तुलना में ईंधन की लागत को छोड़कर अन्य खर्चो पर प्रति किमी एक रुपये ज्यादा खर्च कर रही थी जिससे वर्ष 2015 के अंत में जेट को इंडिगो की तुलना में हर सीट पर प्रति किमी 50 पैसे ज्यादा कमाई हो रही थी। जेट को पीछे छोड़ने के लिए इंडिगो ने टिकट सस्ता किया, जिसका नुकसान भी उसे हुआ। उसे सबसे ज्यादा नुकसान 2017 में हुआ जब ईंधन की कीमतें बढ़ने लगीं। पहले से कर्ज में डूबे होने के कारण उसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई।

भले ही कर्जदाताओं के समूह ने जेट के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन खरीदार ढूंढना आसान नहीं होगा। दरअसल बैंकों को विमानन क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं है। एतिहाद एयरवेज ने भारतीय स्टेट बैंक को एक पत्र लिख कर कहा है कि वह जेट में 150 रुपये प्रति शेयर पर निवेश करने को तैयार है, जबकि शेयर का मौजूदा भाव 275 रुपये के करीब है। इस तरह की समस्याओं का सामना करने में कर्जदाता बैंकों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार चाहती है सुधार

कहा जा रहा है कि राजनीतिक मजबूरियों की वजह से सरकार जेट को बचाना चाहती है। सरकार की पहली चिंता है इस धारणा को बरकरार रखना कि अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है। मोदी सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले देश में अर्थव्यवस्था के हर सूचकांक एवं मानक के

बेहतर होने का संदेश देना चाहती है। कुछ सालों से मोदी सरकार देश में वायु संपर्क सेवा को लेकर लगातार अपनी उपलब्धियों का गुणगान करती रही है। सरकार यह भी दावा करती रही है कि हवाई चप्पल पहनने वाला आम आदमी भी हवाई यात्र कर सकता है। नए हवाई अड्डों और उड़ान सेवाओं को मोदी सरकार ने विकास के रूप में प्रचारित किया है। इसके लिए खास तौर से 'उड़ान' नाम से एक योजना भी शुरू की गई है। ऐसे में जेट एयरवेज जैसी विमानन क्षेत्र की बड़ी एवं नामचीन कंपनी के डूबने से मोदी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए जाएंगे।

ठीक हो सकती है माली दशा

जेट के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए परिचालन को चाक-चौबंद, सभी तकनीकी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि समय पर परिचालन के लिए कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। विमानों के बुद्धिमतापूर्ण इस्तेमाल से कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, जैसे जिस मार्ग पर यात्रियों का आवागमन अधिक है वहां अधिक विमानों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा वैसे विमानों का ज्यादा उपयोग किए जाने की जरूरत है जिसमें कम ईंधन की खपत होती है। यात्री किराया कम करना भी एक अच्छा विकल्प है। किराया कम करने की भरपाई विमानों के अधिक फेरे लगा कर की जा सकती है। प्रतिबद्ध तथा गुणवत्ता पूर्ण सेवा के द्वारा भी इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

एयर इंडिया भी घाटे में

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के वक्त यह 100 करोड़ रुपये के लाभ में था, लेकिन अनियमितता, कुप्रबंधन और अंदरूनी गड़बड़ियों के कारण एयर इंडिया आज खस्ताहाल स्थिति में है। अदालत में दायर एक जनहित याचिका के मुताबिक वर्ष 2004 से वर्ष 2008 के दौरान विदेशी विनिर्माताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 67,000 करोड़ रुपये में 111 विमान खरीदे गए। करोड़ों-अरबों रुपये खर्च करके विमानों को पट्टे पर लिया गया एवं निजी विमानन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए फायदे वाले हवाई मार्गो पर एयर इंडिया के उड़ानों को जानबूझकर बंद किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों की पुष्टि की है।

सुरक्षा में हो रही चूक

बीते दिनों मुंबई से जयपुर जा रही जेट एयरवेज की उड़ान में पायलट की भूल की वजह से कई यात्रियों के नाक और कान से खून निकलने लगे। ऐसा केबिन में वायु दाब बनाए रखने वाले बटन को नहीं दबाने के कारण हुआ। इस घटना में 31 यात्री घायल हुए। इसके कुछ ही दिनों बाद 30 सितंबर को हैदराबाद से चंडीगढ़ के लिए उड़ान भरने के बाद जेट एयरवेज की एक फ्लाइट का इंजन फेल होने के कारण उसे इंदौर में आपात लैंडिंग करना पड़ा। फिलहाल जेट एयरवेज के पायलटों को विगत पांच महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक है, क्योंकि मानसिक दबाव की स्थिति में चूक की संभावना बढ़ जाती है। जेट एयरवेज की फ्लाइट में हुए हालिया दुर्घटनाओं से सवाल का उठना लाजिमी है कि भारत में हवाई यात्र कितनी सुरक्षित है? जेट एयरवेज में हुई पहली दुर्घटना के बाद नागरिक विमानन मंत्रलय ने सभी विमानन कंपनियों के ऑडिट का निर्देश जारी किया, लेकिन क्या ऐसी कवायद से मानवीय भूलों का निराकरण किया जा सकता है?

कहा जा सकता है विमानन क्षेत्र की चकाचौंध की दुनिया जितनी बाहर से चमकीली दिखती है, दरअसल अंदर से उतनी चमकीली है नहीं। जेट एयरवेज का घाटे में आना कुछ-कुछ इसी सच को दर्शाता है। पड़ताल से यह भी साफ है कि विमानन क्षेत्र में एयरलाइंस की लागत ज्यादा है, लेकिन राजस्व कम। गला-काट प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के चक्कर में उनकी वित्तीय स्थिति और भी खराब हो जाती है। व्यस्त रूट में एयरलाइंस कितनी उड़ान भर रहा है, इस बात पर भी उनका वित्तीय प्रदर्शन निर्भर करता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि इसे आम आदमी की परिवहन सेवा बनाने में अभी भी अनेक मुश्किलें हैं।

यूनिवर्सल सेफ्टी ऑडिट में आठ क्षेत्रों में आइसीएओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मानकों को लागू करने में सरकार की सुरक्षा निगरानी की पड़ताल की गई थी। इसके पांच क्षेत्रों में भारत का प्रदर्शन वैश्विक औसत से कम है। इनमें कानूनों की निगरानी, संगठन, लाइसेंसिंग, दुर्घटना जांच और एयरपोर्ट का रख-रखाव शामिल हैं। इस मामले में भारत का प्रदर्शन बांग्लादेश से भी खराब है, जो सात मानकों में वैश्विक औसत से ऊपर है। दूसरे देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्राजील शामिल हैं। इंडोनेशिया ने सभी मानकों के क्रियान्वयन में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि मलेशिया पांच मानकों में भारत से ऊपर है। ब्राजील न केवल भारत से ऊपर है, बल्कि सभी मानकों में वैश्विक औसत से भी आगे है।

विमानन कंपनियों को एक से सात पैमाने पर सेफ्टी रेटिंग देने वाली 'एयरलाइन रेटिंग्स डॉट कॉम' की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विमानन कंपनियों की रेंटिंग तीन से छह के बीच है। इस वेबसाइट ने स्पाइस जेट और एयर एशिया इंडिया को तीन, इंडिगो, जेट और गो एयर को पांच और एयर इंडिया को छह अंक दिए हैं। यह स्कोरिंग विभिन्न कारकों पर आधारित है। मसलन क्या कंपनी ने आइएटीए यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से परिचालन सुरक्षा ऑडिट कराया है या नहीं? क्या उसे यूरोपीय संघ में उड़ान भरने की इजाजत है या फिर उसे सुरक्षा कारणों से अनुमति नहीं मिली है? क्या उसका बीते दस वर्षो से दुर्घटना मुक्त इतिहास रहा है? क्या वह एफएए यानी संबद्ध एजेंसी से मान्यता प्राप्त है या क्या वह आइसीएओ के सुरक्षा मानकों को पूरा करती है आदि। नियमों के मुताबिक विमानन सुरक्षा विभागों को हर उड़ान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का आकलन करना चाहिए, क्योंकि इससे मानक परिचालन प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं, उन सभी तथ्यों का पता चलता है। ऐसा करने से दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुधार के उपाय किए जा सकते हैं। रिपोर्ट को डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के साथ साझा करने से भी लाभ हो सकता है, लेकिन अभी इसकी निगरानी व्यवस्था त्रुटि मुक्त नहीं है।

भारत में मुआवजा नियमों में अभी भी सुधार होना बाकी है। अंतरराष्ट्रीय उड़ान के दौरान दुर्घटना में होने वाली मौत और घायल होने की स्थिति में मुआवजा एयर एक्ट के द्वारा कैरिज के मुताबिक दिया जाता है। इसके तहत एयरलाइन को करीब 1.1 करोड़ रुपये प्रभावित यात्री या उनके परिजनों को देना होता है। इसमें यात्री को सेवा प्रदाता की लापरवाही साबित करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी प्रभावित यात्रियों को 1.1 करोड़ रुपये का मुआवजा दे दिया जाता है। एयरलाइंस हमेशा कम से कम या मुआवजा नहीं देने की कोशिश करती है। इस क्षेत्र का सबसे स्याह पक्ष यह है कि सुरक्षा और मुआवजा देने के मामले में भी यह क्षेत्र चमकीला नहीं है। तमाम तथ्य बताते हैं कि भारत में यात्री वायु सेवा की राह सुगम नहीं है।

(Adapted from jagran.com)

20. Analysis of economic schemes announced before elections-चुनाव के दौरान घोषित आर्थिक सहायता योजनाओं का विश्लेषण (Relevant for GS Prelims and GS Mains Paper-III; Economics)

चुनाव के लिए मतदान की तिथियां जैसे-जैसे करीब आ रही हैं, जनता को रिझाने के लिए लोक-लुभावन घोषणाओं का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं कि राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने की कोशिश करें, लेकिन अगर वे आर्थिक नियमों की अनदेखी करके लोक-लुभावन वादे करेंगे तो फिर जनता में भ्रम ही फैलेगा। अपने देश में बहुत कम मतदाता चुनावी वादों की गहन परख कर पाते हैं। इसी कारण तमाम मतदाता लोक-लुभावन घोषणाओं से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गरीबों को एक निश्चित न्यूनतम आय देने की अपनी योजना का एलान किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये दिए जाएंगे। उनके हिसाब से ऐसे अति गरीब परिवारों की संख्या पांच करोड़ है और प्रत्येक परिवार के पांच सदस्य जोड़ लिए जाएं तो इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या 25 करोड़ होगी। इस योजना की घोषणा करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप हैरान रह गए होंगे। पत्रकारों का तो पता नहीं, लेकिन तमाम अर्थशास्त्री और देश की वित्तीय सेहत की जानकारी रखने वाले इस पर जरूर हैरान रह गए होंगे। इससे इन्कार नहीं कि देश में गरीबों की अच्छी-खासी संख्या है और उन्हें सरकारी मदद की भी जरूरत है, लेकिन आखिर पांच करोड़ परिवारों को सालाना 72 हजार रुपये देने के लिए हर साल तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये का प्रबंध कहां से होगा? क्या सभी तरह की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी या फिर आर्थिक रूप से सभी समर्थ लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं कि इसकी गणना कैसे की जाएगी कि किसी परिवार की मासिक आय 12 हजार रुपये से कम है?

राहुल गांधी की मानें तो इसका आकलन कर लिया गया है कि न्यूनतम आय योजना को कैसे संचालित करना है, लेकिन इस बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। जब इस योजना को लेकर सवाल उठे तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से अन्य तरह की सब्सिडी में कटौती नहीं होगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के अनुसार देश के पास इतनी क्षमता है कि इस योजना पर अमल किया जा सके और जानकारों का एक समूह इस योजना की रूप-रेखा तैयार कर रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि बगैर रूप-रेखा तैयार किए योजना की घोषणा कर दी गई? सच्चाई जो भी हो, अन्य सब्सिडी में कटौती किए बगैर इस योजना को लागू करने का मतलब है नोट छापकर जनता को बांटना। इस स्थिति में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, राजकोषीय घाटे में दो प्रतिशत की और वृद्धि हो सकती है। स्पष्ट है कि महंगाई बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति घटेगी। इस तरह अर्थव्यवस्था कमजोर होगी और गरीबों को दी जाने वाली राहत का असर भी कम होगा। अगर इस योजना को जबरन लागू किया जाता है तो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के साथ यह भी हो सकता है कि गरीब तबका केवल इस योजना के भरोसे रहकर बैठ जाए और मेहनत करने से तौबा कर ले। यह एक तथ्य है कि मनरेगा लागू होने के बाद कुछ समय तक ऐसा ही देखने को मिला था। देश के कई हिस्सों में खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों की कमी महसूस की गई थी। राहुल गांधी और उनके सहयोगी कुछ भी दावा करें, लगता यही है कि इस योजना पर विचार करते समय अर्थव्यवस्था की सेहत का ध्यान नहीं रखा गया। इसके बावजूद इससे इन्कार नहीं कि कुछ लोग और खासकर गरीब तबका इस योजना से आकर्षित हो सकता है।

नि:संदेह गरीबी देश से दूर होनी चाहिए, लेकिन जरूरत गरीब तबके को आत्मनिर्भर बनाने के ठोस उपाय करने की है, न कि उसे सब्सिडी की बैसाखी पकड़ाने की। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लंबे समय तक यही किया गया। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक गरीबी दूर करने का वादा करती रहीं, लेकिन वह दूर नहीं हुई। इसका कारण वे आर्थिक नीतियां रहीं जिनके चलते देश का आर्थिक विकास बाधित रहा। सुस्त आर्थिक रफ्तार के कारण ही देश की विकास दर का उपहास उड़ाते हुए उसे हंिदू विकास दर कहा जाता था। कम से कम कांग्रेस के मौजूदा नेताओं को तो यह पता होना चाहिए कि गरीबी इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' नारे से नहीं, बल्कि नरसिंह राव सरकार की नई आर्थिक नीतियों से दूर होनी शुरू हुई।कांग्रेस अध्यक्ष ने मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि उसी तर्ज पर उनकी नई योजना गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। अच्छा होता कि वह यह भी बताते कि मनरेगा के तहत जो काम कराए गए उससे कहीं पर भी बुनियादी ढांचे का निर्माण क्यों नहीं हो सका? यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि संप्रग शासन के दौरान मनरेगा के तहत जो राशि गरीबी दूर करने के नाम पर वितरित की गई उससे गरीबी दूर करने में कोई खास सफलता नहीं मिली। मनरेगा लागू होने के बाद यह भी देखने को मिला कि गरीब तबके के एक वर्ग ने कर्मठता का परित्याग कर दिया।

कोई भी देश आर्थिक प्रगति तभी करता है जब उसके नागरिक अपने बलबूते अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुश्किल यह है कि कांग्रेस गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं की पैरवी मुश्किल से ही करती है। यह एक सच्चाई है कि वह बार-बार कर्ज माफी जैसी योजनाएं लेकर सामने आती है। वह इससे अपरिचित नहीं कि कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होता। उलटे वे बार-बार कर्ज लेने को बाध्य होते हैं। अब तो स्थिति यह है कि चुनाव वाले राज्यों में समर्थ किसान भी कर्ज चुकाने से बचते हैं। क्या गरीबों को सालाना 72 हजार रुपये देने की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा गया कि इससे समाज में एक नई तरह की असमानता आ सकती है? ध्यान रहे कि इसके अच्छे-खासे आसार हैं कि सभी गरीब इस योजना के दायरे में न आ सकें। इसके अलावा इसकी पहचान भी कठिन ही होगी कि कौन गरीब परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 12 हजार रुपये से कम है? यह कठिनाई इसलिए और बढ़ेगी, क्योंकि तमाम गरीब ऐसे हैं जिनकी आय कम-ज्यादा होती रहती है? अच्छा होगा कि कांग्रेस इससे अवगत हो कि अगर तीन लाख साठ हजार करोड़ रुपये से स्कूल, अस्पताल बनें और कानून एवं व्यवस्था का तंत्र मजबूत किया जाए तो उससे गरीबों को कहीं अधिक लाभ मिलेगा।

राजनीतिक दल जिस तरह आर्थिक स्थिति की अनदेखी करके लोक-लुभावन वादे करने लगे हैं उसे देखते हुए ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए जिससे उन्हें बेलगाम घोषणाएं करने से रोका जा सके। बेहतर हो कि चुनाव आयोग को यह अधिकार मिले कि वह राजनीतिक दलों के चुनावी वादों की परख करे और उनके नफा-नुकसान से जनता को अवगत कराए। आज भले ही कांग्रेस न्यूनतम आय योजना को बाजी पलटने वाली मान रही हो, लेकिन सच यह है कि इस तरह की योजनाओं से देश की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली नहीं है।

(Adapted from jagran.com)

पर्यावरण एवं जैव विविधता

1. पराली जलाना है दिल्ली में वायु प्रदूषण की प्रमुख वजह (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)

आसपास के जिलों में पराली जलाने से होने वाला उत्सर्जन सर्दी के दौरान नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की प्रमुख वजह है। एक अंतरराष्ट्रीय शोध में भी इसकी पुष्टि हुई है। नेचर सस्टेनेबिलिटी नामक पत्रिका में प्रकाशित इस शोध से पता चलता है कि जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाला ब्लैक कार्बन ही हमेशा नई दिल्ली जैसी दक्षिण एशियाई मेगासिटी में गंभीर वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं होता है।

नई दिल्ली में जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन गर्मियों के दौरान वायु प्रदूषण का 80 फीसद होता है। अगर सर्दियों से पहले की बात करें तो पड़ोसी क्षेत्रों में बायोमास (जैसे फसल अवशेष आदि) के जलने से होने वाला उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से अधिक होता है। स्वीडन की स्टाकहोम यूनिवर्सिटी के अगस्त एंडरसन ने बताया, 'ब्लैक कार्बन एरोसोल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और इनका स्तर अन्य मेगासिटी की तुलना में नई दिल्ली में बहुत ज्यादा है। जाड़े से पहले नई दिल्ली में वायु कणों का प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित की गई सीमा से दस गुना अधिक तक पहुंच सकता है।'

एंडरसन ने कहा कि इस अत्यधिक आबादी वाले शहर में ब्लैक कार्बन के पर्यावरणीय प्रभावों को तय करने के लिए प्रमुख उत्सर्जन स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को निर्धारित करना जरूरी है। शोधकर्ताओं ने 2011 के दौरान नई दिल्ली से हवा के नमूने एकत्र किए और कणों के स्नोत की पहचान के लिए प्रत्येक नमूने के कार्बन आइसोटोप बनाकर उनका विश्लेषण किया। शोध के दौरान इस बात का भी पता चला है कि नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह शहरी या स्थानीय होने के बजाय क्षेत्रीय है। इसकी प्रमुख वजह राष्ट्रीय राजधानी से 200 किमी दूर रहने वाले किसानों द्वारा फसलों अवशेषों को जलाना है।

(Adapted from Jagran.com)

2. गुरुग्राम है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, टॉप 10 में सात शहर भारत से (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)

दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित 10 शहरों में से सात भारत में हैं, और पांच तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही मौजूद हैं। हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली से सटा गुरुग्राम, यानी गुड़गांव दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, आईक्यूएयर एयरविज़ुअल एंड ग्रीनपीस द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि वर्ष 2018 के दौरान प्रदूषण स्तर के मामले में गुरुग्राम दुनिया के सभी शहरों से आगे रहा है, हालांकि पिछले साल की तुलना में उसका स्कोर कुछ बेहतर हुआ है। शीर्ष पांच शहरों में चार शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा हैं, और एक शहर पाकिस्तान का है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी भारत के 22 शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों के टॉप 30 में मौजूद हैं। इस सूची में पांच शहर चीन के हैं, दो शहर पाकिस्तान के तथा एक शहर बांग्लादेश का है।आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018 में चीन ने प्रदूषण को कम करने की दिशा में खासा काम किया है, और पिछले साल की तुलना में उसकी धरती पर प्रदूषक तत्वों का औसत जमाव 12 फीसदी तक कम हुआ है।

रिपोर्ट किसके आधार पर है?

इस इंडेक्स में PM2.5 के नाम से जाने जाने वाले बारीक पार्टिकुलेट मैटर को मापा गया। यह प्रदूषक तत्व मानव के फेफड़ों और रक्त में गहराई तक रम जाता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में गुरुग्राम के बाद गाज़ियाबाद, तीसरे स्थान पर फैसलाबाद (पाकिस्तान), चौथे पायदान पर फरीदाबाद तथा पांचवें नंबर पर भिवाड़ी मौजूद हैं। सूची में छठा स्थान नोएडा का है, जबकि सातवें और नौवें पायदान पर क्रमशः पटना (बिहार) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) हैं। लिस्ट में आठवें स्थान पर चीन का होटन शहर है, और आखिरी (10वें) पायदान पर पाकिस्तान का ही लाहौर मौजूद है।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

3. जाम और प्रदूषण की दोहरी चुनौती (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)

दक्षिणी दिल्ली में रिंग रोड पर व्यस्त समय में वाहनों की गति औसतन पांच से आठ किमी रहती है। कहने को यहां पूरे इलाके में फ्लाई ओवर हैं, कहीं पर कोई लाल बत्ती नहीं हैं, ताकि यातायात निर्बाध रूप से तेजी से पूरी गति में भागता रहे, लेकिन जाम हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहीं पर एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान समेत सफदरजंग अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर जैसे तीन बड़े अस्पताल हैं जहां हर दिन हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं। इस पूरे परिवेश में वाहनों के धुएं ने सांस लेने लायक साफ हवा का कतरा भी नहीं छोड़ा है।

दिल्ली के सबसे अधिक जहरीली हवा वाले इलाकों में से आनंद विहार एक है। यहां रेलवे स्टेशन व अंतरराज्यीय बस अड्डा के साथ ठीक सामने उत्तर प्रदेश सरकार का बस डिपो भी है। इस पूरे इलाके में भी अधिकांश समय जाम लगा रहता है। दिल्ली में लगभग 300 ऐसे स्थान हैं जहां जाम एक स्थाई समस्या है। इनमें कई स्थान तो वे मेट्रो स्टेशन भी हैं जिन्हें जाम खत्म करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इनके आसपास बैट्री रिक्शा व ऑटो रिक्शा आदि के बेतरतीब पार्किंग से आधी सड़क पर इनका कब्जा रहता है। साथ ही अनियमित तरीके से सड़कों पर इनके परिचालन से भी कई मेट्रो स्टेशनों के आसपास की पूरी यातायात व्यवस्था दम तोड़ती नजर आती है। फ्लाई ओवर, अंडर पास, मेट्रो आदि के बावजूद जाम का झाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है।

लगता है कि अब प्रशासन को अदालतों की परवाह भी नहीं रह गई है। कोई दो साल पहले राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि राजधानी की सड़कों पर जाम न लगे, यह सुनिश्चित किया जाए। एनजीटी के तत्कालीन अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की पीठ ने दिल्ली यातायात पुलिस को कहा था कि यातायात धीमा होने से हर रोज तीन लाख लीटर ईंधन जाया होता है, जिससे हवा भी प्रदूषित हो रही है। इसमें गौर करने लायक एक तथ्य और भी है कि अपनी जरूरत का करीब दो तिहाई पेट्रोल, डीजल आदि आयात करने वाला देश कितनी रकम इसकी खरीद पर चुकाता है। यदि जाम का समुचित समाधान किया जाए तो इस बड़ी रकम को विदेश जाने से भी निश्चित तौर पर बचाया जा सकता है।

निजी वाहनों को दिया गया बढ़ावा

यह बेहद गंभीर चेतावनी है कि आगामी दशक में दुनिया में वायु प्रदूषण के शिकार सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में होंगे। एक अंतरराष्ट्रीय शोध रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर प्रदूषण स्तर को काबू में नहीं किया गया तो साल 2025 तक दिल्ली में हर साल करीब 32,000 लोग जहरीली हवा के शिकार हो कर असामयिक मौत के मुंह में जाएंगे। सड़कों पर बेवजह घंटों फंसे लोग मानसिक रूप से भी बीमार हो रहे हैं व उसकी परिणति के रूप में आए रोज सड़कों पर 'रोड रेज' के तौर पर बहता खून दिखता है।

बीते दो दशकों के दौरान देश में ऑटोमोबाइल उद्योग ने बेहद तरक्की की है और साथ ही बेहतर सड़कों के जाल ने परिवहन को काफी बढ़ावा दिया है। यह किसी विकासशील देश की प्रगति के लिए अनिवार्य भी है कि वहां संचार व परिवहन की पहुंच आम लोगों तक हो। विडंबना है कि हमारे यहां बीते इन्हीं सालों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की उपेक्षा हुई व निजी वाहनों को बढ़ावा दिया गया। रही-सही कसर बैंकों के आसान कर्ज ने पूरी कर दी और अब इंसान दो कदम पैदल चलने के बनिस्पत वाहन लेने में संकोच नहीं करता है।

लगभग चार लाख बैट्री रिक्शा

लगता है कि अभी तक सरकार तय नहीं कर पाई है कि वह आम लोगों के लिए सुगम, सहज और सस्ता परिवहन मुहैया करवाना चाहती है या फिर आटोमोबाइल उद्योग को मदद करना चाहती है। चौड़ी और बेहतरीन सड़कों व फ्लाई ओवर का निर्माण तेज व सुगम यातायात के लिए किया जा रहा है या फिर बढ़ते वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए? हम राजधानी में भीड़ कम करना चाहते हैं या फिर बेहिसाब भीड़ को आने का अवसर दे कर उनसे निबटने की कवायद करना चाहते हैं? एक तरफ चौड़ी सड़कें बन रही हैं तो दूसरी ओर कम गति के वाहन साइकिल और बैट्री रिक्शा किसी के एजेंडा में ही नहीं है। सनद रहे कि राजधानी में कोई चार लाख बैट्री रिक्शे हैं जिन पर हर रोज करीब 40 लाख लोग सफर करते हैं। इसके बावजूद न तो रिक्शे के लाइसेंस को कोई पूछता है और न ही चलाने वाले का कोई लाइसेंस है। कहने को कई सड़कों पर रिक्शों पर पाबंदी है, लेकिन वे बेरोकटोक चलते हैं। लाखों लोगों को ढोने वाले इन रिक्शों का कोई स्टैंड नहीं है। रात में इन पर रोशनी अनिवार्य हो या फिर बाएं-दाएं मुड़ने के कोई निशान या फिर रिक्शा चलाने की कोई शारीरिक स्वस्थता का दायरा, कुछ भी तय नहीं है।

अनियमित यातायात व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है लुटियन दिल्ली में कहीं भी वाहनों की सड़क पर पार्किंग गैरकानूनी है, लेकिन सबसे ज्यादा सड़क घेर कर वाहन खड़ा करने का काम कई प्रमुख जगहों पर होता है। जाहिर है कि जो सड़क वाहन चलने को बनाई गई उसके बड़े हिस्से में बाधा होगी तो यातायात प्रभावित होगा ही। दिल्ली में सड़क निर्माण व सार्वजनिक बस स्टॉप की योजनाएं भी गैर नियोजित हैं। फ्लाई ओवर से नीचे उतरते ही बने बस स्टॉप जमकर जाम करते हैं। वहीं कई जगह तो निर्बाध परिवहन के लिए बने फ्लाई ओवर पर ही बसें खड़ी रहती हैं। बगैर पंजीयन के, क्षमता से अधिक सवारी लादे बैट्री रिक्शे गलत दिशा में चलने पर कतई नहीं डरते और इससे वाहनों की गति थमती है। यातायात जाम का बड़ा कारण सड़कों की त्रुटिपूर्ण डिजाइन भी होता है जिसके चलते थोड़ी सी बारिश में जलभराव हो जाता है। बारिश के समय तो यह समस्या आम हो जाती है। पूरे देश में सड़कों पर अवैध और ओवरलोड वाहनों पर तो जैसे अब कोई रोक है ही नहीं। पुराने स्कूटर को तीन पहिये लगा कर बच्चों को स्कूल पुहंचाने से ले कर मालवाहक बना लेने या फिर स्कूटर पर लोहे की बड़ी बॉडी कसवा कर अंधाधुंध माल भरने, तीन

सवारी की क्षमता वाले ऑटो में आठ सवारी व जीप में 25 तक सवारी लादने, फिर सड़क पर अंधाधुंध चलने जैसी गैरकानूनी हरकतें स्थानीय पुलिस के लिए 'सोने की मुरगी' बन गए हैं। मिलावटी ईंधन, घटिया ऑटो पार्ट्स भी वाहनों से निकले धुएं के जहर का कई गुना कर रहे हैं। वाहन सीएनजी से चले या फिर डीजल या पेट्रोल से, यदि उसमें क्षमता से ज्यादा वजन होगा तो उससे निकलने वाला धुआं जानलेवा होगा।

बीजिंग से सीखा जा सकता है बहुत कुछ

बीजिंग दिल्ली एनसीआर से बड़ा इलाका है- लगभग 16,800 वर्ग किमी, आबादी भी दो करोड़ के करीब पहुंच गई है। सड़कों पर कोई 47 लाख वाहन सूरज चढ़ते ही आ जाते हैं और कई सड़कों पर दिल्ली-मुंबई की ही तरह ट्रैफिक रेंगता दिखता है, हां जाम नहीं होता। बावजूद इसके हजारों-हजार साइकिल और इलेक्टिक मोपेड वाले सड़कों पर सहजता से चलते हैं। एक तो लेन में चलना वहां की आदत है, दूसरा सड़कों पर या तो कार दिखती हैं या फिर बसें। रेहड़ी, रिक्शा, छोटे मालवाहक कहीं नहीं दिखते हैं, उनके लिए इलाके तय हैं। इतना सबकुछ होते हुए भी किसी रेड लाइट पर यातायात पुलिस वाला नहीं दिखता। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि बेहद कम दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और सड़कों पर घूमने के बनिस्पत यातायात कर्मी कहीं बैठ कर देखते रहते हैं। यहां अधिकांश चालक लेन-ड्राईविंग का पालन करते हैं। दिल्ली में कुछ किलोमीटर का बीआरटी कोरीडोर कामयाब नहीं हो पाया। काश बीजिंग गए हमारे नेता वहां की बसों को देख करे आते। बीजिंग में करीब 800 रूटों पर बसें चलती हैं, कुछ बसें तो दो केबिन को जोड़ कर बनाई हुई यानी हमारी लोफ्लोर बस से दोगुनी बड़ी। पुराने बीजिंग में जहां सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं था, वहां भी अनूठे किस्म की व्यवस्था की गई है। इसके लिए कोई अलग से लेन तैयार नहीं की गई हैं। यदि बीआरटी, मेट्रो, मोनो रेल पर इतना धन खर्च करने के बनिस्पत केवल बसों को सही तरीके से चलाने पर विचार किया होता तो हमारे शहर ज्यादा सहजता से चलते दिखते। यदि किसी यातायात विशेषज्ञ ने वहां की बस-व्यवस्था को देख लिया होता तो हम कम खर्चे में बेहतर सार्वजनिक परिवहन दे सकते थे।

सार्वजनिक परिवहन में अव्वल है अबुधाबी

संयुक्त अरब अमीरात के छोटे से मुल्क अबुधाबी की आबादी हमारे किसी जिला मुख्यालय जितना ही है। यह भी सही है कि उसका भौगोलिक क्षेत्रफल भी अधिक नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के दौर में यदि हम कोई अच्छी योजना को लागू करना चाहें तो आबादी या क्षेत्रफल की बातें बेमानी होती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन कितना सहज-सरल है, इसकी बानगी किसी भी बस स्टैंड पर मिल जाती है। कानून कड़े हैं और उनका क्रियान्वयन बेहद कड़ा है, सो पूरी दुनिया के पर्यटकों व व्यापारियों के आगमन के स्थल अबुधाबी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बेहद सहज, सरल व पारदर्शी है। अबुधाबी में सार्वजनिक परिवहन की दो ही व्यवस्था है, बस या फिर टैक्सी। यहां बस बेहद सस्ती है। दो दिरहम में शहर में कहीं भी जा सकते हैं। यदि अबुधाबी से दुबई जाना हो तो बुर्ज खलीफा तक का टैक्सी का बिल कम से कम 270 दिरहम होगा, जबकि बस महज 25 दिरहम में पहुंचा देगी। अबुधाबी में टैक्सी परिवहन सबसे सरल है। वहां की सड़कों को भी समझना जरूरी है। लोगों के पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं जो 100 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार में चलती हैं। रेत होने के बावजूद सड़क पर न तों गंदगी मिलेगी और न ही बेसहारा पशु। जहां से पैदल वालों के लिए सड़क पार करने का रास्ता है वहां बड़े पत्थर होते हैं। खाली सड़क पर भी पैदल निकलने वालों के लिए वाहन रुक जाते हैं। यह कानून तोड़ने पर कड़ा जुर्माना होता है। हालांकि वहां ऐसा महज गलती से ही होता है, जानबूझ कर कोई ऐसा करता नहीं। शहर की टैक्सी व्यवस्था शानदार, सुरक्षित है। यहां ड्राइविंग लाईसेंस पाना तो कठिन है ही, उससे भी जटिल है टैक्सी चलाने का परमिट पाना।

4. ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता प्रकोप (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)

जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने का सवाल उतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। हमारे देश में भले इस बात का दावा बड़े जोर-शोर से किया जा रहा है कि भारत ने 2020 का कोपेनहेगन लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया है, लेकिन असलियत यह है कि देश को आने वाले समय में सतत विकास के मॉडल पर तेजी से अमल करना होगा। कारण आने वाले समय में देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जिस अनुपात में बढ़ेगा, उसमें ऊर्जा की खपत में लगातार कमी लाना सबसे बड़ी चुनौती होगी।

हकीकत यह है कि पेरिस समझौते के अनुरूप तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के प्रयास नाकाफी हैं। ब्राउन टू ग्रीन-2018 की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट में जी-20 देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि जी-20 देशों की जीवाश्म ईंधन पर से निर्भरता घट नहीं रही है। अभी भी इन देशों में 82 फीसद तक जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और जापान में तो यह निर्भरता 90 फीसद से भी अधिक है। खास बात यह कि कई देशों में जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी भी दी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2030 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की तीव्रता में 33-35 फीसद तक की कमी लाने का एलान किया है, लेकिन पेरिस समझौते के अनुसार डेढ़ डिग्री के लक्ष्य के हिसाब से यह काफी कम है।

क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक भारत में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भी करीब-करीब दोगुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की आशंका है। अभी यह 2454 मिलियन टन के करीब है जो 2030 तक 4570 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। जाहिर है यह उत्सर्जन दो डिग्री तापमान बढ़ोतरी के परिदृश्य से भी कहीं ज्यादा है। इसलिए भारत को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपने उत्सर्जन लक्ष्य नए सिरे से निर्धारित करने होंगे। रिपोर्ट के सह लेखक वैज्ञानिक जॉन बर्क का कहना है कि जी-20 देशों को तापमान बढ़ोतरी डेढ़ डिग्री सीमित रखने के लिए 2030 तक अपने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को आधा करना होगा, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दिशा में कोई गंभीर पहल होती दिखाई नहीं दे रही है।

यह उस स्थिति में और चिंता की बात है, जबकि आने वाले समय में दुनिया में कार्बन डाई ऑक्साइड का स्तर एक नए कीर्तिमान पर पहुंच जाएगा। इस साल कार्बन डाई ऑक्साइड का स्तर 411 पीपीएम हो जाएगा। गौरतलब है कि कुछ साल पहले ही कार्बन डाई ऑक्साइड के स्तर ने 400 पीपीएम का आंकड़ा छुआ था। वैश्विक तापमान बढ़ने का कारण कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोतरी भी है जिसमें लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है। उद्योग जगत के शुरुआती काल में कार्बन डाई ऑक्साइड का आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 280 पीपीएम था जो हजारों साल के बाद इस स्तर पर पहुंचा था। खास बात यह कि उस समय यह चिंताजनक स्थिति में नहीं था। 1950 के बाद से वैश्विक वातावरण में कार्बन के स्तर में बढ़ोतरी की शुरुआत हुई।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था आइपीसीसी की रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि 2040 तक दुनिया का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो 2040 तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन का असर मौसम पर साफ-साफ दिखने लगा है। देश में बीते साल विनाशकारी घटनाओं के गवाह रहे हैं। वह चाहे उत्तरी भारत में आई धूल भरी आंधियां हों या फिर केरल की प्रलयंकारी बाढ़। पिछले साल देश में चक्रवात, बिजली गिरने, भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश जैसी मौसम की मार से तकरीबन 1428 लोग अनचाहे मौत के मुंह में चले गए। इनमें सबसे ज्यादा मौतें 590 अकेले उत्तर प्रदेश में हुई।

वहीं बीता साल पिछले 117 वर्षो में छठवां सबसे गर्म साल रहा। बीते साल देश के औसत तापमान में 0.41 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1981-2010 के बीच के इन तीस वर्षो में 0.72 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। 2018 की सर्दियों में भी तापमान सामान्य से ज्यादा ही रहा। 2018 में जनवरी-फरवरी में औसत तापमान में 0.59 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। 1901 के बाद से यह इन महीनों में पांचवां सर्वाधिक गर्म साल रहा। बीते दशकों में 15 साल रिकॉर्ड सबसे गर्म साल रहे हैं। इनमें 2009, 2010, 2015, 2016, 2017 और 2018 सबसे गर्म साल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार साल 2001-10 के बीच दशकीय तापमान सामान्य से 0.23 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि साल 2011-18 के बीच यह 0.37 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इस बीच तापमान में औसत सालाना बढ़ोतरी की दर 0.6 डिग्री सेल्सियस रही है। यह इस बात का साक्षी है कि बीते कुछ वर्षो में जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है।

वैज्ञानिक अध्ययन और शोध प्रमाणित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले दिनों में गर्मियों में बेहद गर्मी पड़ेगी। वैश्विक तापमान खासकर आर्कटिक में तापमान बढ़ने से वातावरण में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो मौसम को बेहद गर्म बना देगी। परिणामस्वरूप भारत समेत उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों में मौसमी स्थितियां निष्क्रिय हो सकती हैं और गर्मियों में भयंकर तूफान आएंगे। यदि अगले बीस वर्षो में कार्बन उत्सर्जन कम नहीं हुआ तो आर्कटिक महासागर ग्रीष्मकाल में ही बर्फ मुक्त हो जाएगा। यही नहीं सितंबर माह में आर्कटिक महासागर से बर्फ बिल्कुल खत्म हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण इन क्षेत्रों का विशेष रूप से वैश्विक तापमान में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होना है। अगर पृथ्वी विज्ञान मंत्रलय के सचिव एम राजीवन की मानें तो बीते दो दशकों में तापमान में हुई बढ़ोतरी चिंताजनक है। इसे रोकना ही होगा। सौर ऊर्जा, वन क्षेत्र में बढ़ोतरी, एलईडी लाइटों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन, स्मॉग टॉवर और स्पेस फ्यूल का प्रयोग ग्रीनहाउस गैसों पर रोक लगाने में कारगर हो सकता है। इस सबके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति बेहद जरूरी है। इसके बिना ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक की उम्मीद बेमानी है।

(Adapted from Jagran.com)

5. दुनिया में हर चार में से एक मौत प्रदूषण से (प्रारंभिक परीक्षा लता मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)

दुनियाभर में होने वाली चौथाई असमय मौतों और बीमारियों के लिए प्रदूषण और पर्यावरण को होने वाला नुकसान जिम्मेदार है। ग्लोबल एन्वायरन्मेन्ट आउटलुक (जीईओ) की रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि स्मॉग, पीने के पानी में हो रहा रासायनिक प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश से कई महामारी फैल रही है जिससे अरबों लोग प्रभावित हो रहे हैं।

70 देशों के 250 वैज्ञानिकों द्वारा छह साल में तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन व कार्बन डाइआक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ने से पूरे विश्व का भविष्य खतरे में है। वायु प्रदूषण के कारण सालभर में 60 से 70 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। 2015 में करीब 90 लाख लोगों की मौत हुई थी। पीने का साफ पानी उपलब्ध न होने से डायरिया जैसी बीमारियों से भी हर साल 14 लाख लोगों की मौत हो रही है।

रिपोर्ट में पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार नहीं होने पर भी चिंता जताई गई है। 2015 में हुए समझौते में करीब 195 देशों ने 2030 तक पृथ्वी के तापमान को दो डिग्री से अधिक न बढ़ने देने के लिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का संकल्प लिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सभी देशों को समान रूप से योगदान करना होगा।

भोजन की बर्बादी रोकना बेहद जरूरी : दुनियाभर में भोजन का तिहाई हिस्सा कूड़ा में फेंका जाता है। अमीर देशों में इसकी मात्र 56 फीसद अधिक है। बर्बाद हुए खाद्य पदार्थ नौ फीसद ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। जीईओ की सह-अध्यक्ष जोयीता गुप्ता का कहना है कि 2050 तक हमें 10 अरब लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराना है। इसके लिए अधिक भोजन उत्पादन की नहीं बल्कि खाने की बर्बादी को रोकना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यावरण संतुलन से वैश्विक जीडीपी भी सुधर सकती है। ऐसे लोग जो सेहत के लिए साफ जल और हवा पर निर्भर हैं उनका जीवन स्तर भी बेहतर होता है।

(Adapted from Jagran.com)

6. NGT said Air Pollution is a serious crime- एनजीटी ने ध्वनि प्रदूषण को गंभीर अपराध बताया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; पर्यावरण)

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ध्वनि प्रदूषण को गंभीर अपराध करार दिया है। एनजीटी ने पुलिस के कहा है कि निर्धारित मापदंड से ज्यादा ध्वनि पैदा करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस आयुक्त को ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। पीठ ने इस पर एक महीने के भीतर ई-मेल के जरिए रिपोर्ट भी तलब की है। एनजीटी ने कहा है कि शांतिपूर्ण वातावरण में रहना लोगों का संवैधानिक अधिकार है। तय मानकों से ज्यादा शोर पैदा करना गंभीर अपराध है, इसको रोकने के लिए निरोधात्मक और सुधारात्मक कार्रवाई की जरूरत है।

पीठ ने अखंड भारत मोर्चा की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि पूर्वी दिल्ली में मस्जिदों में अवैध तरीके से लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल से उसके आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ पर बुरा असर पड़ रहा है।

पीठ ने कहा कि अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले स्थलों की पहचान, वहां ध्वनि मापक यंत्र लगाने और तय स्तर से ज्यादा ध्वनि पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है। पीठ ने यह भी कहा कि समय-सयम पर जांच और निगरानी की व्यवस्था होने के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ समन्वय भी होते रहना चाहिए। एनजीटी ने कहा कि जब बड़े स्तर पर कानून का उल्लंघन हो रहा हो तो चार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को पत्र लिख देने मात्र से काम नहीं चलने वाला। सीपीसीबी और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ निजी बैठकें कर तकनीकी जानकारी ली जा सकती है। मामले में अगली तारीख 12 जुलाई होगी।

(Adapted from Jagran.com)

7. Lake in Chile vanishes due to climate change- गायब हुई चिली की एक झील (Relevant for GS Prelims and Mains paper III; Environment)

दक्षिण अमेरिकी देश चिली की राजधानी सेंटियागो में पुराने नक्शों और तस्वीरों के मुताबिक राजधानी से कुछ दूर नीले पानी वाली आकुलियो झील है। इस शहर के लोग बड़ी संख्या में अक्सर वीकेंड में वहां घूमने फिरने जाया करते थे। सर्दियों में वहां स्कीइंग होती थी और गर्मियों में सर्फिंग व तैराकी। लेकिन ये सब वर्ष 2011 की बातें हैं। वर्ष 2019 की बात करें तो लेक आकुलियो का अब कोई नामोनिशान नहीं है। जिस जगह पर 12 वर्ग किलोमीटर में फैली झील थी, वहां अब एक विशाल गड्ढा शेष बचा दिख रहा है। सूखी मिट्टी पर गायों और घोड़ों के कंकाल बिखरे हुए हैं। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में यहां जानवरों ने प्यास से तड़पने के बाद दम तोड़ दिया।

स्थानीय निवासी मार्कोस कोंत्रेरास बताते हैं, 'हम बीते 10 साल से सूखे का सामना कर रहे हैं, अब झील गायब हो चुकी है, उसके साथ पर्यटन, कैंपिंग, कारोबार और सब कुछ खत्म हो चुका है।' झील में गोता लगाने के लिए बनाए गए लकड़ी के रैंप पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। नावें सूखी मिट्टी में धंसी हुई हैं। कुल मिलाकर आज की तारीख में यह कहना मुश्किल है कि यहां कोई झील हाल फिलहाल तक अस्तित्व में थी।

जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार

झील क्यों सूख गई? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन को सबसे प्रबल कारण माना जा रहा है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक वर्ष 2011 से ही झील का जलस्तर गिरना शुरू हो गया था। एक रेस्तरां में काम करने वाली कामिला नुनेज कहती हैं, 'मेरे दादा-दादी बताते हैं कि पहले सीजन के दौरान कम से कम एक सप्ताह तक मूसलाधार बारिश होती थी। आज अगर दो दिन भी ऐसी बरसात हो जाए तो हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं।'

कम होती गई बारिश

1980 के दशक में चिली में सालाना 350 मिलीमीटर बरसात होती थी। वर्ष 2018 में 175 मिलीमीटर से भी कम बरसात हुई। कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ चिली में जलवायु परिवर्तन रिसर्च के डायरेक्टर इदुआरादो बुस्तोस के मुताबिक, 'हमारा अनुमान है कि भविष्य में और भी कम वर्षा हो सकती है।'

चिली की करीब 70 फीसद आबादी सूखे से प्रभावित होने वाले इलाके में रहती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक देश भर के जल संसाधनों में 30 फीसद कम पानी होगा। यह हाल सिर्फ चिली का नहीं है। दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देशों में भी जल संसाधन तेजी से सूख रहे हैं। वर्ष 2018 में यूरोप ने अभूतपूर्व सूखे का सामना किया। अमेरिका का कैलिफोर्निया प्रांत तो बीते दो दशकों से सूखे से खस्ताहाल हो रहा है। वर्ष 2019 में ही ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अब तक बड़ी संख्या में वन्य जीव प्यासे मारे गए हैं। प्राकृतिक जल स्नोतों के सूखने की वजह से उन्हें पानी नहीं मिला।

सिकुड़ती हुई अनेक झीलें

भारत के ही राज्य जम्मू कश्मीर की प्रमुख डल झील भी लगातार सिकुड़ती जा रही है। अफ्रीकी देश चाड की मशहूर झील 4,00,000 वर्गमील से सिमट कर 520 वर्गमील रह गई है। ऐसा ही हाल उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान के बीच मौजूद अराल सागर का भी है। करीब 26,000 वर्गमील में फैला यह सागर अब अपने पुराने आकार का 10 फीसद बचा है।

(डीडब्लू से संपादित अंश, साभार)

8. Carelessness over rising temperatures- बढ़ते तापमान पर लापरवाही (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Environment)

पिछले दिनों ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो ने संयुक्त राष्ट्र के 25वें जलवायु सम्मेलन (सीओपी 25) की मेजबानी से इन्कार करते हुए कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के मामले में उनका देश किसी भी तरह से दुनिया का कर्जदार नहीं है। इस सम्मेलन की मेजबानी न करने के पीछे उन्होंने यह भी तर्क दिए कि इसके लक्ष्य असंभव और अप्राप्य हैं। अब इस सम्मेलन की मेजबानी चिली करेगा। दुनिया की अनेक पर्यावरण संस्थाएं और एजेंसियां इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि दुनिया का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यदि समय रहते सचेत होकर इसके रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाए गए तो यह ऐसे भीषण संकट का रूप ले सकता है, जिसका समाधान संभव नहीं होगा, लेकिन विडंबना ही है कि इस कठिन स्थिति के बावजूद विश्व बिरादरी में इससे निपटने को लेकर पर्याप्त इच्छाशक्ति नहीं दिख रही। विकसित और विकासशील देशों के बीच जलवायु परिवर्तन के कारकों के लिए एक-दूसरे पर दोषारोपण और खुद जिम्मेदारी से मुक्त रहने की स्थिति और चिंताजनक है।

गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर रूप से प्रयासों की शुरुआत 1992 में रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के 'पृथ्वी शिखर सम्मेलन' नामक एक आयोजन से हुई थी। उस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (यूएनएफसीसी) करने पर सहमति बनी थी। 1994 में इसे एक संधि का रूप देकर लागू कर दिया गया और अब तक इस पर 194 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। प्रत्येक वर्ष इसके सम्मेलन का आयोजन अलग-अलग देशों में किया जाता है। इस संधि में देशों ने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सघनता को स्थिर करने पर सहमति दी थी ताकि मानवीय गतिविधियों से जलवायु प्रणाली में हानिकारिक हस्तक्षेप न होने पाए। आज इस संधि पर लगभग दो सौ देशों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। अब तक 24 सीओपी सम्मेलन हो चुके हैं और इस वर्ष 25वां सीओपी ब्राजील में होना था, लेकिन उसके इन्कार के बाद अब इसकी मेजबानी चिली ने ले ली है।

वर्ष 2015 में पेरिस में सीओपी का 21वां सम्मेलन हुआ था जिसमें इसमें शामिल देशों के बीच एक जलवायु समझौते पर सहमति बनी थी और फिर नवंबर 2016 में यह समझौता लागू भी हो गया। इस समझौते पर तब तत्काल 177 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। समझौते का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती के जरिये वैश्विक तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखना है। यह समझौता लागू होने का समय 2020 तय किया गया है, लेकिन यदि इससे पहले इसके सभी सदस्य देशों में इसके लक्ष्यों पर सहमति बन जाती है तो यह पहले भी लागू हो सकता है, परंतु वर्तमान में जो हालात हैं, उन्हें देखते हुए लगता नहीं कि इसका लागू होना आसान होगा।

इस समझौते की सबसे बुनियादी बात है कि देश अपना कार्बन उत्सर्जन कम करें। इस एक बिंदु को लेकर विकासशील और विकसित देशों में खींचतान मची है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 'अमेरिका फस्ट' का नारा देते हुए तथा वैश्विक तापमान के लिए भारत-चीन को जिम्मेदार बताते हुए इस समझौते से अलग होने की बहुत पहले ही घोषणा कर चुके हैं। अमेरिका बीस टन कार्बन उत्सर्जन के साथ इस मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। ऐसे में उसका इस समझौते से अलग होने की घोषणा इस समझौते को तो कमजोर करने वाली है ही, साथ ही अन्य देशों के रुख पर भी असर डाल सकती है। ब्राजील जैसा तीव्र विकास दर वाला देश भी इसकी मेजबानी से हाथ खींचकर इसके प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त कर चुका है। चीन और भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। भारत ने अपनी तरफ से सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने की एक योजना प्रस्तुत करते हुए समझौते को मंजूरी दे दी है।

पेरिस समझौते का सबसे कमजोर पक्ष यह है कि इसको मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है तथा ऐसी कोई व्यवस्था भी अभी उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाना जा सके कि समझौते में शामिल देश निर्धारित मात्र में ही कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। ऐसे में यह समझौता अगर आम सहमति कायम करके 2020 तक लाग हो भी जाता है तो भी शायद ही कोई असर छोड पाएगा। बड़ी संभावना है कि यह भी परमाणु निशस्त्रीकरण पर बनी सहमतियों की तरह दुनिया के विकासशील और विकसित देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का एक जरिया भर बनकर रह जाए।

वैश्विक तापमान की भयावहता का आलम यह है कि संयुक्त राष्ट्र का अंतरशासकीय पैनल दुनिया भर में किए गए जलवायु संबंधी 6000 से अधिक अध्ययनों के विश्लेषण के बाद इस नतीजे पर पहुंचा है कि इस समय वैश्विक तापमान की जो स्थिति है, उस पर यदि तेजी से लगाम नहीं लगाई गई तो 21वीं सदी खत्म होते-होते औसत वैश्विक तापमान तीन से चार डिग्री तक बढ़ जाएगा। इसके बहुत ही भयंकर परिणाम हो सकते हैं। अभी वैश्विक तापमान में औसतन केवल एक डिग्री के लगभग ही वृद्धि हुई है, पर इस एक डिग्री की वृद्धि से ही जलवायु परिवर्तन की जो विनाशलीला हम देख रहे हैं, वह इसकी कल्पना करने के लिए पर्याप्त है कि वैश्विक तापमान यदि उक्त अनुमान के अनुसार तीन से चार डिग्री बढ़ गया तो पृथ्वी को क्या दिन देखने पड़ सकते हैं? जाहिर है वैश्विक तापमान की स्थिति खतरनाक से बहुत खतरनाक अवस्था की ओर बढ़ रही है, लेकिन चिंताजनक है कि विश्व बिरादरी आपसी झगड़े में उलझी हुई है। निश्चित तौर पर बढ़ते वैश्विक तापमान को कम करने की पहली जिम्मेदारी विकसित देशों की ही है, लेकिन विकासशील देशों को भी एकदम छूट नहीं मिल सकती। समयोचित उपाय यह है कि वैज्ञानिक शोध-अनुसंधान के जरिये ऐसा मार्ग विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जाए जिससे बिना कार्बन उत्सर्जन के ही विकास किया जा सके। जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तब किसी भी विकास और प्रगति का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपसी मतभेदों और व्यक्तिगत स्वार्थो से ऊपर उठकर विश्व की प्राथमिकता पृथ्वी के तापमान को कम करने की होनी चाहिए।

9. Reduction in water accumulation in Country's 91 major reservoirs- देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में दो प्रतिशत की कमी (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Environment)

28 मार्च, 2019 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 50.307 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल संग्रह हुआ। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 31 प्रतिशत है। 20 मार्च, 2019 को समाप्त सप्ताह में जल संग्रह 33 प्रतिशत के स्तर पर था। 28 मार्च, 2019 को समाप्त सप्ताह में यह संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 110 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 101 प्रतिशत है।

इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 161.993 बीसीएम है,जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 63 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली लाभ देते हैं।

क्षेत्रवार संग्रहण स्थिति : -

उत्तरी क्षेत्र

उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 8.59 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 48 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 22 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 27 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

पूर्वी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 8.27 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 44 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 47 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 43 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से बेहतर है।

पश्चिमी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 31.26 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 6.91 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 22 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 32 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 35 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 14.52 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 34 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 31 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 33 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

दक्षिणी क्षेत्र

दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 12.02 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 23 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 19 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 24 प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण से बेहतर है, लेकिन यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से कम है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं),कर्नाटक, और तमिलनाडु शामिल हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण समान स्तर पर है, उनमें ओडिशा शामिल है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण कम है उनमें राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश,तेलंगाना और केरल शामिल हैं।

(Adapted From PIB)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1. बोन मैरो ट्रांसप्लांट से एड्स के खात्मे की आस (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

एड्स का कारण बनने वाले एचआइवी-1 वायरस से मुक्ति की दिशा में उम्मीद की नई किरण दिखी है। भारतवंशी शोधकर्ता रविंद्र गुप्ता की अगुआई में वैज्ञानिकों के दल ने बताया है कि दूसरी बार बोन मैरो (अस्थि मज्जा) ट्रांसप्लांट के जरिये किसी मरीज में सफलतापूर्वक इस वायरस को खत्म किया गया है। 10 साल पहले इस तरह की पहली सफलता मिली थी। सफलता दोहराने से इलाज के इस तरीके को लेकर वैज्ञानिकों का भरोसा मजबूत हुआ है।

यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल), इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर विज्ञान पत्रिका 'नेचर' में इस संबंध में शोध प्रकाशित किया है।

क्या आधार है निष्कर्ष का?

यूसीएल के प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता ने कहा, 'एक ही जैसा तरीका अपनाकर दूसरे मरीज के सफल इलाज से यह स्पष्ट हुआ है पहला मरीज ठीक होना कोई संयोग नहीं था। फिलहाल एचआइवी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा वायरस को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे उभरने से रोके रहती है।' एड्स के मरीजों को दिए जाने वाले इलाज को एआरवी कहा जाता है।

गुप्ता और उनकी टीम का कहना है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट खतरनाक और दर्दभरी प्रक्रिया है। फिलहाल एचआइवी के लिए इसे इलाज का विकल्प नहीं माना जा सकता।

एड्स का प्रकोप

दुनिया में इस समय एड्स के करीब 3।7 करोड़ मरीज हैं, जिनमें से मात्र 59 फीसद को ही एआरवी की सुविधा मिल पाती है। सालाना करीब 10 लाख लोगों की मौत एचआइवी से जुड़े कारणों से हो जाती है। इस सबके बीच दवा प्रतिरोधी एचआइवी का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।

क्या है मामला?

लंदन के मरीज में 2003 में एचआइवी का पता चला था। 2012 तक उसने एआरवी (Anti-retroviral drugs) से इलाज कराया। इसी दौरान पता चला कि उसे ब्लड कैंसर हॉजकिन लिंफोमा है। इसके बाद 2016 में उसका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया गया। स्टेम सेल दान करने वाले व्यक्ति के शरीर में सीसीआर-5 जीन वैरिएंट की दो कॉपी मौजूद थी। दुनियाभर में ऐसे करीब एक फीसद लोग ही हैं, जिनके शरीर में इस जीन वैरिएंट की दो कॉपी मौजूद होती है। यह खूबी एचआइवी को व्यक्ति की कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कैंसर के इलाज के लिए होने वाली कीमोथेरेपी एड्स के वायरस को रोकने में कारगर होती है। इसके बाद सीसीआर-5 जीन की कॉपी वाले स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से मरीज के शरीर में एड्स के वायरस के पुन: पनपने पर लगाम लग जाती है।

(Adapted from Jagran.com)

2. चीन लगाने जा रहा है अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट, धरती तक ऐसे पहुंचेगी बिजली
(प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

चीन अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। अगर चीन ऐसा करने में कामयाब होता है तो एक शहर को रोशन कर सकेगा। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी दिक्कते हैं।

धरती तक ऐसे पहुंचेगी बिजली

सोलर फार्म को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। जहां से एनर्जी ट्रांसमिट की जाएगी। बिजली माइक्रोवेव्स से या फिर लेजर के जरिए धरती तक आएगी। चीन के स्पेस टेक्नोलॉजी के रिसर्चर ने कहा- सबसे पहले देखना होगा कि इससे इंसान, पेड़-पौधे या फिर किसी जीव पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। जिसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी।

चीन 2020 तक सोलर, हवा, हाइड्रो और न्यूक्लियर पर 367 बिलियन डॉलर खर्च करने का फैसला लिया है। सरकारी एजेंसी के मुताबिक, ये सोलर पावर स्टेशन 2050 तक तैयार हो जाएगा। प्लांट को बनाने के लिए जो उपकरण लगने हैं, उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अंतरिक्ष में ही इसको असेंबल किया जाएगा। काफी टेस्टिंग के बाद स्टेशन को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा।

(Adapted from NDTV.Khabar.com)

3. एयर स्ट्राइक में इसरो की भूमिका (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश-दुनिया के सैकड़ों उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके साबित किया है कि तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष बाजार में अब उसका कोई मुकाबला नहीं है, पर जब बात दुश्मन देशों से अपनी रक्षा करने और आतंकवाद से लोहा लेने की हो तो उसमें भी इसरो के उपग्रहों की एक शानदार भूमिका हो सकती है-यह बात हाल में (26 फरवरी, 2019 को) पाकिस्तान स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर भारतीय हवाई हमले से साबित हुई है।

जब कभी दो पड़ोसी देशों के बीच सैन्य ताकत की तुलना होती है तो अक्सर यह सैनिकों की तादाद के अलावा लड़ाकू विमानों, जंगी जहाजों, टैंकों और मिसाइलों और मारक क्षमता तक सीमित रह जाती है। इसमें विज्ञान के उन दूसरे क्षेत्रों की तरक्की को नहीं जोड़ा जाता है, जिनकी मदद से किसी भी आकलन और हमले की स्थिति में देश को बढ़त हासिल होती है। वस्तुत: भारत की सैन्य तैयारियों के संबंध में आज यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि लड़ाकू विमान, टैंक-तोपें और जंगी जहाज ही नहीं, बल्कि आसमान में तैनात इसके दर्जनों उपग्रह इसे ऐसी ताकत दे रहे हैं जिसका कोई मुकाबला पाकिस्तान हरगिज नहीं कर सकता है। आसमान में हर वक्त चौकसी कर रहे इसरो के उपग्रह पड़ोसी मुल्क के चप्पे-चप्पे की खबर रख रहे हैं। यही नहीं, अब तो यह दावा भी किया जा रहा है कि भारत अपने उपग्रहों के जरिए पाकिस्तान के 87 फीसद क्षेत्र यानी कुल 8।8 लाख वर्ग किलोमीटर में से 7।7 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर पैनी नजर रखने में सक्षम हो गया है। इससे भारत जब चाहे, पाकिस्तान के सामरिक इलाकों की गतिविधियों को देख सकता है और अपने उपग्रहों के जरिये महत्वपूर्ण नक्शे और तस्वीरें हासिल कर सकता है।

पांच करोड़ वर्ग किमी पर नजर

वैसे तो अन्य स्पेस एजेंसी की तरह ही इसरो को दूरसंचार और मौसम की जानकारी लेने वाले उपग्रहों की तैनाती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। दूरसंचार यानी टेलीविजन और टेलीफोन आदि जरूरतों के लिए इसरो ने कई उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। इनके बाद प्राकृतिक आपदाओं की सूचना आदि की जानकारी संबंधी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसरो ने उपग्रहों का एक नेटवर्क तैनात किया है जो बदलते मौसम की सूचनाएं मुहैया कराते हैं और इनकी मदद से भारतीय मौसम विभाग तमाम जानकारियां संबंधित क्षेत्रों को जारी करता है। इसी तरह विदेशी नेविगेशन सिस्टम को मुकाबला देने के लिए इसरो स्वदेशी जीपीएस के लिए भी अपने उपग्रहों का नेटवर्क तैयार कर रहा है, पर इन चीजों के अलावा आज महत्व सैन्य और जासूसी के मकसद से उपग्रहों की सेवाएं लेने का भी है। इस नजरिये से देखें तो पिछले पांच-छह

वर्षो में इसरो ने कई ऐसे सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं, जिनकी मदद से भारत की क्षमता आस-पड़ोस के 14 देशों के करीब साढ़े 5 करोड़ वर्ग किलोमीटर दायरे वाले भूभाग पर सूक्ष्म नजर रखने की हो चुकी है।

दिख रहा है दस का दम

असल में बीते करीब आधे दशक में इसरो ने एक के बाद एक कई ऐसे उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं जो अपने ताकतवर उपकरणों की सहायता से जमीन का कोना-कोना खंगालते रहते हैं। खुद सेना यह स्वीकार करती है कि देश की सरहदों से लेकर पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर हो रही गतिविधियों पर करीबी नजर रखने संबंधी जरूरतों का 70 फीसद हिस्सा इसरो के सैटेलाइट पूरा कर देते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस वक्त इसरो के कम से कम 10 उपग्रह ऐसे हैं जो देश की सैन्य और खुफिया जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इनमें खास तौर से काटरेसैट सीरीज, जीसैट-7, जीसैट-7 ए, आइआरएनएसएस यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, माइक्रोसैट, आरआइसैट और हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग यानी हाइसिस सैटेलाइट का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उड़ी हमले के उपरांत सितंबर 2016 में जब भारत की ओर से नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था तो उसमें एक अहम रोल काटरेसैट सीरीज के उपग्रहों ने निभाया था। इन उपग्रहों से बेहद बारीक डिटेल्स के साथ फोटो उपलब्ध कराए गए थे, जिनके विश्लेषण के बाद सेना को जमीनी हालात का आकलन करने और हमले की सर्वाधिक उपयुक्त जगह एवं समय का चुनाव करने में मदद मिली थी।

काटरेसैट से माइक्रोसैट तक

वैसे तो काटरेसैट सीरीज की शुरुआत वर्ष 2005 में ही हो गई थी, लेकिन सैन्य महत्व के उपग्रहों के सिलसिले की बात करें तो इसका आरंभ वर्ष 2007 में काटरेसैट-2ए के प्रक्षेपण से हुआ था। यह दोहरे उपयोग वाला उपग्रह था जो मौसम की जानकारियां बटोरने के साथ भारत के अड़ोस-पड़ोस में मिसाइलों के हर मूवमेंट पर नजर रख सकता था। इसके बाद जून 2012 में छोड़े गए काटरेसैट-2सी से पड़ोसी देशों के संवेदनशील ठिकानों के वीडियो रिकॉर्ड करने और उसका विश्लेषण कर उन्हें वापस धरती पर भेजने की सुविधा देश को मिल गई। इसी सीरीज में अगला उपग्रह काटरेसैट-2ई था जो जून 2017 में छोड़ा गया। इनके अलावा कई अन्य सैटेलाइट और हैं जिनसे दूसरे किस्म की बेहद जरूरी और संवेदनशील सूचनाएं देश और सेना को मिलती हैं। जैसे एक जुलाई 2013 और 12 अप्रैल, 2018 को अंतरिक्ष में भेजे गए आइआरएनएसएस सीरीज के उपग्रहों से देश की सरहद के 1600 किलोमीटर इलाके की बारीक निगरानी की जाती है और विशेष मिसाइलों की तैनाती और उनके मूवमेंट की थाह इनके जरिये ली जाती है। इसी तरह 30 अगस्त, 2013 को प्रक्षेपित जीसैट-7 से भारतीय नौसेना को अपनी संचार संबंधी जरूरतें और समुद्री सीमा की निगरानी करने में बहुत मदद मिलती है। इसके बाद 19 दिसंबर, 2018 को अंतरिक्ष में भेजे गए जीसैट-7ए से भारतीय वायुसेना को अपनी संचार संबंधी जरूरतें पूरा करने में बहुत मदद मिली।

यह एक बेहद उच्च क्षमता वाला सैन्योपयोगी उपग्रह है जो मिसाइलों और विमानों की हलचलों पर बारीक नजर रखने के साथ-साथ उड़ रहे विमानों के बीच हो रहे संवाद-संचार को पकड़ सकता है और फौरन उसकी जानकारी जमीन पर मौजूद सेंटर को दे सकता है। यह ड्रोन को कंट्रोल करते हुए उन्हें दुश्मन के इलाके में हमले के लिए भेज सकता है और दुश्मन के ड्रोन पर नजर भी रख सकता है। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट यानी हाइसिस को 28 नवंबर, 2018 को छोड़ा गया था और इससे रात के अंधेरे में भी तस्वीरें खींचकर जमीन के कुछ सेंटीमीटर जितने हिस्से की सूक्ष्म निगरानी की जा सकती है। यहां तक कि जमीन में दबाई गई बारूदी सुरंगों और आइईडी का भी हाइसिस से पता लगाया जा सकता है। इनके अलावा इसी साल 23 जनवरी, 2019 को प्रक्षेपित उपग्रह माइक्रोसैट-आर को इस मायने में खास कहा जा सकता है कि इसका निर्माण विशुद्ध रूप से सैन्य उद्देश्यों के लिए डीआरडीओ ने किया है। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है यानी इससे जमीनी हलचलों की बेहद सूक्ष्म जानकारी ली जा सकती है। यह उपग्रह सेना को हालात के मुताबिक योजना बनाने और दुश्मन की गतिविधि की निगरानी करने में मदद देता है।

आसमान में तैनात इसरो के इन उपग्रहों के संजाल को देखते हुए यदि यह कहा जाए कि इस वक्त देश दुश्मन मुल्क के हर संदिग्ध ठिकाने तक में झांकने की हैसियत रखता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस क्षमता के आधार पर यह दावा भी उचित ही लगता है कि 28 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी प्रशिक्षण शिविर पर हमारी वायुसेना ने जो हमला किया, वह न केवल बेहद सटीक था, बल्कि इतना संहारक था कि उससे दुश्मन देश के होश ठिकाने आ गए।

हाल में पेंटागन की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन और रूस लेजर हथियारों समेत ऐसी अंतरिक्ष क्षमता विकसित कर रहे हैं, जो अमेरिकी उपग्रहों को लक्षित और उसे क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। 'चैलेंज टू सिक्योरिटी इन स्पेस' शीर्षक वाली रपट में रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया की अंतरिक्ष क्षमताओं की जांच की गई थी। कहा जा रहा है कि जमीनी लड़ाई में तो परमाणु संपन्न देशों पर हावी हो पाना मुश्किल है, इसलिए दुनिया के ताकतवर देश अब स्पेस वॉर की तैयारियों में लगे हुए हैं।

स्पेस वॉर का जो मोटा-मोटा खाका अभी तक सामने आया है, उसमें मुख्य रूप से तीन तरह की प्रणालियों की बात की जा रही है। पहली तो यह है कि अगर कोई शत्रु देश अमेरिका पर आक्रमण करता है तो अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थित सैन्य उपग्रह-कॉमन एयरो व्हीकल से तीन हजार नॉटिकल मील की गति से एक हजार पाउंड तक के वजन वाला बम बिल्कुल सटीक निशाने पर दागा जा सकेगा। इसी तरह अंतरिक्ष में तैनात उपकरणों की सहायता से लेजर किरणों से हमला बोलना भी अमेरिका को लुभा रहा है। इस तरह की प्रणाली को इवोल्यूशनरी एयर एंड स्पेस ग्लोबल लेजर इंगेजमेंट (ईगल) कहा गया है। इससे हवा से हवा में, सतह से सतह पर या अंतरिक्ष स्थित लेजर प्रक्षेपक सिस्टम से धरती पर संहारक क्षमता वाली लेजर किरणों फेंकी जा सकती हैं और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। तीसरा सबसे विचित्र स्पेस वैपन वह है, जिसे 'रोड्स फ्रॉम गॉड' जैसा अनूठा नाम दिया गया है। धातु की बनीं अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में 7200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काटने वाली करीब सौ किलो वजन वाली इन हाइपरवेलोसिटी सड़कों से पृथ्वी पर सचमुच मौत की वर्षा की जा सकती है।

भविष्य में जिस स्पेस वॉर की आशंका जताई जा रही है, उसके कुछ और तौर-तरीकों की चर्चा है। जैसे एक तरीका है सैटेलाइटों को हैक कर लेना। वर्ष 2007 और 2008 में सैटेलाइटों की हैकिंग के कई मामले सामने आए थे। सैटेलाइट हैकिंग हो सकती है, यह बात 2013 में साबित भी हुई, जब चीनी हैकरों ने वास्तव में हैकिंग से अमेरिकी सैटेलाइट को जाम कर दिया। 2013 में ही ईरान ने बीबीसी टीवी के सैटेलाइट को भी हैक कर ईरान के बारे में दिखाए जा रहे कार्यक्रम को जाम कर दिया था। सैटेलाइट हैकिंग को स्पेस की जंग का जरिया बनाया जा सकता है, इसी चिंता के साथ यूरोपीय स्पेस एजेंसी क्वांटम इनक्रिप्शन तकनीक पर काम कर रही है जो सैटेलाइटों की हैकिंग को रोक सकती है।

(Adapted from Jagran.com)

4. हाइड्रोजन से चलेंगी बसें! (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

हाइड्रोजन चालित बसें

स्वच्छ ईंधन की खोज वैज्ञानिकों को डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के बाद अब हाइड्रोजन तक ले आई है। हालांकि हाइड्रोजन से चलने वाली बस का डिजाइन करना आसान नहीं है, पर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को इसमें कामयाबी मिली है। बेल्जियम के सार्वजनिक परिवहन में हाइड्रोजन चालित बसें शामिल करने की तैयारी हो रही है।

हाइड्रोजन से ऊर्जा कैसे हासिल की जाती है?

हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिल कर पीने का पानी बनाते हैं। इसी पानी से हाइड्रोजन को अलग कर उससे ऊर्जा हासिल की जाती है। हाइड्रोजन से ऊर्जा हासिल करने के लिए इसे ऑक्सीजन से अलग करना एक बड़ी और खर्चीली कवायद है, जिसे वैज्ञानिकों ने दशकों की मेहनत के बाद कुछ हद तक कम करने में सफलता पाई है। बसों को हाइड्रोजन से चलाने के लिए जरूरी है हाइब्रिड फ्यूल सेल, यानी इसे ऊर्जा देने वाली बैटरी और इसे बनाने में वैज्ञानिकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी है। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में इसका प्रोटोटाइप चलाया जा रहा है। हाइब्रिड का मतलब है कि बस को खींचने वाली ऊर्जा दो स्नोतों से आएगी। एक है फ्यूल सेल जो सीधे इलेक्टिक मोटर को बिजली मुहैया कराती है, और दूसरी बैटरियों से। इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नियंत्रित किया जाता है, ताकि ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल हो सके।'

ईंधन मुहैया कराने में चुनौतियां

इन बसों को ईंधन मुहैया कराने के लिए बैटरी के साथ खास स्टेशनों की भी जरूरत होगी, जहां से उन्हें ईंधन मिलेगा। बसों में लगे हाइड्रोजन की टैंक को भरने में करीब 11 मिनट लगते हैं, लेकिन यह समय बाहरी मौसम पर भी निर्भर करता है। हाइड्रोजन के फिलिंग स्टेशन के सुरक्षा मानक भी पेट्रोल पंप जैसे ही हैं। सिविल केमिकल इंजीनियर सबरीन थाबेर्ट का कहना है, 'इस तरह का रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाना एक चुनौती थी। हम ऐसा स्टेशन बनाना चाहते थे जिसे ऐसी किसी भी जगह बनाया जा सके जहां हाइड्रोजन उपलब्ध हो। इसके साथ ही हमें यह भी तय करना था कि सुरक्षा मानकों का सम्मान हो। सिस्टम ऐसा चाहिए था जिसकी निगरानी दूर रह कर भी की जा सके।'

महंगी पड़ती है

एक हाइड्रोजन बस की कीमत में डीजल से चलने वाली छह बसें खरीदी जा सकती हैं। इनका रखरखाव भी खर्चीला है। बेल्जियम की बस कंपनी डे लियन के सीईओ रोजर केस्टेलूट कहते हैं, 'अभी हम प्रायोगिक दौर में हैं, आर्थिक लिहाज से भी। लेकिन उम्मीद है कि कीमतें नीचे जाएंगी। इसी कारण से हमारे काफिले में हाइड्रोजन बसों को शामिल करने की संभावना है।'

पर्यावरण के लिए सही

शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के साथ ही जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।

पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन

इस मामले में एक बड़ी कामयाबी उस समय भी हासिल हुई जब फ्रांस की रेल ट्रंसपोर्ट कंपनी अल्स्टोम ने बीते दिनों दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का संचालन शुरू किया था। इस ट्रेन में फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा पैदा करते हैं। हालांकि अभी इस तकनीक को डीजल से चलने वाली ट्रेनों से महंगा बताया गया है, लेकिन निर्माता कंपनी का कहना है कि खरीदने के बाद इसको चलाने का खर्च लगातार कम होता जाएगा। दरअसल हाइड्रोजन ट्रेन के लिए अभी रीफ्यूलिंग की व्यवस्था कुछ गिने-चुने शहरो में ही की गई है। इसमें ईंधन डालने के लिए स्टेशन में 40 फीट ऊंचा एक स्टील कंटेनर लगाया गया है। आगामी एक दो वर्षो में इस ट्रेन के ईंधन के लिए जर्मनी में एक हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बनाया जा सकता है।

एल्सटोम कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि भले ही यह ट्रेन डीजल ट्रेन की तुलना में थोड़ी महंगी है, पर यह खर्च के मामले में सस्ती साबित होगी। उनका कहना है कि कई देश हाइड्रोजन ट्रेन को विकल्प के तौर पर खरीदना चाहते हैं।

(Adapted from Jagran.com)

5. कैंसर के इलाज की 390 गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमत 87 प्रतिशत तक घटी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

सरकार ने कैंसर के इलाज में काम आने वाले 390 गैर-अनुसूचित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में 87 प्रतिशत तक कमी कर दी है। इससे इन दवाओं का इस्तेमाल करने वाले मरीजों को सालाना 800 करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने 27 फरवरी को 42 गैर- अनुसूचित कैंसर दवाओं को दवा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत लाया है। इन दवाओं के व्यापार मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इससे 390 कैंसर-रोधी दवाओं की कीमत 87 प्रतिशत तक कम हो गई है।

एनपीपीए ने विनिर्माताओं और अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वह इन दवाओं पर नए मूल्य को लागू करें। नए मूल्य आठ मार्च से प्रभावी होंगे। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनपीपीए ने कैंसर की गैर- अनुसूचित 390 दवाओं की सूची जारी की है। इनकी कीमत 87 प्रतिशत तक कम की गई है। यह व्यवस्था आठ मार्च 2019 से प्रभावी है।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

6. वर्ल्ड वाइड वेब की 30वीं सालगिरह (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत यूरोप के रिसर्च सेंटर CERN में काम करने वाले ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी टिम बर्नर्स ली (Tim Berners-Lee) ने की। उनकी इस खोज ने दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। Google ने इस खास मौके पर Doodle बनाकर उस सिस्टम का सम्मान किया है जो मुफ्त इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए बना ग्लोबल सिस्टम है। World Wide Web Google Doodle से साफ है कि शुरुआती दिनों में कनेक्टेड कंप्यूटर किस तरह से पिक्सेलेटेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स के साथ आते हैं। बता दें कि टिम बर्नर्स ली ने 1989-90 में पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब का आइडिया था। शायद उस वक्त उन्हें भी अंदाज़ा नहीं होगा कि यह भविष्य में कितना बड़ा बन जाएगा।

World Wide Web Google Doodle उस बेहतरीन आइडिया को सम्मान देता है। इसके अलावा डूडल का आर्टवर्क ब्लॉकी ग्राफिक्स और बॉक्स जैसे कंप्यूटर मशीन की हकीकत से रूबरू कराता है। 30th Anniversary Of The World Wide Web के मौके पर हम यह भी सोचने के लिए मजबूर हैं कि स्थिति किस स्तर तक बदल चुकी है। कहां शुरुआती दिनों में हम धीमे इंटरनेट पर आश्रित थे। आज 5जी नेटवर्क की चर्चा ज़ोरों पर है।

World Wide Web का आइडिया देने वाले सर टिम बर्नर्स ली (Sir Tim Berners-Lee) ने ऑक्सफोर्ड के क्वीन्स कॉलेज में पढ़ाई की है। बाद में वे यूरोप के रिसर्च सेंटर CERN से जुड़े। वे एक सिस्टम बनाना चाहते थे जिसमें रिसर्चर्स के बीच आसानी से इंफॉर्मेशन का लेन-देन हो सके। शुरुआत में CERN में उनके आइडिया से हाइपरटेक्स्ट आधारित सिस्टम Mesh बना।

World Wide Web से जुड़ी कुछ अहम बातें

स्विटजरलैंड में यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन (CERN) में नौकरी करने के दौरान टिम बर्नर्स ली ने ब्राउजर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा। वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट का रिसर्च पेपर 6 अगस्त 1991 को टिम बर्नर्स ली द्वारा पब्लिश किया गया। इस रिसर्च पेपर ने ही इंटरनेट की नींव रखी। पहले उनके रिसर्च पेपर पर आधारित मांग को CERN में लागू किया गया। इसके बाद रिसर्च संगठन के सभी रिसर्चर्स एक कनेक्शन से जुड़े। दूसरे सस्थान के भी कई रिसर्चर्स के साथ आने के बाद 6 अगस्त को इंटरनेट का जन्म हुआ। पहली वेबसाइट http://info.cern.ch थी।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

7. डाटा सुरक्षा में चीन से काफी पीछे भारत (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

चीन और भारत को इंटरनेट की दुनिया में हमेशा एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी समझा जाता है। चीन और भारत इंटरनेट के बाजार के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं वाले देश हैं और आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। दोनों देशों के इस बड़े बाजार के लिए वहां की विशाल जनसंख्या जिम्मेदार है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देशों में इंटरनेट लगभग हर समस्या का समाधान बनकर उभरा है। चाहे दैनिक उपभोग से जुड़ी खरीदारी हो या फिर बिजली और फोन के बिल जमा करने जैसे काम, इंटरनेट के पास हर समस्या का समाधान है। जब बात आंकड़ों की होगी तो इंटरनेट का जिक्र होना लाजिमी है, क्योंकि इंटरनेट ने इस दुनिया में हर इंसान को एक आंकड़े या डाटा में तब्दील कर दिया है। 'वी आर सोशल' की 'डिजिटल सोशल एंड मोबाइल रिपोर्ट' के मुताबिक, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के आंकड़े काफी कुछ कहते हैं।

एक भारतीय औसतन पांच घंटे चार मिनट कंप्यूटर या टैबलेट पर इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। इंटरनेट पर एक घंटा 58 मिनट, सोशल मीडिया पर दो घंटे 31 मिनट के अलावा इनके मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल की औसत दैनिक अवधि दो घंटे 24 मिनट है जो लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों में जितना गहरा डूबते जायेंगे उतना ही समझ आता जायेगा कि चीन भारत से अधिक दूरदर्शी व कई मायनों में बेहतर है। इंटरनेट के इस्तेमाल के मामले में चीन की किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहने की नीति उसे भारत से इस मामले में अलग स्थान देती है। जब पूरी दुनिया में गूगल और फेसबुक का डंका बज रहा है, चीन के पास इन सबसे अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और फेसबुक, ट्विटर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। हालांकि कई बार इसे सरकार के मीडिया पर एकाधिकार के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन यदि इसे डाटा कोलोनाइजेशन के संदर्भ में देखें तो चीन ने अपने डाटा की सुरक्षा पुख्ता की हुई है।

डाटा है नया सोना

कॉलोनी वह देश या क्षेत्र है जिसका नियंत्रण किसी दूसरे देश से आने वालों के पास है अथवा दूसरे देश से आकर बस जाने वालों के पास। इसी शब्द से कॉलोनाइजेशन शब्द बना है। कॉलोनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें शक्तियों का एक केंद्र अपने आसपास के भू-भाग को नियंत्रित करता है। डाटा कॉलोनाइजेशन शब्द डिजिटल दुनिया से आया। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आप भारत में हैं और इसकी भौगौलिक सीमा के अंदर ही आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हैं, लेकिन आपका डाटा भौगौलिक सीमा से बाहर जा चुका है। किसके पास है, कौन आपके डाटा को नियंत्रित कर रहा है आप नहीं जानते। आपकी आदतें, खाना पीना, दिनचर्या सब कुछ किसी दूसरी भौगौलिक सीमा में है। आपके डाटा का किस तरह कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, यह पूरी तरह आपके नियंत्रण से बाहर है। इस समय आपके गूगल सर्च और अन्य सर्च इंजन पर सर्च के आधार पर आपका पूरा डाटा प्राप्त किया जा सकता है। कंपनियां यह भी जान जाती हैं कि आप कहां गए हैं, आपने क्या सर्च किया या फिर आपकी पसंद क्या है। इसकी वजह यह होती थी कि आपका समस्त डाटा यहां से विदेश जाता था। वहां पर भारतीय कानून प्रभावी नहीं है और ऐसे में जिस कंपनी के पास आपका डाटा है, यह उस पर निर्भर करता है कि वह आपका डाटा किसे दे।

पिछले वर्ष कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा एक शोधकर्ता को आधिकारिक तौर पर अमेरिका के फेसबुक यूजर्स का डाटा स्टोर करने का काम दिया गया। 'लाइक' एक्टिविटी के द्वारा लोगों को चुना गया। करीब 87 मिलियन लोगों का डाटा एकत्रित किया गया। गूगल पर भी यूजर का डाटा चोरी करने का आरोप लगा। इन दो बड़े समूहों पर डाटा चोरी करने का आरोप लगने के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूजर के डाटा को लेकर गंभीर चर्चाएं शुरू हुईं। दावोस में हुए वर्ल्ड इकनोमिक फोरम में डाटा को लेकर सवाल पूछे जाने पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यूजर का डाटा उन्हीं के पास रहना चाहिए व डाटा का नियंत्रण भी उन्हीं के पास होना चाहिए। हम केवल एक परिचालक के तौर पर ही कार्य कर सकते हैं।

इस प्रोजेक्ट के फायदे

डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्विस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद आपका डाटा विदेशी हाथों या किसी कंपनी के पास नहीं पहुंच पाएगा। कई बार किसी वेबसाइट को सर्च करते हुए आप गलती से किसी पोर्न या अन्य साइट पर चले जाते हैं। डीएनएस प्रोजेक्ट के तहत आपको गलत वेबसाइट पर जाने से रोका जाएगा। देश में करोड़ों लोग हर पल गलत साइट पर चले जाते हैं। जब यह योजना प्रभावी हो जाएगी तो इससे इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हजारों-करोड़ों लोग गलत साइट पर जाने से बचेंगे। इससे इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। इस अधिकारी ने कहा कि इसी तरह सरकारी ई-मेल सेवा एनआइसी के लिए दोहरे पासवर्ड, विदेश जाने पर वहां उपस्थित होने की सूचना देने जैसे महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं। इससे कोई अन्य आपका ई-मेल हैक नहीं कर पाएगा। इसी तरह से देश में भी सरकारी ई-मेल सेवा के लिए पासवर्ड के साथ ही मोबाइल पर अलर्ट, अंगुली के निशान, चेहरे की पहचान के नियम शुरू किए जा रहे हैं।

भारत ने देर से ही सही आंकड़ों के महत्व को समझते हुए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन से इस मामले में सीख भी ली जा सकती है। चीन ने हमेशा से ही अमेरिका और उसके इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए अपने खुद के विकल्प तैयार किए हैं। जहां विश्व के सभी देश अमेरिका को सुपरपावर के रूप में देखते हैं, वहीं चीन खुद ही सुपरपावर बनने की दिशा में अग्रसर है। भारत अभी तकनीकी रूप से बहुत पीछे है। ऐसे में डाटा की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अब दायित्व सरकार का बनता है कि वह देश के लोगों का डाटा देश में ही रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। चूंकि सरकार भी डिजिटल होने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है, साथ ही 'आधार' से जुड़ते व डिजिटल होते बैंक खातों और इसी तरह की सुविधाओं से देश में रहने वाले लोगों का डाटा भी संचित कर रही है। ऐसे में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि डाटा को लेकर लोगों में भरोसा बना रहे। देश की भौगौलिक सीमा में रहने वाले लोगों की तरह ही उनका डाटा भी भौगौलिक सीमा के अंदर ही रहे। साथ ही आने वाले दिनों में डिजिटल होती दुनियां और आगे बढ़ेगी, ऐसे में डाटा का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है।

भारत को भी करनी होगी अपनी पूरी तैयारी

माना जा रहा है कि जल्दी ही केंद्र सरकार इंटरनेट पर देसी सर्वर की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। यह सुविधा एनआइसी यानी नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर के जरिये मिलेगी। जल्द ही इसके लिए पब्लिक डोमेन नेम सर्विस के तौर पर नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों के लिए यह मौजूदा सिस्टम से ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद

होगा। इससे गूगल और अमेजन समेत दुनिया की कोई भी कंपनी यह नहीं पता कर पाएगी कि आपने किस वेबसाइट को देखा है या फिर किस ई-प्लेटफॉर्म से क्या खरीदारी की है। अभी वे इस बड़े डाटा को गूगल और अन्य अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की मदद से हासिल कर लेती थीं और उसके अनुरूप अपने व्यवसाय को विस्तार देती थीं। इस प्रोजेक्ट में इंटरनेट को अनावश्यक या गैर-जरूरी वेबसाइट पर जाने से भी रोकने का प्रावधान किया जाएगा। इससे इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ेगी। एनआइसी की ओर से एक यूनिफाइड मैसेजिंग सेवा भी शुरू की जाएगी। इसके तहत देश की सरकारी ई-मेल सेवाओं को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाया जाएगा ताकि इसमें किसी भी तरह की सेंधमारी नहीं हो पाएगी। मालूम हो कि देश में ज्यादातर सरकारी ई-मेल जिस प्लेटफॉर्म के जरिये किए जाते हैं उन पर भारत का नियंत्रण नहीं है। यह सभी कार्य बैकएंड या एनआइसी के सर्वर केंद्रों से होगा। ऐसे में आम इंटरनेट उपयोगकर्ता को इसके लिए कुछ नहीं करना होगा।

भारत में फेसबुक और ट्विटर की लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ है। स्मार्टफोन की सुलभता और इंटरनेट के माध्यम से हासिल होने वाले डाटा की सुगमता के कारण भारत में सोशल मीडिया की लोकप्रियता इन दिनों बहुत बढ़ी है। 'स्टैटिस्टा' की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2020 में केवल फेसबुक के उपभोक्ताओं की संख्या करीब 26.2 करोड़ होगी और ट्विटर तो भारत में राजनीति का दूसरा अड्डा बना हुआ है। बड़ी संख्या में राजनीतिज्ञ ट्विटर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। और केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं, तमाम बड़े सितारे और आम नागरिक भी ट्विटर का इस्तेमाल भरपूर करते हैं और यू-ट्यूब तो कई लोगों की कमाई का जरिया बन गया है। लेकिन इस्तेमाल करते वक्त किसी को भी शायद ही याद रहता भी हो कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के नहीं हैं। इनके सर्वर भारत की भौगोलिक सीमा से बहुत दूर अमेरिका में हैं। यानी जिस दिन ये सभी प्लेटफॉर्म भारत में सुविधा देना बंद कर देंगे, हमारा सारा डाटा हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका होगा। इसी स्थिति को यदि चीन के संदर्भ में देखें तो चीन ने अपना डाटा पूरी तरह सुरक्षित रखा हुआ है। चीन ने अपना एक अलग सोशल मीडिया ही विकसित कर लिया। चीन की सबसे लोकप्रिय एप है वी चैट। इसे चीन का फेसबुक, ट्विटर, गूगल न्यूज, टिंडर और पिंटेरेस्ट कहा जा सकता है। हाल में आए आंकड़े कहते हैं कि इस एप के उपभोक्ताओं की संख्या एक अरब का आंकड़ा पार कर चुका है।

चीन के पास अपना ट्विटर भी है। 'साइना वाइबो' नामक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को लगभग 44.6 करोड़ उपभोक्ता हर महीने इस्तेमाल करतें हैं और हर दिन करीब 11.6 करोड़ लोग इस वेबसाइट का उपयोग करते हैं। चीन के पास अपना यू-ट्यूब भी है। 'योकू टूडू' एप के मासिक उपभोक्ताओं की संख्या करीब 58 करोड़ है। हालांकि सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म आने का बाद इस एप की लोकप्रियता में काफी गिरावट आई। चीन के पास अपना हर तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। गूगल जैसा सर्च इंजन भी चीन में अपनी जगह नहीं बना पाया। 'बायडू टिबा' नाम से चीन के पास अपना सर्च इंजन है। फरवरी 2017 के आंकड़ों के मुताबिक इसके हर माह करीब 66.5 करोड़ उपभोक्ता हैं। हर दिन करीब 14.8 करोड़ उपभोक्ता इसका उपयोग करते हैं।

इनके अलावा भी चीन के पास कई और एप हैं जिनका इस्तेमाल लोग वहां रोजमर्रा के कार्यो के लिए कर रहे हैं। यदि अब भविष्य में चीन इन प्लेटफॉर्म्स को बंद भी कर देता है तो उसका डाटा पूरी तरह सुरक्षित है। चीन की सरकार अपने नागरिकों के डाटा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वहीं पर भारत की तकनीकी निर्भरता ने अपने देश के नागरिकों के डाटा को संकट में डाला हुआ है। यहां के लोगों का डाटा भारत की सीमा से पहले ही बहुत दूर जा चुका है और उसके सुरक्षित होने का या भविष्य में उसका दुरुपयोग न हो उसके लिए भी कोई प्लान तैयार नहीं है। फेसबुक और गूगल पर डाटा चोरी करने का आरोप लगने के बाद से ही निजता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चर्चा में है। पिछले वर्ष यूरोपीय संघ के नेतृत्व में जीडीपीआर (जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन) को पूरी तरह से लागू किया और इस तरह यूरोपीय संघ (इयू) में डाटा प्रोटेक्शन कानूनों की दिशा में एक मील का पत्थर कायम किया गया।

(Adapted from Jagran.com)

8. What is Mission Shakti- मिशन शक्ति क्या है? (Relevant for GS Prelims & Mains Paper III; Science & Technology)

एन्टी-सैटेलाइट हथियार

भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाकर यह साबित कर दिया है कि उसके पास अंतरिक्ष में मौजूद उसके उपग्रहों को सुरक्षित रखने की क्षमता है, और यह भी दिखा दिया कि अगर कोई उपग्रह उसके लिए खतरा पैदा करता है, तो भारत उसे मार गिरा सकता है।

भारत ने आज एक काइनेटिक हथियार का इस्तेमाल कर एक लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट को मार गिराया, जिसका अर्थ हुआ कि भारत ने अपनी अंतरिक्ष संपदा की सुरक्षा करने में सक्षम होना साबित कर दिखाया है।

भारत चौथा देश

अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ऐसा कर सकते थे, और अब भारत ऐसा चौथा देश बन गया है, जिसके पास एन्टी-सैटेलाइट हथियार है।

एंटी सैटेलाइट विपन्स (ASAT) को उपग्रहों को नष्ट करने या निष्क्रिय करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कई देश हैं जिनके पास यह क्षमता है, लेकिन भारत सहित केवल चार देशों ने अपनी ASAT क्षमताओं का साबित किया है। अमेरिका ने पहली बार साल 1958, रूस (Union of Soviet Socialist Republics- USSR) ने 1964 और चीन ने 2007 में ASAT का परीक्षण किया था। साल 2015 में, रूस ने अपनी PL-19 Nudol मिसाइल का परीक्षण किया और अन्य परीक्षणों के साथ इसका पालन किया। डीआरडीओ ने फरवरी 2010 में घोषणा की थी कि भारत अंतरिक्ष में दुश्मन के उपग्रहों को नष्ट करने के लिए एक हथियार बनाने के लिए आवश्यक तकनीक विकसित कर रहा है।

साल 2007 में चीन द्वारा परीक्षण करने के बाद कई देशों ने इस कदम की आलोचना की थी और अंतरिक्ष में सैन्यीकरण में संलग्न होने के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। चीन ने यह कहते हुए आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की थी कि वह बाहरी अंतरिक्ष में किसी भी तरह की हथियारों की दौड़ में भाग नहीं लेगा। एसैट (ASAT) मिसाइल ने भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम में नई उपलब्धि हासिल की है।

300 किलोमीटर की ऊंचाई

भारत के पास हालिया वक्त तक 48 उपग्रह थे, जो कक्षा में चक्कर काट रहे थे, और यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उपग्रहों को सबसे बड़ा ज़खीरा है, जिसकी सुरक्षा किया जाना बेहद ज़रूरी है। आज के 'मिशन शक्ति' ने दिखा दिया है कि भारत 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी किसी सक्रिय सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखता है।

भले ही प्रधानमंत्री ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन पूरी संभावना है कि यह माइक्रोसैट-आर था, जिसे 277 किलोमीटर की ऊंचाई पर PSLV के ज़रिये 24 जनवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट का वज़न 740 किलोग्राम था।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के एक विज्ञानी ने पुष्टि की कि भारत के पास एन्टी-सैटेलाइट टेस्ट करने की क्षमता कम से कम पिछले 10 साल से मौजूद है।

मिशन शक्ति क्यों इतना महत्वपूर्ण है?

इतनी ऊंचाई पर किसी सैटेलाइट को मार गिराना आसान काम नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट बेहद तेज़ गति से, यानी सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा होता है, और इतने छोटे लक्ष्य को सटीकता से भेदना बड़ी चुनौती होता है। यह बंदूक से निकली गोली को 300 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी गोली से भेदने जैसा है।

मिशन शक्ति क्यों दूसरे देशों के लिए चिंता का कारण है?

देशों को चिंता होती है कि इस तरह के परीक्षणों से अंतरिक्ष में मलबा जमा हो जाएगा, जो अन्य सैटेलाइटों के लिए दिक्कतें पैदा करेगा। ISRO के पूर्व अध्यक्ष डॉ जी. माधवन नायर ने कहा कि 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारत द्वारा किए गए इस टेस्ट से अंतरिक्ष में मलबा जमा होने की संभावना नहीं है।

वर्ष 2012 में जब भारत ने व्हीलर आईलैंड से अग्नि-5 मिसाइल का पहला परीक्षण किया था, देश के पास सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता आ गई थी। अग्नि-5 दरअसल 5,000 किलोमीटर रेंज वाली इंटर-कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और DRDO के तत्कालीन प्रमुख डॉ वीके सारस्वत ने पुष्टि की थी कि इसे सैटेलाइट लॉन्च करने या नष्ट करने - दोनों ही कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पूरी संभावना है कि भारत ने एक नई मिसाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया हो, जो आपात स्थिति में बेहद तेज़ गति से चलते उपग्रहों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट कर सकता हो।

(Adapted from NDTV.Khabar.com)

9. Russia is building its own internet-रूस बना रहा अपना इंटरनेट (Relevant for GS Prelims; Science & Technology)

स दौर में हर कोई इंटरनेट का अधिकतम इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, उस दौर में रूस ने पूरे देश में इंटरनेट बंद करने का फैसला किया है। फिलहाल यह फैसला अस्थाई तौर पर लिया गया है, ताकि देश की साइबर डिफेंस क्षमता का आकलन किया जा सके। रूस अपने देश के इंटरनेट को अमेरिका से बचाने के लिए ये कदम उठा रहा है। दरअसल रूस को डर है कि अमेरिका कभी भी उसका इंटरनेट बंद कर सकता है, जिससे उसे काफी नुकसान होगा और ऐसे में वह पहले से तैयार रहना चाहता है। रूस की एक न्यूज वेबसाइट 'आरबीसी' के अनुसार, रूस अपना खुद का इंटरनेट बना रहा है, जिसे 'रूनेट' नाम दिया जा रहा है। इस संबंध में एक बिल भी यहां की संसद में पारित हो गया है। यानी भविष्य में रूस के लोग ग्लोबल इंटरनेट का हिस्सा नहीं रहेंगे। हालांकि दुनिया से जुड़े रहने का तरीका भी रूस ने निकाला है, लेकिन वह कितना कारगर होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।

रूनेट बिल के तहत रूस में एक ऐसी व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिससे केवल देश के अंदर ही पूरी आजादी के साथ इंटरनेट इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर कोई भी ट्रैफिक रूस से बाहर जाएगा और 'वर्ल्ड वाइड वेब' से जुड़ना चाहेगा, तो उसे कई एक्सचेंज प्वाइंट्स से होकर गुजरना होगा। इन एक्सचेंज प्वाइंट्स को रूस का कम्युनिकेशन रेगुलेटर नियंत्रित करेगा। एक सवाल उठता है कि आखिर रूस अमेरिका से इतना डरा हुआ क्यों है?

समझा जा रहा है रूस इस मामले में कुछ हद तक अमेरिका से डरा हुआ है। पुतिन तो यहां तक कह चुके हैं कि इंटरनेट एक 'सीआइए प्रोजेक्ट' है। सीआइए अमेरिका की जांच एजेंसी है। पुतिन के सलाहकार जर्मन क्लिमेंको भी पिछले साल कह चुके हैं कि पश्चिमी देशों ने इंटरनेट पर इस तरह कब्जा किया है कि वह सिर्फ एक बटन से ही रूस को ग्लोबल इंटरनेट से काट सकते हैं। पुतिन और उनके सलाहकार अमेरिका पर इतने हमलावर क्यों हैं? दरअसल, अमेरिका ने रूस को हैकिंग अटैक के सोर्स की लिस्ट में डाला हुआ है, यानी अमेरिका में होने वाली हैकिंग की बहुत सारी घटनाएं रूस से होती हैं। यही वजह है कि इंटरनेट को लेकर अमेरिका और रूस के बीच मतभेद हैं। रूस अपना खुद का इंटरनेट बनाना चाहता है, जिसे वह अपने तरीके से नियंत्रित कर सके। रूस अपने देश में इंटरनेट के जाल को 'ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना' जैसा बनाना चाहता है। दरअसल चीन ने अपने यहां इंटरनेट के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत सिस्टम तैयार किया है, जिसे 'ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना' के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार ने कई तरह के फिल्टर लगाए हुए हैं, जिनकी मदद से चीनी अधिकारी ये तय करते हैं कि चीन के लोग इंटरनेट पर क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। यानी चीन जो और जैसा चाहता है वही वहां के लोग देखते हैं। जिस तरह से चीन ने 'ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना' बनाया है, उसी की तर्ज पर रूस में भी एक नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिसके जरिये रूस के अंदर की सारी चीजों तक लोग आजादी के साथ पहुंच सकेंगे, लेकिन जैसे ही कोई ट्रैफिक रूस के बाहर जाएगा, उसकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। मुमकिन है कि रूस के बाहर के इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए कई तरह के फिल्टर से भी गुजरना पड़े।

माना जा रहा है कि इस फैसले के लागू होने के बाद रूस के लोग एक तरह से दुनिया से कट से जाएंगे। ग्लोबल इंटरनेट से जुड़ना तब न तो आसान रहेगा, न ही आजाद। जैसी व्यवस्था रूस बनाना चाहता है, उसके लिए रीयल टाइम में ट्रैफिक की जानकारी और सभी ऑपरेटर्स की सारी स्कीमों की जानकारी रूस के कम्युनिकेशन रेगुलेटर को देनी होगी, जिसे सर्विस प्रोवाइडर नामुमकिन सा बता रहे हैं, लेकिन रूस अपनी बात पर अड़ा हुआ है। इस फैसले से रूस की सरकर पर आर्थिक बोझ काफी बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो 134 अरब रूबल यानी करीब 144 अरब रुपये हर साल टेलिकॉम ऑपरेटर्स को मुआवजे के तौर पर देने होंगे। इसके अलावा एक्सचेंज के रजिस्टर को बनाने के लिए अतिरिक्त 25 अरब रूबल यानी करीब 27 अरब रुपये खर्च होंगे।

(Adapted from jagran.com)

सामाजिक मुद्दे

1. सोशल मीडिया का खतरनाक इस्तेमाल (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-I के लिए प्रासंगिक; सामाजिक मुद्दे)

पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के लिए आधुनिक सामरिक तकनीक के साथ सोशल मीडिया का भी बखूबी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद द्वारा हमलावर आदिल अहमद के सोशल मीडिया के माध्यम से जारी वीडियो से कश्मीर में आतंक के नए रक्तबीज पनपेंगे। इस प्रसारण से तकनीक के विनाशकारी चेहरे का भी घिनौना रूप प्रकट हुआ है।

सोशल मीडिया कंपनी क्या जानकारी रखती हैं?

सोशल मीडिया कंपनियों में फेसबुक सबसे बड़ी है, जिसके यूजर्स की संख्या विश्व के किसी भी देश की आबादी से अधिक है। हाल में ब्रिटेन की संसदीय समिति ने फेसबुक को 'डिजिटल गैंगस्टर' कहते हुए सभी सोशल मीडिया कंपनियों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। जांच से यह बात सामने आई है कि लोगों के सोने, जागने, घूमने, खरीदारी, बैंक, परिवार समेत सभी निजी जानकारियों और पल-पल का डाटा इन कंपनियों के पास है।

आतंकियों को इनसे कैसे मदद मिलती है?

जनता को मुफ्त में जानकारी देने का झांसा देकर इन कंपनियों द्वारा देश के सभी संवेदनशील स्थानों की भी जानकारी हासिल कर ली गई है, जिनका अब आतंकियों द्वारा इस्तेमाल होने लगा है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए सिम कार्ड चाहिए होता है। दूरसंचार नियामक ट्राई के निर्देशों के अनुसार केवाईसी वेरिफिकेशन के बिना सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत के कानून और एजेंसियों से बचने के लिए आतंकियों द्वारा पाकिस्तान और दुबई जैसे देशों का मोबाइल नंबर इस्तेमाल होने लगा। पुलवामा हमले में जैश-ए-मुहम्मद के कर्ताधर्ताओं ने आदिल से संपर्क करने के लिए पीयर टू पीयर तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वे भारतीय खुफिया एजेंसियों की निगरानी से बच गए। जाहिर है इस तरह के नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर तकनीकी समन्वय की जरूरत है, लेकिन आतंकियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आतंक के प्रसार और जनसंपर्क पर तो इन कंपनियों द्वारा रोक लगाई ही जा सकती है।

फेसबुक, वाट्सएप और ट्विटर समेत सभी कंपनियों की नीति के अनुसार इनके प्लेटफॉर्म पर हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। आपत्तिजनक समूहों और संदेशों को हटाने के लिए इन कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर मुहिम भी चलती है। इसके बावजूद आतंकियों द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाना इन कंपनियों की नाकामी को ही दर्शाता है। इन कंपनियों के पास जब ग्राहकों का निजी डाटा और सारी जानकारी रहती है तो फिर आतंकी लोगों को सोशल मीडिया ग्रुपों में प्रवेश कैसे मिल जाता है? इन कंपनियों द्वारा एक फीसद से भी कम लोगों के अकाउंट का वेरिफिकेशन किए जाने से ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का आतंकी संगठनों द्वारा दुरुपयोग संभव हो पा रहा है। देश में गुमनाम तरीके से किरायेदार रखने पर मकान मालिक को सजा होती है तो फिर करोड़ों गुमनाम लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए?

सोशल मीडिया कंपनी क्यों नाकाम रहती हैं?

दरअसल यूजर्स की संख्या में बढ़ोतरी के साथ इन कंपनियों का कारोबार और आमदनी भी बढ़ती है। इसीलिए इन कंपनियों द्वारा गुमनाम यूजर्स को बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी वजह से अपराधियों और आतंकवादियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल में आसानी हो जाती है। अमेरिका में इन कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सालाना विवरण के अनुसार लगभग आठ से दस फीसद यूजर्स बोगस, डुप्लीकेट और गुमनाम हैं। भारत में उद्योग सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों के तीस फीसद से अधिक ग्राहक फर्जी और गुमनाम हैं। लोगों को जोड़कर एक विश्व ग्राम बनाने के सपने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों का विकास हुआ था, परंतु अब फेक-न्यूज, मॉब लिचिंग, अपराध, ड्रग्स और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका बहुतायत से इस्तेमाल होना चिंताजनक है।

आतंकी घटनाओं के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत और ¨हसा भड़काने की मुहिम पर लगाम लगाने के लिए इन कंपनियों द्वारा भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त करना जरूरी है। देश के लोगों के डाटा के कारोबार से मालामाल सोशल मीडिया कंपनियों की भारत में जवाबदेही तय करने के लिए कानूनों में बदलाव की जरूरत है। बोगस यूजर्स की कालाबाजारी कर रही ये कंपनियां जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपनी ढाल के तौर पर बेजा इस्तेमाल कर रही हैं। इस वजह से इंटरनेट और सोशल मीडिया की व्यवस्था अराजक और बेलगाम हो गई है। डिजिटल इंडिया में स्वच्छ भारत के लिए सोशल मीडिया को भी स्वच्छ रखने के लिए इन कंपनियों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। तभी आतंक के नासूर पर लगाम लगेगी।

(Adapted from Jagran.com)

2. International Women's Day 2019: क्या है महिला दिवस का इतिहास? जानिए कौन सी बीमारी मर्दों से ज्यादा औरतों को शिकार बनाती है (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-I के लिए प्रासंगिक; सामाजिक मुद्दे)

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है।दुनिया में पहली बार महिला दिवस कब मनाया गया यह जानने के लिए यह भी जानना होगा कि अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास क्या है (Day 8 March Women's Day History), अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है (Why is there an International Women's Day?) और पहली बार कब मनाया गया।

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास

असल में दुनिया में पहली बार महिला दिवस (First Women's Day) अमेरिका में मनाया गया। यह साल 1909 में 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने न्यूयॉर्क में 1908 में गारमेंट वर्कर्स की हड़ताल को सम्मान देने के लिए इस दिन को चुना। इसके पीछे कारण था कि इस दिन महिलाएं काम के कम घंटे और बेहतर वेतनमान के लिए अपना विरोध दर्ज करवा सकें। इसके बाद 28 फरवरी को ही रुसी महिलाओं ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (Womens Day) मनाया और यह पहले विश्व युद्ध के विरोध में किया गया। (Why International Women's Day Is March 8) वहीं, यूरोप में 8 मार्च को पीस ऐक्टिविस्ट्स के समर्थन के लिए औरतों ने रैलियां कीं थीं। इसके बाद आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड नेशन्स ने 8 मार्च, 1975 को पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।

आज यानी 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day 2019) मनाया जा रहा है। हर साथ वुमन्स डे (Women's Day) की थीम तय की जाती है। इस साल की थीम है #BalanceforBetter। इसका मतलब है कि साल 2019 के महिला दिवस पर जेंडर बैलेंस पर ध्यान खींचा गया है।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

आंतरिक सुरक्षा

1. इथोपिया हादसे के बाद भारत ने भी बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान पर लगाई रोक (प्रारंभिक परीक्षा प्रथम मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III; आंतरिक सुरक्षा)

बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक

डीजीसीए (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों द्वारा बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। डीजीसीए ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा, "ये प्लेन तबतक सेवा से बाहर रहेंगे जबतक इनमें जरूरी बदलाव और सुरक्षा के लिए जरूर उपाय नहीं किये जाते हैं"। डीजीसीए ने आगे लिखा, "यात्रियों की सुरक्षा हमेशा हमारी प्राथमिकता रहती है। इस कड़ी में हम यात्रियों की सुरक्षा के लिए दुनियाभर के विमान निर्माताओं और परिचालकों के संपर्क में रहते हैं"। आपको बता दें कि इथोपियन एयरलाइन का बोइंग 737 मैक्स 8 विमान रविवार को इथोपिया के अदीस अबाबा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चार भारतीय समेत सभी 157 लोगों की मौत हो गई थी।

इथोपिया विमान दुर्घटना

इथोपिया विमान हादसे के बाद दुनियाभर में 'बोइंग 737 मैक्स' विमानों को लेकर हड़कंप मच गया है तथा विभिन्न देशों में इसे लेकर अलग अलग तरह की कार्रवाई की गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों ने मंगलवार को अपने अपने वायुक्षेत्र में 'बोइंग 737 मैक्स' विमानों पर रोक लगा दी। दूसरी तरफ, अमेरिकी नियामकों ने बोइंग को मॉडल में तत्काल सुधार करने का भले ही आदेश दिया हो लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, आयरलैंड, आइसलैंड और ओमान जैसे देशों ने अपने अपने वायुक्षेत्र में सभी 737 मैक्स विमानों के परिचालन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। इससे पहले, चीन और इंडोनेशिया भी सोमवार को इन विमानों पर रोक लगा चुके हैं। आपको बता दें कि बीते करीब पांच महीने में बोइंग 737 मैक्स 8 विमान दूसरी बार हादसे का शिकार हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में लायन एयरलाइन का एक विमान इंडोनेशिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

2. भारत समेत दुनिया के कई देशों में बोइंग 737 विमानों पर रोक, एयरस्पेस भी बंद (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)

पांच महीने में दो नए विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दुनिया भर में बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों का खौफ छा गया है। भारत समेत दुनिया के 20 देशों ने अपने यहां इस विमान की उड़ान पर रोक लगा दी है। सात देशों ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों को अपने एयरस्पेस से गुजरने तक से रोक दिया है। उड्डयन मंत्रलय ने ट्वीट कर कहा है कि डीजीसीए ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों को खड़ा रखने के निर्देश दिए हैं। निजी क्षेत्र की दो एयरलाइंस स्पाइसजेट के पास 12 और जेट एयरवेज के पास 5 बोइंग 737 मैक्स 8 विमान हैं। अमेरिका ने कहा है कि वह बोइंग से विमान की खामियों को जल्द से जल्द दूर करने को कहेगा। हालांकि अभी उसने इन विमानों को खड़ा करने के आदेश नहीं दिए हैं। इन घटनाओं से बोइंग के शेयरों में भारी गिरावट भी आ रही है।

बोइंग विमानों की उड़ान पर रोक लगाने वाले देशों में अब ब्रिटेन का नाम भी शामिल हो गया है। ब्रिटेन ने बोइंग 737 मैक्स विमानों को खड़ा करने के निर्देश दिए हैं। ब्रिटेन ने अपने हवाई मार्ग से इन विमानों के गुजरने पर भी रोक लगा दी है। ब्रिटेन से पहले, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी, आयरलैंड, आइसलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ओमान, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और वियतनाम ने भी बोइंग मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है, जबकि चीन, इंडोनेशिया और इथोपिया ने पहले ही इन विमानों को खड़ा कर दिया था।

ब्रिटेन के साथ ही जर्मनी, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, फ्रांस और आयरलैंड ने अपने एयरस्पेस को भी बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों के लिए बंद कर दिया है। यानी अब ये विमान इन देशों के ऊपर से भी नहीं गुजरेंगे।

40 फीसद बोइंग विमान खड़े: इस समय दुनिया भर में विभिन्न एयरलाइंस में बोइंग 737 मैक्स विमानों की संख्या 371 है। इनमें से 40 फीसद विमान खड़े कर दिए गए हैं। अकेले चीन में ही 97 बोइंग मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है।

किफायती माने जाते हैं बोइंग 737 विमान : यात्री विमान के क्षेत्र में बोइंग का दशकों से दबदबा है। बोइंग 737 मैक्स विमान को सबसे बेहतर और किफायती विमान भी माना जाता है। कंपनी के पास 4,661 विमानों के ऑर्डर भी हैं, लेकिन एक के बाद एक दो हादसे होने से कंपनी के विमानों में सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बोइंग मैक्स विमानों के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। इसके चलते विमान अपने आप ही गलत मोड में आ जाता है और आगे की तरफ झुक कर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। इथोपिया में भी विमान मुंह के बल गिरा था, जिसमें क्रू मेंबर और चार भारतीयों समेत 157 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि पिछले साल अक्टूबर में इंडोनेशिया में हुए हादसे में 189 लोगों की मौत हुई थी। दोनों ही बार उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। बोइंग विमानों को उसकी तमाम विशेषताओं के कारण तमाम एयरलाइंस ने अपनाया था।

(Adapted from Jagran.com)

3. राफेल विमान के दस्तावेज लीक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा (प्रारंभिक परीक्षा लता मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)

चोरी है अवैध फोटोकॉपी

रक्षा सचिव संजय मित्र द्वारा शीर्ष अदालत में दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि सरकार की मंजूरी, अनुमति या सहमति के बगैर जिन्होंने साजिश रच कर इन अति महत्वपूर्व दस्तावेज की अवैध ढंग से फोटोकॉपी की है और उन्हें पुनर्विचार याचिका के साथ संलग्न किया है या दूसरे कामों में इस्तेमाल किया है, यह संवेदनशील व गोपनीय दस्तावेजों की चोरी है। इससे देश की संप्रभुता, सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि इस विमान सौदे में सरकार ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया है।

सिन्हा, शौरी व भूषण दोषी

केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण संवेदनशील सूचनाएं लीक करने के दोषी हैं। याचिकाकर्ता अनधिकृत तरीके से हासिल दस्तावेज अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं। उनका इरादा आंतरिक व राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा को लेकर अधूरी व चुनिंदा जानकारी साझा करना है। साक्ष्य कानून के तहत इनके खिलाफ विशेषाधिकार का दावा किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भाजपा के बागी नेता यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार में मंत्री रह चुके हैं। सिन्हा तो देश के वित्त मंत्री थे।

पुनर्विचार याचिका खारिज हो

हलफनामे में कहा गया है कि कोर्ट के पिछले साल के 14 दिसंबर के आदेश में कोई खामी नहीं है इसलिए पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। सरकार ने हलफनामे के साथ सीएजी की रिपोर्ट

भी संलग्न की है। इस आदेश में कोर्ट ने राफेल सौदे की जांच की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

(Adapted from Jagran.com)

4. विमान पर सवालिया निशान (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)

रविवार को इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से केन्या की राजधानी नैरोबी के लिए उड़ान भर रहा बोइंग 737 मैक्स विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सभी 157 लोगों की जान चली गई। पिछले पांच महीने में बोइंग के इस नए विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की यह दूसरी घटना थी। कुछ माह पूर्व अक्टूबर 2018 में लायन एयरलाइंस का बोइंग मैक्स विमान भी जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया था। लायन एयरलाइंस ने इस विमान को हादसे से तीन महीने पहले ही अपने बेड़े में शामिल किया था। बोइंग 737 मैक्स-8 का कॉमर्शियल इस्तेमाल 2017 में ही शुरू हुआ था और सुरक्षा को लेकर कंपनी ने बड़े दावे किए थे। इथियोपियन एयरलाइंस के इस विमान के क्रैश होने से इस विमान की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं जताई जाने लगी हैं।

जो विमान दुर्घटना का शिकार हुआ, वह अपने मॉडल सिरीज 737 का नवीनतम रूप है। कंपनी यह दावा करती है कि इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो अपने यात्रियों को बेहतर सफर का अनुभव कराता है और लंबी दूरी तय कर सकता है। यह विमान छोटे शहरों को दुनिया के बड़े शहरों से सीधे जोड़ सकता है। बिना कनेक्टिंग फ्लाइट के यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप और अटलांटिक महासागर को पार कर सकता है।

बोइंग 737 मैक्स मॉडल का इस्तेमाल

भारत की दो विमानन कंपनियां इसके विमानों का उपयोग करती हैं- स्पाइस जेट और जेट एयरवेज। स्पाइस जेट 737 मैक्स 8 का इस्तेमाल करती है और हर साल ईंधन खर्च में 15 लाख डॉलर की बचत करने का अनुमान लगाती है।

बोइंग 737 मैक्स फैमिली

बोइंग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, 737 मैक्स फैमिली में चार मॉडल शामिल हैं। इनके बीच सीटों, लंबाई और दूरी तय करने की क्षमता का अंतर है। 737 मैक्स 7, 737 मैक्स 8, 737 मैक्स 9 और 737 मैक्स 10- इसके ये चार मॉडल हैं। जहां 737 मैक्स 7 में 172 सीटें होती हैं, वहीं 737 मैक्स 10 में 230 सीटें होती हैं, जबकि 737 मैक्स 7 अन्य मॉडल के मुकाबले ज्यादा दूरी तय कर सकता है। यह 7,130 किमी की यात्र कर सकता है।

पांच हजार से ज्यादा ऑर्डर

दुनियाभर के 100 से ज्यादा एयरलाइंस ने पांच हजार से ज्यादा विमानों की मांग की है। पहली बार साल 1967 में कंपनी ने 737 मॉडल को उतारा था, जबकि 737 मैक्स इस मॉडल सीरीज का चौथा जेनरेशन है। वर्ष 2017 में 737 मैक्स 7 ने पहली बार उड़ान भरी थी। इंडोनेशिया के लायन एयर ने इसे पहली बार व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया था। इस वर्ष 737 मैक्स 8 और 9 कॉमर्शियल सर्विस में शामिल हुए थे।

क्या है खासियत

इस विमान के डैने नई तकनीक से डिजाइन किए गए हैं, जिससे उड़ान के दौरान यात्रियों को कम झटके महसूस होते हैं। डैने की तकनीक के चलते ईंधन भी कम इस्तेमाल होता है। विमान का इंटीरियर ख़ूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है। बेहतर रोशनी के लिए एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है। यह 737 सिरीज के अन्य विमानों के मुकाबले ज्यादा दूरी तय कर सकता है। इसके विशेष इंजन कम शोर करते हैं। वातावरण को हानि पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन भी कम करते हैं। पायलट के लिए इसमें बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, ताकि वे कम कोशिशों में सूचनाएं हासिल कर सकते हैं। साथ ही दो उड़ानों के बीच यह कम वक्त का ब्रेक लेता है।

सबसे ज्यादा बिकने वाला विमान

कारोबार के नजरिये से इस विमान को कंपनियां फायदेमंद समझती हैं। यह कम चौड़ा विमान है, जिस पर एक सीट की लागत अन्य विमानों के मुकाबले कम आती है। यह कम ईंधन भी खपत करता है। साथ ही इसमें ऑटोमैटिक सेफ्टी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है।

जकार्ता स्थित एविएशन एक्सपर्ट गैरी सोयजेटमैन का कहना है कि पिछले मॉडल की तुलना में 737 मैक्स का इंजन थोड़ा आगे है और विंग्स के मुकाबले इसकी ऊंचाई कुछ अधिक है। इससे विमान का संतुलन प्रभावित होता है।

(Adapted from Jagran.com)

5. Issues raised by Boeing accidents- बोइंग हादसे से उठते गंभीर सवाल (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)

चंद रोज पहले अदिस अबाबा से नैरोबी के रास्ते में हुई इथोपियाई एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स विमान की दुर्घटना में चार भारतीयों समेत सभी 157 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद से पहले तो भारत, चीन और ब्रिटेन समेत दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने इस विमान की उड़ान पर रोक लगा दी। फिर खुद विमान निर्माता अमेरिकी कंपनी बोइंग ने पूरी दुनिया से अपने विमान सेवा से वापस ले ली। हालांकि इससे पहले भारत के नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारतीय हवाई क्षेत्र में बोइंग 737 मैक्स के प्रवेश पर भी पाबंदी लगा दी। इसका मतलब यह है कि न सिर्फ देश के भीतर उड़ान भरने और विदेश से आने वाले बोइंग 737 मैक्स विमानों पर रोक लगाई गई है, बल्कि भारतीय वायु क्षेत्र से होकर एक देश से दूसरे देश जा रहे विमानों के प्रवेश पर भी अगले फैसले तक रोक लगी रहेगी।

हमारे देश में फिलहाल दो एयरलाइंस कंपनियां (जेट एयरवेज और स्पाइस जेट) इन विमानों को उड़ाती रही हैं, उन्होंने भी इस रोक पर अमल करने का फैसला किया है। हालांकि अन्य कारणों से जेट के ये विमान पहले से ही जमीन पर खड़े हैं। डीजीसीए के अलावा यूरोपीय संघ एविएशन सेफ्टी एजेंसी के मुताबिक उसने बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ानें तब तक रोकने की मांग की है, जब तक कि इन विमानों की सुरक्षित उड़ानों से जुड़े जरूरी उपाय नहीं कर लिए जाते। यदि इनमें कुछ सुधारों की जरूरत है तो ये सुधार और तब्दीलियां होने तक इन विमानों को उड़ाया नहीं जाए। इसी के साथ अमेरिका की एजेंसी यूएस एसोसिएशन ऑफ अटेंडेंट्स-सीडब्ल्यूए यूनियन ने भी उड्डयन प्रशासन से अपील की है कि सावधानी के तौर पर अमेरिका में भी 737 मैक्स विमानों की उड़ानों को अस्थायी रूप से रोका जाए, लेकिन इसे अपनी साख पर बट्टा मानते हुए अमेरिकी सरकार ने ऐसी रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये विमान सुरक्षित हैं।

उल्लेखनीय है कि बीते पांच महीने के अंदर बोइंग 737 मैक्स-8 मॉडल से जुड़ा यह दूसरा विमान हादसा था, इससे पहले 29 अक्टूबर, 2018 को लायन एयरलाइंस का इसी मॉडल का विमान इंडोनेशिया के पास जावा समुद्र में मुंह के बल जा गिरा था और उस दुर्घटना में 189 यात्री मारे गए थे। उस हादसे का भी भारतीय कनेक्शन था। उसके एक अनुभवी पायलट दिल्ली के भव्य जुनेजा थे, जो दुर्घटना के शिकार हुए थे। यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि लायन एयरलाइंस ने इस विमान को हादसे से दो महीने पहले ही अपने बेड़े में शामिल किया था। यही नहीं, इस विमान का पूरी दुनिया में कॉमर्शियल इस्तेमाल शुरू हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ है। महज दो साल पहले यानी 2017 से दुनिया भर के एयरलाइंस में बोइंग 737 मैक्स-8 का कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जाना आरंभ हुआ है, इसलिए यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि कलपुर्जो के घिस जाने या विमानों के पुराना होने पर भी उन्हें इस्तेमाल करने का कोई जोखिम लिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस विमान में ऐसी क्या खराबी है जो थोड़े से अंतराल में इससे जुड़ी दो बड़ी दुर्घटनाएं हो गईं और इन्हें लेकर पूरी दुनिया में संशय खड़ा हो गया।

जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो इसे बनाने वाली कंपनी बोइंग इस पर लंबे-चौड़े दावे करती है। कंपनी के अनुसार इस विमान में ऐसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जिससे यात्रियों को बेहतर सफर का अहसास होता है। यह काफी हल्का विमान है, इसलिए ईंधन खर्च के मामले में किफायती है। स्पाइस जेट ने आकलन किया था कि बोइंग 737 मैक्स-8 के इस्तेमाल से उसे हर साल ईंधन खर्च में 15 लाख डॉलर की बचत होगी। इसमें बड़ा और खास इंजन लगाया गया है। यह एक इको-फ्रेंडली इंजन है, यानी यह कम शोर करता है और इससे कम मात्र में हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है।

ईंधन और संचालन खर्च में कटौती की इसकी खूबी के कारण ही हमारे देश में जेट एयरवेज ने 225 और स्पाइस जेट ने 205 मैक्स-7 विमानों का ऑर्डर दे रखा है। हालांकि अब इन ऑर्डर्स का क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। इस विमान की एक और खासियत यह बताई गई है कि यह विमान बिना रुके लंबी दूरियां तय कर सकता है। बिना कनेक्टिंग फ्लाइट के यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप और अटलांटिक महासागर को पार कर सकता है। यही नहीं, बोइंग 737 मैक्स को एयरलाइन कंपनियां इसलिए फायदे का सौदा मानती रही हैं, क्योंकि यह कम चौड़ा विमान है, जिससे इसकी एक सीट की लागत अन्य विमानों के मुकाबले कम आती है। ऑटोमैटिक सेफ्टी फीचर आदि कई अन्य खूबियों के कारण अभी भी कई विशेषज्ञ इस विमान को खारिज करने की बात पर इसे एक भावनात्मक और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बता रहे हैं। पर कुछ तो ऐसा है जिसने अचानक दुनिया के कई देशों को इस विमान के भविष्य के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है।

बोइंग में समस्या की बात करें तो इसके इंजन और सॉफ्टवेयर में समस्या है और पायलटों के बीच प्रशिक्षण का अभाव है। इसके इंजन में दिक्कत के कारण कई बार जहाज की रफ्तार खुद ही कम हो जाती है और धीरे-धीरे जहाज की उड़ान बंद हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए बोइंग ने इसमें एमसीएएस नाम का एक सॉफ्टवेयर लगाया है, लेकिन इसमें भी समस्याएं बताई गई हैं, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर ही पायलटों को गलत निर्देश देने लगता है। असल में जिस आधुनिक तकनीक का इसमें इस्तेमाल करने का दावा किया गया है, वही तकनीक इस समय सवालों के घेरे में है। लायन एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना के बाद हुई जांच में इसके सेंसर्स

पर सवाल उठाए गए थे, जिनसे विमान के कंप्यूटर को गलत सिग्नल मिले और विमान नाक के बल पर समुद्र में जा गिरा। ये सेंसर्स विमान में लगाई गई तकनीक एंटी-स्टाल मैकेनिज्म से जुड़े थे। इस तकनीक का इस्तेमाल तब होता है, जब विमान किसी एक खास कोण पर उड़ रहा होता है और तब उसे उठान की जरूरत होती है।

ऐसे में अगर ये सेंसर्स गलत संकेत दें तो बहुत मुमकिन है कि संकेतों को फौरन नहीं सुधारे जाने की दशा में विमान क्रैश हो जाए। लायन विमान दुर्घटना के बाद अमेरिकी जांचकर्ताओं ने कहा था कि इन विमानों के पायलटों को नई एंटी-स्टाल मैकेनिज्म के बारे में ठीक प्रकार से ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जो हादसे की एक वजह बन सकती है। इन विमानों की कंप्यूटर प्रणाली की खामी के बारे में कहा जाता है कि यह पायलटों को झूठा संकेत देती है, जिससे विमान आगे की ओर झुकता चला जाता है और पायलटों के नियंत्रण से बाहर हो जाता है। खास बात यह है कि इयोपियाई एयरलाइंस और लायन एयरलाइंस, दोनों के पायलटों ने दुर्घटना से चंद लम्हे पहले तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान वापस लौटा लाने की बात कही थी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था कि विमानों का ऑटोमैटिक सिस्टम उनके आदेशों के विपरीत आचरण कर रहा था, लेकिन दोनों ही विमान लौटाए नहीं जा सके। एकदम नए विमानों में आधुनिक तकनीक का गलत समावेश किस तरह घातक बन रहा है, यह इससे साबित होता है कि इथोपियाई एयरलाइंस का बोइंग 737 मैक्स विमान चार महीने पुराना था, जबकि लायन एयरलाइंस के बेड़े में यह विमान दुर्घटना से दो महीने ही शामिल हुआ था।

यूं दावा किया जाता है कि अगर कुछ और नई तकनीकें अपनाई जाएं तो ऑटोमैटिक व्यवस्थाओं के गलत निर्देशों को काबू में किया जा सकता है। एमसीएएस (मैन्युवरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑग्युमेंटेशन सिस्टम) और एओए (एंगल ऑफ अटैक) जैसी तकनीकें ऐसी घटनाओं की रोकथाम कर सकती हैं। एमसीएएस से विमान को नाक से बल पर गिरने या नाक के बल ऊंचाई पर सीधी चढ़ाई से रोका जा सकता है। इसी तरह से एओए की मदद से हवाओं और विमान के बीच के कोण को साधा जा सकता है। पर जहां तक इनमें दक्षता का सवाल है तो माना जा रहा है कि ज्यादातर पायलटों को इसकी कोई खास ट्रेनिंग नहीं मिली है कि इनका इस्तेमाल कैसे और कब करना है। इससे विमान यात्रियों की सुरक्षा दांव पर लग गई है और बोइंग 737 मैक्स श्रेणी के विमान खतरनाक उड़ानों में तब्दील हो रहे हैं।

समस्या अकेले बोइंग कंपनी के विमानों के साथ नहीं है, बल्कि एक अन्य एयरबस ए-320 नियो विमान भी कई एयरलाइंस को परेशान करते रहे हैं। नियो विमानों के इंजनों की खराबी के कारण दुनिया भर में दिक्कतें पैदा हुई हैं। ऐसे में सुरक्षित उड़ान का सपना एक मुश्किल काम बन गया है, खासतौर से तब के लिए, जब तक कि तकनीकी समस्याओं और आधुनिक तकनीकों के मुताबिक पायलटों की जरूरी ट्रेनिंग का कोई सिलसिला कायम नहीं हो जाता है।

यह कोई नई बात नहीं है कि विमान पायलटों, क्रू-मेंबर्स और ग्राउंड स्टाफ की लापरवाही किसी विमान यात्र को एक दुखद सपने में बदल दे। हाल के अरसे में ऐसी कई घटनाएं अपने देश में भी हुई हैं जब विमान यात्र पर सवाल उठते दिखाई दिए। पिछले वर्ष अक्टूबर में ही कुछ ऐसे वाकये पेश हुए थे। जैसे एक सुबह दुबई जाने वाला एयर इंडिया का एक विमान उड़ान भरते समय एक दीवार से टकरा गया तो इसके कुछ ही दिन बाद मुंबई में एयर इंडिया की फ्लाइट टेकऑफ करने से ठीक पहले एक एयर होस्टेस जब गेट बंद कर रही थी तो वह विमान से नीचे जा गिरी और बुरी तरह घायल हो गई। इससे पहले अगस्त 2018 में रियाद में जेट एयरवेज का एक विमान रनवे से बाहर चला गया था।

इसी तरह अप्रैल 2018 में एयर इंडिया के एक विमान की खिड़की उड़ान के समय उखड़ गई थी, जिस घटना पर एक्शन लेते हुए पायलटों को काम से हटा दिया गया था। इसके अलावा भी विमानन कंपनियां कई अन्य समस्याओं से जूझ रही हैं। जैसे कि अपने कर्मचारियों को समय से वेतन न दे पाना, पायलटों की कमी जिसकी वजह से मौजूद पायलटों पर जरूरत से ज्यादा काम का दबाव है और सरकारी एवं निजी सभी एयरलाइंस को लाभ के बजाय लगातार घाटा होना। इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने डीजीसीए से हवाई यात्रओं की सुरक्षा के बारे में जवाब-तलब किया था, जिसमें हवाई यात्र के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर इंस्पेक्टर की नियुक्ति की सलाह दी गई थी, जो इस तरह की लापरवाहियों और दुर्घटनाओं की जांच करे, साथ ही जरूरत के मुताबिक बदलाव की राय भी दे।

कह सकते हैं कि इस समय एयरलाइंस इंडस्ट्री एक बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन वह इससे तभी बाहर आ सकेगी, जब यात्रियों के जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता पर लेते हुए पायलटों पर काम के बोझ, कर्मचारियों के वेतन आदि मुद्दों को वक्त रहते सुलझाएगी।

(Adapted from Jagran.com)

6. Aseemanand acquitted in Samjhauta blast case- समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में असीमानंद सहित सभी बरी (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-III के लिए प्रासंगिक; आंतरिक सुरक्षा)

स्वामी असीमानंद

स्वामी असीमानंद का असली नाम नाबाकुमार सरकार है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में जन्मे असीमानंद कमउम्र में ही राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ से जुड़ गए थे। वह 1977 में संघ के प्रचारक बने। असीमानंद नाम उनके गुरु स्वामी परमानंद ने रखा था।

इन धाराओं में चला केस

आइपीसी की धारा 120-3, 302, 307, 324, 326, 124-ए, 438 और 440 का आइपीसी, रेलवे अधिनियम की धारा 150,151,152, विस्फोटक की धारा 3, 4, 6 पदार्थ अधिनियम 1908 और धारा 3, 4 जनता की क्षति की रोकथाम संपत्ति अधिनियम 1984 और धारा 13,16, यूए (पी) अधिनियम के 18 और 23 के तहत केस चला।

क्या हुआ था?

भारत और पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस 18 फरवरी 2007 को दिल्ली से अटारी जा रही थी कि पानीपत के दीवाना स्टेशन के नजदीक विस्फोट हो गया। भीषण धमाके के बाद ट्रेन धू-धू कर जल उठी थी। इस हमले में 16 बच्चों समेत 68 लोगों की मौत हो गई थी और 12 अन्य मुसाफिर घायल हो गए थे। मारे गए लोगों में चार रेलवे कर्मचारी भी थे। मरने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे। पुलिस को मौके से दो सूटकेस बम मिले, जो फट नहीं पाए थे। हमले के चश्मदीदों ने बताया था कि दो लोग ट्रेन में दिल्ली से सवार हुए थे, लेकिन रास्ते में कहीं उतर गए। इसके बाद भीषण धमाका हुआ।

एनआइए के खिलाफ कोर्ट जाएंगे असीमानंद

असीमानंद एनआइए के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। वकीलों ने कहा, तत्कालीन सरकार ने भगवा आतंकवाद का नाम देकर असीमानंद व दूसरे आरोपितों को जानबूझ कर कई साल जेल में रखा।

(Adapted from Jagran.com)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन के हमले में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत ने अमेरिका में रह रहे लोगों को भी झकझोर दिया है। आतंकी हमले के विरोध में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र (यूएन) दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की। उन्होंने पाकिस्तान की धरती को आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आतंकियों को शरण देने के कारण पाकिस्तान द्वारा की जानवाली हथियारों की खरीदारी पर भी रोक लगा देनी जानी चाहिए।

विरोध प्रदर्शनकारियों में भारत के अलावा अमेरिका, इजरायल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के नागरिकों ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे द अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमिटी के अध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस को प्रदर्शनकारियों की मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया।

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाने के बाद फ्रांस ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया है। उसने कहा कि सुरक्षा परिषद का विस्तार जरूरी है। बता दें कि भारत लंबे समय से ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है और इस बात पर जोर दे रहा है कि ये देश इस प्रभावशाली वैश्विक संस्था के स्थायी सदस्य बनने के हकदार हैं।

फ्रांस 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का स्थायी और वीटो अधिकार प्राप्त सदस्य देश है। इस माह इसकी अध्यक्षता संभालने वाले फ्रांस ने पिछले माह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कराने के लिए सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया था। फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत, जर्मनी और जापान की स्थायी सदस्यता के प्रति अपने समर्थन को दोहराते हुए कहा कि इस शक्तिशाली संस्था में स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार इसके सुधार की दिशा का पहला अहम हिस्सा होगा। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि फ्रांकोइस डेल्ट्रे ने पत्रकारों से कहा, 'हम भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीका के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के साथ ही सुरक्षा परिषद के स्थायी और गैर स्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसके सुधार की दिशा में यह पहला अहम कदम होगा।' संयुक्त राष्ट्र में

जर्मनी के राजदूत क्रिस्टोफर हेस्जेन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डेल्ट्रे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सुधार की कुंजी 15 सदस्यीय परिषद के विस्तार, सहभागिता और नागरिक समाज के लिए खुलापन जैसे तीन क्षेत्रों के माध्यम से खुलती है। जर्मनी अप्रैल में परिषद की अध्यक्षता संभालेगा।

(Adapted from Jagran.com)

2. रूस ने आइएनएफ हथियार समझौता निलंबित किया (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को शीत युद्धकाल में अमेरिका के साथ हुए हथियार समझौते से पैर पीछे खींच लिए। उन्होंने आइएनएफ समझौते में रूसी भागीदारी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। अमेरिका पहले ही रूस पर समझौते के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाकर साझेदारी से बाहर निकल चुका है। इस प्रकार से दुनिया को शीत युद्धकाल से बाहर लाने वाला दो महाशक्तियों के बीच का आइएनएफ हथियार समझौता अब बेमानी हो गया है।

राष्ट्रपति पुतिन के क्रेमलिन कार्यालय के अनुसार समझौते को निलंबित करने के प्रपत्र पर दस्तखत हो गए हैं। कहा गया है कि अमेरिका ने समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारी को नहीं माना, इसलिए इस समझौते का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इससे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर ऐसा ही आरोप लगाया था। 1987 में हुए इस समझौते के तहत मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलों की संख्या को सीमित करने पर अमेरिका और सोवियत संघ में सहमति बनी थी। ये मिसाइल 5,500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली थीं। जिस समय यह समझौता हुआ था, उस समय चीन सैन्य ताकत नहीं बना था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। चीन लंबी दूरी की और भारत मध्यम दूरी की परमाणु हथियार युक्त बैलेस्टिक मिसाइल बनाने और दागने में सक्षम है। ऐसे में माना जा रहा था कि आइएनएफ समझौता अब बेमानी हो गया है। समझौता खत्म होने के बाद दुनिया में अब हथियारों की प्रतिद्वंद्विता फिर से तेज होने की आशंका है।

न्यूयार्क, प्रेट्र : एक अमेरिकी कंपनी में गबन के दोषी भारतवंशी दिनेश शंकर को 33 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। कैलिफोर्निया के सेन जोस में रहने वाले दिनेश ने चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनी में 25 लाख डॉलर (करीब 17 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे दिनेश ने 2013 से 2017 के बीच अपनी ही कंपनी को चूना लगाया। काम से जुड़े फर्जी दस्तावेज बनाकर दिनेश कंपनी से पैसे ऐंठ लेता था। पूरे चार साल तक की गई जालसाजी में 41 वर्षीय दिनेश ने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया।

(Adapted from Jagran.com)

3. मजबूत हो रही पश्चिम एशिया संबंधी नीति (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआइसी) के मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जो संदेश दिया उसमें कई मायने हैं, जिन पर ओआइसी को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को गौर करना चाहिए। सुषमा स्वराज का कहना है कि चरमपंथ के खतरे को केवल 'सैन्य, ख़ुफिया या कूटनीतिक' तरीकों से नहीं हराया जा सकता, बल्कि इसे 'हमारे मूल्यों की मजबूती और धर्म के संदेश' से जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सभ्यता और संस्कृति का टकराव नहीं है, बल्कि विचारों और आदर्शों के बीच प्रतिस्पर्धा है। यानी वह ओआइसी को बता रही थीं कि 50 वर्ष पहले उसने एक बड़ी गलती की थी, जिसे अब दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन वे इसके जरिये एक संदेश तो पश्चिमी दुनिया को भी दे रही थीं, जिसने कभी 'सभ्यताओं के संघर्ष' का सिद्धांत प्रतिपादित कर पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश की थी। सवाल यह उठता है कि क्या भारत के इस संदेश के बाद पाक के मनोविज्ञान में कोई बदलाव आएगा? क्या ओआइसी भारत की इस बात को समझ पाएगा, साङोदारी धर्म के आधार पर नहीं, विचारों और आदर्शों के आधार पर करनी चाहिए? क्या पश्चिमी दुनिया अपने सिद्धांतों को बदलने की कोशिश करेगी?

सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को पाठ पढ़ाने और ओआइसी देशों की आंखे खोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत चरमपंथ के खिलाफ लड़ रहा है, न कि किसी धर्म के खिलाफ। जो देश चरमपंथ को पनाह देते हैं और उनका वित्त पोषण करते हैं, उन्हें निश्चित ही उनकी धरती से चरमपंथ शिविरों को समाप्त करने के लिए कहा जाना चाहिए। यह एक महामारी है जो निरंतर फैल रही है। यदि हम वास्तव में मानवता को बचाना चाहते हैं, तो हमें चरमपंथियों का वित्तपोषण करने वाले और उन्हें पनाह देने वाले देशों से उनकी धरती पर इस तरह के शिविरों के ढांचों और पनाहगाहों को खत्म करने के लिए कहना चाहिए।

यह पहला अवसर है जब ओआइसी ने भारत को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है और वह कुछ नया सुन रहा है जिसमें धर्म है, कर्तव्य है, मूल्य हैं, नैतिकता है, आदर्श हैं, संयोजन है और एकता की कवायद है। तब क्या यह मान लिया जाए कि इसके फलित अवश्य ही भारत के डिप्लोमैटिक डिवीडेंड्स का हिस्सा बनेंगे। दरअसल पांच दशकों में यह पहला अवसर है जब ओआइसी ने अपने मंच पर भारत को आमंत्रित किया है। अरब का दबदबा और पाकिस्तान के वर्चस्व वाला यह संगठन यदि पाक की परवाह किए बिना भारत को आमंत्रित कर रहा है, तो इसके अपने मायने हैं। शायद हमारी 'पीवोट टू वेस्ट एशिया' या 'लुक वेस्ट' नीति लाभांश की ओर बढ़ चुकी है।

ओआइसी में भारत की शिरकत और इससे हासिल होने वाले कूटनीतिक लाभांशों की चर्चा करने से पहले यह जान लेना जरूरी होगा कि इस संगठन की प्रकृति कैसी है और पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करने में अब तक क्यों सफल होता रहा है। यहां दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। पहला यह कि ओआइसी का निर्माण अरब राष्ट्रवाद जैसे एक सांस्कृतिक और धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की प्रतिक्रियास्वरूप एक इस्लामी संगठन के रूप में हुआ था। जाहिर सी बात है भारत के लिए वह उपयुक्त जगह नहीं थी, लेकिन कूटनीति का तकाजा यही था कि भारत को वहां जगह मिलती, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान उसके चरित्र का फायदा उठा ले गया और निरंतर इसका प्रयोग भारत पर दबाव बनाने के लिए किया। दूसरा यह कि 1967 में यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद को इजरायल द्वारा कब्जे में लेने के कुछ समय बाद इस संगठन का निर्माण इजरायल को रोकने के उद्देश्य से किया गया था जिसमें स्वाभाविक पक्ष यहूदी विरोध का रहा होगा। बाद में इसका उद्देश्य उपनिवेशवाद, नस्लवाद का विरोध और मुसलमानों की सुरक्षा बताया गया। इस दृष्टि से पाकिस्तान का इस संगठन में शामिल होने से पहले ही प्रभाव था, जो बढ़ता ही गया।

भारत को ओआइसी के मंच पर बुलाने में संयुक्त अरब अमीरात की भूमिका अहम रही है और उसी ने सऊदी अरब को इसके लिए राजी किया। पिछले दिनों जब सऊदी प्रिंस भारत आए थे तभी उन्होंने संकेत दिया था, जब उन्होंने डी- मिलिटैंटाइजेशन की बात कही थी। यह पाकिस्तान को संदेश था, क्योंकि एशिया में पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक है, जबकि भारत चरमपंथ और आतंकवाद का विरोध करता है, न किसी देश अथवा धर्म का। चूंकि अमीरात और सऊदी अरब सहित तमाम खाड़ी देश जान चुके हैं कि भारत आधुनिकीकरण और कंपोजिट कल्चर का समर्थक है और यही भविष्य का आधार है। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय दुनिया भारत के साथ खड़ी हो तथा पाक अकेला पड़ रहा हो तब सऊदी सहित ओआइसी पाक के साथ खड़ा होने का जोखिम नहीं लेगा। यही हुआ भी।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की अबुधाबी में ओआइसी के मंच पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थिति और उनका भाषण और पाकिस्तान का वहां न जाना, सिद्ध करते हैं कि ओआइसी में अब पाकिस्तान का वह कद नहीं रह गया। हालांकि खीझे हुए पाक की पीड़ा समझी जा सकती है, क्योंकि आर्थिक बदहाली में अमेरिका द्वारा हाथ खींच लेने के बाद अब सऊदी सहित दुनिया के कुछ देश और ओआइसी जैसा संगठन ही उसकी मदद कर सकता है, लेकिन भारत को आमंत्रित करने के बाद यहां की धार्मिक फिजां भी उसके खिलाफ जाती दिख रही है। भारत को ओआइसी की तरफ से मिला आमंत्रण, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्र के बाद आया है, जो कि भारत की लुक वेस्ट और सऊदी अरब की लुक ईस्ट नीति का हिस्सा है। ओआइसी सदस्य देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, मोरक्को, ट्यूनिशिया और मिस्न जैसे देशों से भारत के द्विपक्षीय कारोबार और निवेश वाले संबंध काफी बेहतर हैं। हाल ही में भारत ने सूडान, सीरिया, ओमान और कतर में पेट्रोलियम से जुड़े वेंचरों में निवेश किया है। भारत के ईरान से रिश्ते को खाड़ी देश आसानी से समझ सकते हैं। सऊदी अरब कदापि नहीं चाहेगा कि भारत तेहरान की तरफ ज्यादा खिसके। जाहिर है उसे रोकने के लिए सऊदी को अपनी चाल और चेहरा कुछ हद तक बदलना पड़ेगा।

भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के बाद समझा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई दिनों से जारी तनाव संभवत: खत्म हो सकता है। संभवत: अभी इसलिए, क्योंकि संसद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने शांति प्रयासों की तरफ बढ़ते कदमों को रोककर एक तरह से फिर परमाणु हमले जैसी धमकी दी है। इसके पीछे की मानसिकता को कोई भी समझ सकता है। दरअसल भारतीय वायु सेना की कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। वह यह प्रयास कर रहा है कि आतंकवादियों पर की गई भारतीय कार्रवाई को पाकिस्तान पर हुई कार्रवाई साबित कर सके। भारत द्वारा पुलवामा हमले से संबंधित डोजियर भेजने के बाद भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने संसद में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी कोई बयान नहीं दिया। इसके उलट उनके बयान से परमाणु हमले की धमकी की बू आती है।

एक तरफ इस तरह की बयानबाजी और दूसरी तरफ भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर की रिहाई को शांति प्रयासों की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताना पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का परिचायक है। असल में आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत पाकिस्तान जुटा नहीं सकता है। उसकी कोशिश यही सिद्ध करने की है कि कश्मीर में या भारत में जो आतंकी कार्रवाइयां होती रहती हैं, उनके पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का नहीं, वरन भारत की दमनकारी नीतियों का परिणाम है।

यही वह बिंदु है जहां भारत को नए सिरे से विचार करना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारतीय कूटनीति, पाकिस्तान के सामने न झुकने का और अंतरराष्ट्रीय कानूनों और रुख का पाकिस्तान पर भारी दबाव था। ऐसे में बिना शर्त हमारे विंग कमांडर की वापसी भारतीय कूटनीति की जीत है, मगर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। भारतीय वायु सेना के हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान का एफ-16 विमानों से भारतीय सीमा में हमला करने की नीयत से घुसना, पाकिस्तानी वायु सेना को करारा जवाब देते हुए उसके एक विमान को मार गिराना तथा उसी में दुर्भाग्यवश भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर का पाकिस्तान की गिरफ्त में आ जाना भले ही एक परिस्थिति रही, मगर पाकिस्तान ने तत्काल उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। पुलवामा हमले में उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा ली गई जिम्मेदारी ने पाकिस्तान की भारत विरोधी मानसिकता को वैश्विक स्तर पर साबित कर दिया था। ऐसे में भारतीय पायलट की गिरफ्तारी को पाकिस्तान द्वारा अपनी साख में सुधार करने के अवसर के रूप में लिया।

पाकिस्तानी जनता द्वारा अभिनंदन के साथ की जा रही मारपीट के बीच पाकिस्तानी सेना द्वारा बचाने का, पाकिस्तानी सेना द्वारा घायलावस्था में उनसे पूछताछ करने का फिर चाय की चुस्की के बीच बातचीत का वीडियो लगातार आते रहना बहुत कुछ कह गया। इन सबका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच पाकिस्तान को शांति की राह पर चलने वाला, मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाला साबित करना रहा है। ऐसा करने के कारण विंग कमांडर को रिहा करना उसके लिए अनिवार्य बन गया था, मगर इसे जिस तरह से प्रसारित किया गया, यदि उसके

संदर्भ में भारत की तरफ से चूक होती तो फिर आतंकवाद के खिलाफ चल रही उसकी लड़ाई कमजोर पड़ने की आशंका थी। ये स्पष्ट है कि भारत को अब और अधिक दृढ़ संकल्प और अदम्य इच्छाशक्ति के साथ आतंकवाद का सामना करने की आवश्यकता है। पाकिस्तानी सेना इस घटना के बाद कोई भी मौका नहीं चूकेगी जिससे भारत का नुकसान न किया जा सके। भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर से जो समर्थन आतंकवाद के खिलाफ मिला है उसे कम नहीं होने देना है।

पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने का भारत ने विरोध दर्ज करवा दिया है। विदेश मंत्रलय ने कहा है कि पाकिस्तान अपने यहां आतंकी शिविरों के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता दिखाने के बजाय भारत के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहा है।

(Adapted from Jagran.com)

4. एफ-16 के दुरुपयोग की रिपोर्ट को गंभीरता से देख रहा है अमेरिका (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ अमेरिका निर्मित एफ-16 का दुरुपयोग किए जाने रिपोर्ट को वाशिंगटन गंभीरता से ले रहा है। यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रलय के एक शीर्ष अधिकारी ने दी है।

भारतीय वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एएमआरएएएम के पुर्जे प्रदर्शित किए। यह सुबूत अंतिम रूप से यह साबित करता है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के अपने असफल प्रयास में अमेरिका-निर्मित एफ-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया था।

पड़ोसी देश ने बालाकोट में आतंकी शिविर पर भारत की कार्रवाई का बदला लेने के लिए यह कदम उठाया था। पाकिस्तान ने कहा है कि उसने एफ-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल नहीं किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से और सूचनाओं की मांग की है। समझौते की शर्तो के मुताबिक अमेरिका-निर्मित लड़ाकू विमान का किसी तीसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसका केवल आतंक विरोधी अभियान में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(Adapted from Jagran.com)

5. बालाकोट के बाद की चुनौतियां (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर जैश-ए-मुहम्मद के बालाकोट स्थित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। अफसोस की बात है कि 26 फरवरी को हुई यह कार्रवाई अनावश्यक राजनीतिक विवादों में फंस गई। मामला इतना खिंच गया कि वायु सेना प्रमुख बीएस धनोआ को प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर कहना पड़ा कि बालाकोट ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। हालांकि सोशल मीडिया में शुरुआती तौर पर किया जा रहा दावा सही नहीं साबित हुआ कि इस हमले में करीब 300 आतंकी मारे गए। देश में फर्जी खबरों की बीमारी हाल के वर्षों में एक महामारी के रूप में उभरी है। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों को भी नहीं बख्शा।

राजनीति में बालाकोट मुद्दे का उपयोग

आगामी चुनावों में फायदा उठाने के लिए तथ्यों को सुविधाजनक रूप से तोड़-मरोड़कर तैयार की गई चाशनी असल में घरेलू विमर्श का जायका बिगाड़ रही है। ऐसे परिदृश्य में पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद के घटनाक्रम का निष्पक्ष विश्लेषण आवश्यक है। सीआरपीएफ के काफिले पर 14 फरवरी को आतंकी हमला हुआ। इसके जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हवाई हमला किया। उसके अगले ही दिन पाकिस्तानी कार्रवाई में हमारा एक मिग-21 पाक सीमा में जा गिरा और विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी फौज ने बंधक बना लिया। एक मार्च को पाकिस्तान ने उन्हें भारत को सौंप दिया।

यह 1990 के दशक से भारत पर थोपे गए छद्म युद्ध के लंबे पड़ाव की एक परिणति रही जब कश्मीर घाटी में मजहबी चरमपंथ की पहली लहर में कश्मीरी पंडितों को वहां से बेदखल कर दिया गया था।

पुलवामा-बालाकोट-अभिनंदन घटनाक्रम में कई परतें जुड़ी हुई हैं जिनके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर निहितार्थ हैं। विशेषकर ऐसे वक्त में जब भारत जिहादी आतंक की जटिल चुनौती से जूझने की दिशा में अपनी रणनीति की समीक्षा कर उसे दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। आतंक की यह विषबेल 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद से और जहरीली होती गई है। मुंबई आतंकी हमलों में इसने अपना फन फिर से उठाया और अब पुलवामा में इसका दुस्साहस फिर से जाहिर हुआ। इसका तात्कालिक नतीजा यही निकलता है कि जम्मू-कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हालात तल्ख हो गए हैं। वहां लश्करे तैयबा के दो आतंकियों के खिलाफ एक मुठभेड़ 56 घंटे तक चली। इसमें जो दो आतंकी मारे गए उनमें से एक की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर भी हुई, लेकिन इसमें भारत को पांच सुरक्षाकर्मी गंवाने पड़े। इनमें तीन सीआरपीएफ और दो जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान थे। 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच चार दिनों के दौरान संघर्षविराम उल्लंघन के 43 मामले सामने आए। सुरक्षा परिदृश्य के समक्ष उत्पन्न यह चुनौती दर्शाती है कि बालाकोट हमले के तुरंत बाद सीमापार से घुसपैठ के मामलों में कोई कमी नहीं आई। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि बालाकोट हमले के प्रभाव, दुश्मन से भिड़ंत में मिग-21 विमान को गंवाने और पायलट की वापसी को किस नजरिये से देखा जाए और भविष्य में इसके क्या आसार दिखते हैं जब भारत में लोकसभा चुनाव दस्तक देने जा रहे हैं।

बालाकोट का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारत आतंक विरोधी अभियान में वायुसेना का भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे यह भी साफ हो गया है कि ऐसी घटनाओं से सैन्य तनाव भी स्वाभाविक रूप से चरम पर पहुंच सकता है। बालाकोट हमले के कुछ दिन बाद यह बात भी सामने आई कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के भीतर तक घुसने के बजाय नियंत्रण रेखा पर भारतीय सीमा से ही हमले को अंजाम दिया। यह इसका संकेत है कि अपनी वायु शक्ति के इस्तेमाल में भारत दूरदर्शिता और एहतियात के साथ संयम का भी परिचय देगा। बालाकोट हमले से दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा, इस पर अभी बहस जारी है। मिसाल के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी कुछ संदेह जाहिर किए हैं, परंतु इसका सामरिक संदेश यही है कि पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचों को ध्वस्त करने के लिए भारत ने स्वयं द्वारा खींची गई 'लक्ष्मण रेखा' को लांघा है। बालाकोट हवाई हमले का सबसे बड़ा संदेश यही है। दिल्ली ने दर्शा दिया है कि वह किसी भी तरह के संघर्ष की स्थिति में अपनी वायुसेना के इस्तेमाल से हिचक नहीं दिखाएगी। इसका उपयोग किस तरह करना है, यह परिस्थिति और अभियान की प्रकृति के हिसाब से तय किया जाएगा। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तानी कार्रवाई पर कोई हैरानी नहीं हुई।

पाकिस्तानी वायु सेना ने अगले दिन ही जम्मू-कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का दुस्साहस किया। इसमें भारत को एक मिग-21 विमान गंवाना पड़ा और उसमें सवार पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंधक बना लिया। यह घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। यह प्रशंसनीय है कि 1960 के दशक का बना पुराना मिग-21 एफ-16 जैसे अत्याधुनिक विमान से लोहा ले सकता है, लेकिन यह भारतीय वायु सेना के पास अत्याधुनिक उपकरणों की भारी कमी की त्रसद स्थिति की ओर भी इशारा करता है। वायुसेना लड़ाकू विमानों की भारी कमी से जूझ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में उसे 126 विमानों की जरूरत थी जो अब बढ़कर 200 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अफसोस की बात यह है कि वायुसेना के बेड़े में विमानों का शामिल होना अभी भी शेष है। केवल वायुसेना ही पिछड़ी हुई नहीं है। सेना और नौसेना के अलावा अर्धसैनिक बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी अत्याधुनिक हथियारों और आधुनिकीकरण की तत्काल जरूरत है। राफेल पर हो रही सियासी धींगामुश्ती बेहद दुखद है। यह यही दर्शाती है कि घरेलू राजनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कैसे समझौते किए जाते हैं।

बालाकोट हमले की आखिरी कड़ी विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की सकुशल स्वदेश वापसी से जुड़ी हुई है। इस मुद्दे पर पूरे देश में भावनाओं का ज्वार उमड़ आया। अगर राष्ट्र की चेतना के लिए पुलवामा हमला 'निर्भया' मामले के माफिक था तो यह बहादुर पायलट अद्भुत शौर्य का प्रतीक बना। इन उमड़ती भावनाओं के दुखद पहलुओं से जुड़े वाकये भी देखने को मिले। जैसे कर्नाटक में एक प्राध्यापक को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने घुटनों के बल झुककर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसकी एक पोस्ट उन्हें भारत विरोधी लगी थी।

भारतीय राष्ट्रवाद अब दूसरों पर जबरन लादी जाने वाली भावना बन गई है जिसका खाका दक्षिणपंथ से जुड़े शरारती तत्वों द्वारा खींचा जा रहा है। निश्चित रूप से ये वैसे लोकतांत्रिक मूल्य नहीं जिनसे भारत की पहचान जुड़ी है या जिनके लिए सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देता है। पुलवामा-बालाकोट-अभिनंदन से जुड़े घटनाचक्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई संदेश निहित हैं। उनकी समुचित समीक्षा कर उनके दीर्घावधिक संभावित परिणामों के अनुकूल रणनीति

बनाने की दरकार है। बालाकोट उस छद्म युद्ध के खिलाफ एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है जिससे भारत 1990 के दशक से ही जूझ रहा है।

(Adapted from Jagran.com)

6. अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट 891 अरब डॉलर पर पहुंचा (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

अमेरिका का कुल वस्तु व्यापार घाटा 2018 में 891.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो इसके अब तक के इतिहास का सर्वाधिक उच्च स्तर है। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीति को एक बड़ा झटका लगा है, जो अमेरिका के व्यापार घाटा को कम करने की बात कहते रहे हैं। अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ने के लिए हालांकि कुछ ऐसे भी कारण जिम्मेदार हैं, जिन पर ट्रंप का कोई नियंत्रण नहीं है। इनमें प्रमुख हैं अंतराष्ट्रीय आर्थिक सुस्ती और अमेरिकी मुद्रा डॉलर में अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले मजबूती। इन दोनों ही कारणों से दूसरे देशों में अमेरिकी वस्तुओं की मांग घट गई। निर्यात से अधिक आयात होने की स्थिति को व्यापार घाटा कहा जाता है।

ट्रंप की अपनी नीतियां भी हालांकि इस रिकॉर्ड व्यापार घाटा के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें प्रमुख हैं कुल 1.5 लाख करोड़ डॉलर की टैक्स कटौती और उनके द्वारा पिछले साल शुरू किया गया ट्रेड वार। टैक्स कटौती की भरपाई अमेरिका ने अधिक कर्ज लेकर की। अर्थशास्त्री लंबे समय से चेतावनी दे रहे थे कि ट्रंप के द्वारा की गई टैक्स कटौती से आखिरकार देश के व्यापार घाटे में बढ़ोतरी ही होगी, जिसे उन्होंने घटाने का संकल्प लिया है। टैक्स कटौती के कारण अमेरिकी लोगों की जेब में अतिरिक्त पैसे बचे, जिसका उपयोग उन्होंने दूसरे देश के सामान खरीदने में किया।

चीन के साथ छेड़े गए उनके ट्रेड वार ने भी देश का व्यापार घाटा बढ़ाया। चीन के उत्पादों पर भारी भरकम शुल्क थोपने से चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती आ गई। इसका उलटा असर चीन को होने वाले अमेरिकी निर्यात पर पड़ा। 2018 के दिसंबर में अमेरिका से चीन को होने वाले निर्यात में साल-दर-साल आधार पर करीब 50 फीसद गिरावट दर्ज की गई।

ओरेगन के रीड कॉलेज की अर्थशास्त्री किंबर्ले क्लाउजिंग ने कहा कि कोई भी देश अपने उत्पादन से अधिक उपभोग करेगा तो उसे व्यापार घाटा का सामना करना होगा। इसके साथ ही जब हम टैक्स कटौती की भरपाई के लिए कर्ज का सहारा लेते हैं, तो यह असंतुलन और गंभीर हो जाता है। व्यापार घाटा में यूं तो वस्तु और सेवा दोनों ही तरह के व्यापार शामिल होते हैं, लेकिन ट्रंप का फोकस मुख्यत: वस्तु व्यापार घटाने पर रहा है। वह लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि उनकी नीतियों से देश के वस्तु व्यापार घाटे में कमी आएगी।

ट्रंप की नीतियों का परिणाम उनकी सोच के विपरीत होता दिख रहा है। पिछले साल ट्रंप ने स्टील, अल्यूमिनियम, वाशिंग मशीन और सोलर पैनल सहित चीन की अनेक वस्तुओं पर शुल्क थोप दिया। लेकिन वाणिज्य मंत्रलय ने बुधवार को कहा कि अमेरिका का कुल व्यापार घाटा 2017 के मुकाबले 2018 में 12.5 फीसद या करीब 70 अरब डॉलर बढ़कर 621 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो पिछले एक दशक में सर्वाधिक है। सेवा व्यापार में हालांकि अमेरिका आधिक्य की स्थिति में है, लेकिन वस्तु व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से कुल व्यापार घाटा भी दस साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। यूरोपीय संघ और मेक्सिको के साथ व्यापार घाटे में 10 फीसद से अधिक की बढ़ोतरी रही। दिसंबर का कुल व्यापार घाटा 59.8 अरब डॉलर का रहा, जो 2008 के बाद सवोच्च मासिक व्यापार घाटा है। अमेरिकी व्यापार घाटे के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। चीन और यूरोप की सुस्ती से अमेरिकी वस्तुओं की मांग घट गई।

(Adapted from Jagran.com)

7. चीनी अड़ंगे से फिर बचा मसूद अजहर (प्रारंभिक परीक्षा लता मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

चीन ने पहले ही दे दिए थे संकेत

चीन ने पहले ही अपने इस रुख के संकेत दे दिए थे। चीनी विदेश मंत्रलय के प्रवक्ता ने कहा था कि इस मामले का समाधान इस तरह निकलना चाहिए जिससे सभी पक्षों को संतुष्टि हो। उसका कहना था कि वह इस बारे में जिम्मेदारी से फैसला करेगा, लेकिन यह शर्त भी लगा दी थी कि 1267 समिति के सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

10 साल में चौथा प्रयास

पिछले 10 साल में मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का संयुक्त राष्ट्र में यह चौथा प्रयास था। सभी की निगाहें चीन पर लगी हुई थीं जो पहले भी ऐसी तीन कोशिशों को पलीता लगा चुका है। 2009 में भारत खुद यह प्रस्ताव लेकर आया था। लेकिन 2016 में भारत ने पी-3 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस) के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद 2017 में पी-3 देशों ने ही यह प्रस्ताव पेश किया था।

अमेरिका ने दी थी चेतावनी

अमेरिका ने बुधवार सुबह ही इस बाबत चीन को चेतावनी दी थी। अमेरिकी विदेश मंत्रलय के प्रवक्ता ने कहा था, जैश-ए-मुहम्मद कई आतंकी वारदातों के लिए जिम्मेदार है और यह क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा है। जहां तक चीन का सवाल है तो अमेरिका उसके साथ स्थायित्व व शांति के सामूहिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम कर रहा है और अजहर पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं लगता है तो यह हमारे सामूहिक उद्देश्यों के खिलाफ होगा।

(Adapted from Jagran.com)

8. आतंक के अंकुश पर चीन का अड़ंगा (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

बीते कुछ वर्षो के दौरान जम्मू कश्मीर के अलावा देश के अनेक हिस्सों में हुए अनेक आतंकवादी हमलों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम प्रमुखता से सामने आया है। इस संगठन का नेतृत्व करने वाले मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की राह में चीन ने एक बार फिर रोड़ा अटका दिया है। बीती 27 फरवरी को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूएनएससी में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर इस समूह में एक हद तक आम सहमति नजर आ रही थी। लेकिन जैसी कि पहले से आशंका थी, यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में मिले वीटो का इस्तेमाल करते हुए चीन ने इस प्रस्ताव को पारित होने से रोक दिया।

पहले भी लगाता रहा है अड़ंगा

यह चौथी बार है जब चीन ने मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने की राह में अड़ंगा लगाया है। इससे पहले वर्ष 2017, 2016 और 2009 में भी चीन जैश सरगना को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचा चुका है। वर्ष 2017 में चीन ने मसूद के बचाव में तर्क दिया था कि वह बहुत बीमार है और अब सक्रिय नहीं है और न ही जैश का सरगना है।

सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में शामिल चीन अब तक यह कहता आया है कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। वहीं पुलवामा हमले के बाद वैश्विक आक्रोश के मद्देनजर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को उम्मीद थी कि इस बार चीन समझदारी से काम लेगा और उनके कदम को बाधित नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका की तरफ से तो इस बार कड़ी चेतावनी भी दी गई थी कि चीन यदि अपने रुख में परिवर्तन नहीं करता है तो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए संकट पैदा हो सकता है। परंतु इस चेतावनी का भी चीन पर कोई असर नहीं हुआ और एक बार फिर उसने अपने पुराने रुख को कायम रखा।

क्यों जरूरी है चीन की मंजूरी

अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस समय ये कुल पांच स्थायी सदस्य हैं। नियमों के मुताबिक परिषद में कोई भी प्रस्ताव इन पांचों सदस्यों की सहमति के बिना पारित नहीं हो सकता। इन सभी सदस्यों को वीटो की तकनीकी शक्ति मिली हुई है, जिसके जरिये वे किसी भी प्रस्ताव को असहमत होने की स्थिति में रोक सकते हैं। चीन अपने इसी अधिकार का दुरुपयोग करते हुए न केवल मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से रोकता है, बल्कि इस परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की राह में भी अड़ंगा लगाता रहा है। शेष चारों सदस्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर सहमत हैं, परंतु चीन की चालबाजी के कारण भारत को अब तक इस सदस्यता से वंचित रहना पड़ा है।

इसे दुर्योग ही कहेंगे कि आज जिस यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के बलबूते चीन भारत के लिए कई मोर्चो पर परेशानी बना हुआ है, आजादी के बाद वह सदस्यता भारत को मिल रही थी, लेकिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के कारण वह चीन के पास चली गई। गौरतलब है कि वर्ष 1953 में सोवियत संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव भारत के समक्ष रखा गया था, नेहरू ने उस सदस्यता को लेने से इन्कार कर दिया। इस बारे में कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी किताब 'नेहरू : द इनवेंशन ऑफ इंडिया' में लिखा है, 'जिन भारतीय राजनयिकों ने उस दौर की विदेश मंत्रलय की फाइलों को देखा है, वे इस बात को मानेंगे कि नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य बनने की पेशकश को ठुकरा दिया था।' यहां तक कि रूस ने भारत के लिए छठी सीट बनाने तक की बात की थी, लेकिन नेहरू पहले चीन का मामला हल करने के लिए प्रयासरत रहे। नेहरू की परवर्ती कांग्रेसी सरकारों का रुख भी इस मामले में ढीला-ढाला ही रहा और अंतत: 1971 में चीन को सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता दे दी गई।

जाहिर है इस मामले में नेहरू के दूरदर्शी नहीं होने के कारण भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने से वंचित रह गया और इस कारण आज दशकों बाद तक यह परिघटना देश के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। सैकड़ों निदरेषों की जान बचाने के लिए मसूद अजहर को रिहा करने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को नेहरू की इस कूटनीतिक विफलता पर भी एक नजर जरूर डालनी चाहिए।

चीन को घेरने का सही अवसर

अब सवाल यह उठता है कि चीन की मनमानियों पर भारत की क्या प्रतिक्रिया हो? देखा जाए तो चीन हमेशा से भारत के प्रति आक्रामक रवैया रखता आया है, जबकि आजादी के बाद से ही भारत ने उसके प्रति रक्षात्मक नीति ही अपनाई है। हालांकि वर्ष 2017 में घटित डोकलाम प्रकरण के बाद भारत की इस रक्षात्मक नीति में परिवर्तन का संकेत जरूर मिला, लेकिन उस घटना के बाद भी जिस तरह से चीन के भारत विरोधी और पाक-परस्त रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है, उससे लगता है कि अभी हमें उसके प्रति और गंभीरतापूर्वक आक्रामक रणनीति अपनाने की जरूरत है।

बनानी होगी कूटनीतिक बढ़त

बहरहाल अगर भारत चाहे तो कूटनीतिक रूप से चीन को घेरने का यह बहुत ही सही अवसर है। सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रस्ताव का विरोध करने के कारण इस बार चीन उसके शेष सदस्य देशों को नाराज कर बैठा है। भारत को इस अवसर का लाभ लेते हुए उसे वैश्विक मंचों पर घेरने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। चीन की इस हरकत को आतंकवाद को प्रश्रय देने के रूप में विश्व पटल पर प्रचारित और स्थापित करना भारतीय कूटनीति का वर्तमान में बड़ा लक्ष्य होना चाहिए।

उचित होगा कि भारतीय जांच एजेंसियां और ख़ुफिया ब्यूरो आदि मिलकर इस विषय में चीनी भूमिका की गुप्त जांच करें और उसकी संलिप्तता पाए जाने पर, उसे साक्ष्य समेत विश्व समुदाय के सामने लाकर, चीन के ढोंगी चरित्र का पर्दाफाश करें। अगर भारत दुनिया को यह संदेश देने में कामयाब रहता है कि पाकिस्तान में पनपे आतंकवाद को संरक्षण चीन से मिल रहा है तो यह चीन पर एक बड़ी कूटनीतिक बढ़त होगी। इस प्रकार चीन को विश्व बिरादरी में सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठाशून्य और कमजोर किया जा सकता है।

वह समय गया जब तलवारों और बंदूकों के दम पर साम्राज्य स्थापित होते थे। सैन्य कार्रवाई से भी ज्यादा कारगर हथियार अब आर्थिक कार्रवाई बनता जा रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ता है। वर्तमान दौर आर्थिक साम्राज्यवाद का है और चीन यह बात बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए वह अपनी कम टिकाऊ, किंतु सस्ती वस्तुओं के द्वारा भारतीय बाजारों को लुभाने का प्रयास कर रहा है और बड़े पैमाने पर इसमें सफल भी रहा है।

अक्सर कहा जाता है कि भारत को चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए या फिर उसके उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए। इससे चीन को कमजोर किया जा सकता है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीनी वस्तुओं पर 300 फीसद टैरिफ लगाने का सुझाव दिया है, ताकि उनके सामान की खपत को हतोत्साहित किया जा सके। लेकिन कड़वा सच यह है कि इस विषय में लाख चाहने पर भी भारत चीन को रोकने की स्थिति में नहीं है। दरअसल डब्लूटीओ यानी विश्व व्यापार संधि के कारण भारत के हाथ बंधे हुए हैं। डब्लूटीओ किसी भी देश को आयात पर भारी-भरकम प्रतिबंध लगाने से रोकता है। वर्ष 2016 में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद कहा था कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों की वजह से चीनी वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। वैसे भी इस वैश्वीकरण के दौर में एकदूसरे के उत्पादों का बहिष्कार न तो आर्थिक दृष्टि से सही है और न ही व्यावहारिक रूप से ही इसका कोई लाभ है।

लेकिन भारत को इतना तो अवश्य करना चाहिए कि वह स्वनिर्माण के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश के द्वारा चीनी बाजारों पर से अपनी निर्भरता को कम करते हुए, आत्मनिर्भर होने के लिए यथासंभव प्रयास करे। भारत का स्वदेशी बाजार यदि मजबूत होगा तो बिना किसी प्रतिबंध के चीनी उत्पादों का बाजार देश में सिमटता जाएगा।

चीन के एक प्राचीन विद्वान सुनुत्से ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दुश्मन को हराने का सबसे अचूक हथियार है कि उसे, उसके दुश्मनों से भिड़ा दो। चीन के पाकिस्तान प्रेम का यह एक प्रमुख कारण इसे भी कहा जा सकता है। इसके अलावा सीपीईसी के रूप में उसने पाकिस्तान में जो भारी-भरकम निवेश किया है, इस कारण भी पाकिस्तान के साथ खड़ा होना उसके लिए जरूरी है।

भारत के लिहाज से इस मोर्चे पर जापान एक कारगर साथी हो सकता है। गौरतलब है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद जापान, चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है, वहीं चीन जापान का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है। दोनों देशों के बीच लगभग साढ़े तीन सौ अरब डॉलर का व्यापार है। भारत इस व्यापार को तो बहुत प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन जापान के सहयोग से क्षेत्रीय स्तर पर चीन को जवाब देने का काम कर सकता है। मोदी सरकार के आने के बाद इस दिशा में देश की सक्रियता दिख भी रही है, जिसका प्रमाण चीन की 'वन बेल्ट वन रोड' परियोजना के जवाब में भारत और जापान द्वारा मिलकर शुरू की गई एएजीसी यानी एशिया अफ्रीका ग्रोथ कोरिडोर परियोजना है। इस परियोजना के तहत अफ्रीका के साथ दक्षिण, पूर्व और पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से एकीकृत करने की साडोदार पहल हुई है। इसके तहत भारत, अफ्रीका और अन्य सहयोगी देशों के बंदरगाहों को एक नए रूट से जोड़ा जाएगा।

इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ मिलकर भारत सासेक यानी साउथ एशियन सब रीजनल इकोनोमिक कोऑपरेशन कॉरिडोर परियोजना पर भी काम कर रहा है। जाहिर है कि भारत क्षेत्रीय स्तर पर चीन को हावी न होने देने की दिशा में उपलब्ध विकल्पों के अनुसार काम कर रहा है जिसके नतीजे भविष्य में दिख सकते हैं।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल में चीन के प्रति देश के रक्षात्मक रुख में कुछ परिवर्तन अवश्य आया है, परंतु अभी आवश्यकता है कि इसे और अधिक सुस्पष्ट और सुनियोजित ढंग से आक्रामक रूप दिया जाए। स्पष्ट दृष्टि और ठोस रणनीति के बिना चीन का मुकाबला नहीं किया जा सकता।

(Adapted from Jagran.com)

9. India not to participate in belt and road forum- बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार करेगा भारत (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा नहीं लेने का संकेत दिया है। भारत का कहना है कि कोई भी देश ऐसी किसी पहल का हिस्सा नहीं बन सकता, जिसमें संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ी उसकी चिंताओं की अनदेखी हो। विवादित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के मुद्दे पर विरोध जताते हुए भारत ने 2017 में हुए पहले बेल्ट एंड रोड फोरम (बीआरएफ) का भी बहिष्कार किया था।

हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि अगले महीने आयोजित होने जा रहा बीआरएफ का दूसरा संस्करण पहले से भव्य होगा। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी हिस्सा लेंगे। भारत सीपीईसी परियोजना को लेकर बीआरएफ का बहिष्कार करता रहा है। सीपीईसी के अंतर्गत चीन अपने शिनिजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ेगा। इसके तहत सड़क, रेल, गैस और तेल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यह गलियारा गुलाम कश्मीर से होकर गुजरेगा। भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा, 'कनेक्टिविटी की हर पहल इस तरह की होनी चाहिए जिसमें सभी देशों की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखा जाए।

कोई देश ऐसी पहल का हिस्सा नहीं बन सकता, जहां इन हितों की अनदेखी हो।' मिस्री ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआइ) पर भारत का रुख स्पष्ट है। अमेरिका समेत कई अन्य देशों ने भी इस परियोजना पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस परियोजना के चलते कई छोटे देश कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। चीन द्वारा श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर लिए जाने के बाद से यह चिंता और बढ़ गई है।

बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव में शामिल होगा इटली

अमेरिका और सहयोगियों की आपत्ति के बावजूद इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव में शामिल होने की बात कही है। कोंटे ने संसद में बताया कि इस हफ्ते चीन के प्रधानमंत्री ली कछ्यांग के इटली दौरे पर इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर होगा। उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिहाज से इसे जरूरी कदम बताया। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी इटली के दौरे पर पहुंच रहे हैं।

(Adapted from Jagran.com)

10. India-Sri Lanka joint millitary exercise- भारत - श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति - 6 का पूर्वावलोकन (प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्र-II के लिए प्रासंगिक; अंतरराष्ट्रीय संबंध)

मित्र शक्ति अभ्यास को सैनिक कूटनीति और भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य बातचीत के एक हिस्से के रूप में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। वर्ष 2018-19 के लिये यह संयुक्त अभ्यास 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 तक श्रीलंका में आयोजित किया जायेगा। भारतीय सेना की पहली बटालियन बिहार रेजीमेंट की टुकड़ियां संयुक्त रूप से इस अभ्यास में भाग लेंगी।

इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के मध्य घनिष्ठ संबंधों को स्थापित और बढ़ावा देना तथा कमान के तहत दोनों देशों के सैनिक दस्तों की संयुक्त अभ्यास कमांडर योग्यता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में संयुक्त राष्ट्र आदेश के तहत अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह की रोकथाम और आतंकवादी माहौल का मुकाबला करने के लिये युक्तिपूर्ण परिचालनों को शामिल किया जायेगा। मित्र शक्ति-6 अभ्यास दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने का लंबा रास्ता तय करेगा तथा दोनों देशों की सेनाओं के बीच जमीनी स्तर पर समावेश और सहयोग बढ़ाने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

(Adapted From PIB)

विविध विषय

1. प्रधानमंत्री कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान करेंगे (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

प्रधानमंत्री वर्ष 2016, 2017 और 2018 के लिए विजेताओं को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए।

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक-निदेशक डॉ. शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।

पुरस्कार के बारे में

शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार वार्षिक रूप से वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर) द्वारा उल्लेखनीय एवं असाधारण अनुसंधान, अपलाइड या मूलभूत श्रेणी के जीववैज्ञानिक, रासायनिक, पार्थिव, पर्यावरणीय, सागरीय एवं ग्रहीय, अभियांत्रिक, गणितीय, चिकित्सा एवं भौतिक विज्ञान के क्षेत्रों में दिये जाते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञाण एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं असाधारण भारतीय प्रतिभाके धनियों को उजागर करना है। यह पुरस्कार सी एस आई आर के प्रथम एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागरके सम्माण में दिया जाता है।

(Adapted from PIB)

2. नाइजीरिया के राष्ट्रपति बुहारी ने फिर जीता चुनाव (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मद बुहारी चुनाव जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने में सफल रहे। देश के स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग (आइएनईसी) के अध्यक्ष महमूद याकुबू ने 2015 से सत्ता पर काबिज बुहारी की जीत की घोषणा कर दी है। 23 फरवरी को हुए राष्ट्रपति चुनाव में बुहारी को 56 फीसद वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी और पूर्व उपराष्ट्रपति अतिकु अबूबकर को 41 फीसद वोट से संतोष करना पड़ा।

केवल एक राज्य के परिणाम घोषित करने के बाद बुहारी (76) अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अबूबकर से 40 लाख मतों से आगे निकल गए थे। इसके कारण उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी का जीत पाना असंभव हो गया था।

नाइजीरिया के बारे में

अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया में इस चुनाव के बाद बुहारी पर आर्थिक मंदी और आतंकियों से निपटने का दबाव रहेगा। जीत के बाद अपनी आल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुखातिब बुहारी ने कहा कि वह समस्याओं से निपटने की दिशा में काम करेंगे। पूर्व सैन्य शासक रहे बुहारी ने भ्रष्टाचार मिटाने को अपनी प्राथमिकता बताया। हिंसा और अन्य तकनीकी खामियों के कारण कई बार टलने के बाद बीते शनिवार को देश में चुनाव कराया गया था। मतदान के दिन से भड़की हिंसा में अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है।

(Adapted from Jagran.com)

3. भारत-बांग्लादेश के संयुक्त सैन्य अभ्यास-'सम्प्रीति-2019' (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग, मेलजोल और सौहार्द बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त सैन्य अभ्यास 'सम्प्रीति-2019' रविवार को आगाज हुआ। 'सम्प्रीति 2019' बांग्लादेश के तंगेल में आयोजित किया जा रहा है, जो 15 मार्च तक चलेगा। दोनों देशों के मध्य यह 8वां युद्धाभ्यास है।

रक्षा मंत्रलय ने एक बयान में बताया कि यह अभ्यास भारत-बांग्लादेश रक्षा सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्रलय के मुताबिक, इस अभ्यास का बांग्लादेश के बंगबंधु छावनी में रविवार को धमाकेदार आगाज हुआ। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश सेना की एक कंपनी और भारतीय सेना की भी बराबर संख्या वाली कंपनी दो सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग ले रही हैं। अभ्यास में उग्रवाद व आतंकवाद का मुकाबला करने और आपदा प्रबंधन के लिए नागरिक अधिकारियों को सहायता देने में उनके सामरिक और तकनीकी कौशल को देखा जाएगा।

ये बटालियन ले रही हैं हिस्सा : बयान में कहा गया है, 'अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर और संयुक्त सामरिक अभ्यास के माध्यम से आपसी सहयोग और सौहार्द को बढ़ाना

है।' इस अभ्यास में बांग्लादेश की 36 पूर्वी बटालियन व भारत की 9वीं राजपूताना राइफल्स बटालियन हिस्सा ले रही हैं।

(Adapted from Jagran.com)

4. भारतवंशी मेधा बनीं अमेरिकी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

अमेरिका में भारतीय मूल के लोग अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते रहे हैं। अब भारतीय मूल की मेधा नारवेकर को पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष और सचिव नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित वार्टन स्कूल से एमबीए मेधा एक जुलाई को यह पद संभालेंगी।

मेधा पिछले 32 साल से पेंसिलवेनिया यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट एंड एलुमनी रिलेशंस (डीएआर) विभाग में कार्यरत हैं। वह डीएआर में वरिष्ठ सहायक उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुकी हैं। मेधा ने 1981 में स्वार्थमोर यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री और 1986 में व्हार्टन से एमबीए की उपाधि प्राप्त की थी। यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष एमी गुटमैन ने कहा, मेधा ने यूनिवर्सिटी में विभिन्न पदों पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद भी वह डीएआर की वरिष्ठ सदस्य बनी रहकर सहयोग करती रहेंगी। इसमें यूनिवर्सिटी को आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए फंड जुटाने का अभियान भी शामिल है। बकौल गुटमैन, पेंसिलवेनिया में मेधा काफी प्रसिद्ध हैं और लोग उन्हें सम्मान देते हैं।

(Adapted from Jagran.com)

5. प्रयागराज कुंभ मेला 2019 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

प्रयागराज कुंभ मेला 2019 को तीन क्षेत्रों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है। इसमें सबसे बड़ी यातायात और भीड़ प्रबंधन योजना, पेंट माई सिटी योजना के तहत सार्वजनिक स्थलों पर सबसे बड़ी पेंटिंग और सबसे बड़ा स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र शामिल हैं। इस उद्देश्य से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तीन सदस्यों वाली एक टीम ने प्रयागराज का दौरा किया। 28 फरवरी से 3 मार्च तक तीन दिनों तक इस टीम के सदस्यों के सामने बड़े पैमाने पर अभ्यास किया गया था।
छह मुख्य स्नान पर्वों में से महाशिवरात्रि का केवल एक स्नान पर्व बचा हुआ है। कुंभ के पांच स्नान पर्वों का 22 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के पवित्र स्नान के सफल समापन हुआ।

(Adapted from PIB)

6. Forbes List 2019: भारत में मुकेश अंबानी, तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स बने अमेजन सीईओ जेफ बेजोस (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

दुनिया के सबसे अमीर लोग

इस सूची में जेफ बेजोस इस बार भी पहले स्थान पर काबिज रहे हैं। फोर्ब्स ने कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेज़ॅन के संस्थापक, 55 वर्षीय जेफ बेजोस इस सूची में पहले स्थान पर बरकरार हैं। बेजोस की संपत्ति पिछले एक साल में 19 अरब डॉलर बढ़कर 131 अरब डालर हो गई। उनके बाद बिल गेट्स और वारेन बफेट का स्थान है।

भारत के सबसे अमीर लोग

मुकेश अंबानी (61 वर्ष) की संपत्ति 2018 में 40.1 अरब डॉलर थी जो कि बढ़कर 50 अरब डालर पर पहुंच गई है। दुनिया के अमीरों में पिछले साल वह 19 वें स्थान पर थे और इस साल वह छह स्थान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर आ गये हैं।

इससे पहले 2017 की फोर्ब्स पत्रिका की अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान 33वां था। फोर्ब्स की सूची में शामिल भारत के 106 अरबपतियों में मुकेश अंबानी सबसे आगे हैं। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी 22.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ इस सूची में 36 वें स्थान पर हैं।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एचसीएल के सह-संस्थापक शिव नाडर 82वें और आर्सेलर मित्तल के चेयरमैन और सीईओ लक्ष्मी मित्तल 91वें स्थान पर रहे। ये सभी दुनिया के शीर्ष - 100 अरबपतियों में शामिल हैं। वैश्विक अरबपतियों की सूची में भारत के आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला (122वें स्थान), अदानी समूह के अध्यक्ष और संस्थापक गौतम अडानी (167वें), भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल (244 वां स्थान), उपभोक्ता सामान कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक आचार्य बालकृष्ण (365वें), पीरामल एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष अजय पीरामल (436वेंस्थान), बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ (617वें स्थान), इंफोसिस के सह-संस्थापक एन आर नारायणमूर्ति (962वें स्थान) और आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी (1349वें स्थान) का नाम शामिल है।

फोर्ब्स का 33 संस्करण

फोर्ब्स के इस 33वें सालाना रैंकिंग वाली सूची में 2,153 अरब पतियों के नाम है जबकि 2018 में इससे अधिक 2,208 लोगों के नाम थे। इस साल के अरबपतियों की कुल सुपत्ति 8,700 अरब डालर रही है जबकि 2018 में उनकी कुल संपत्ति 9,100 अरब डालर थी।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

7. Google ने बच्चों के लिए भारत में लॉन्च किया BOLO ऐप (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

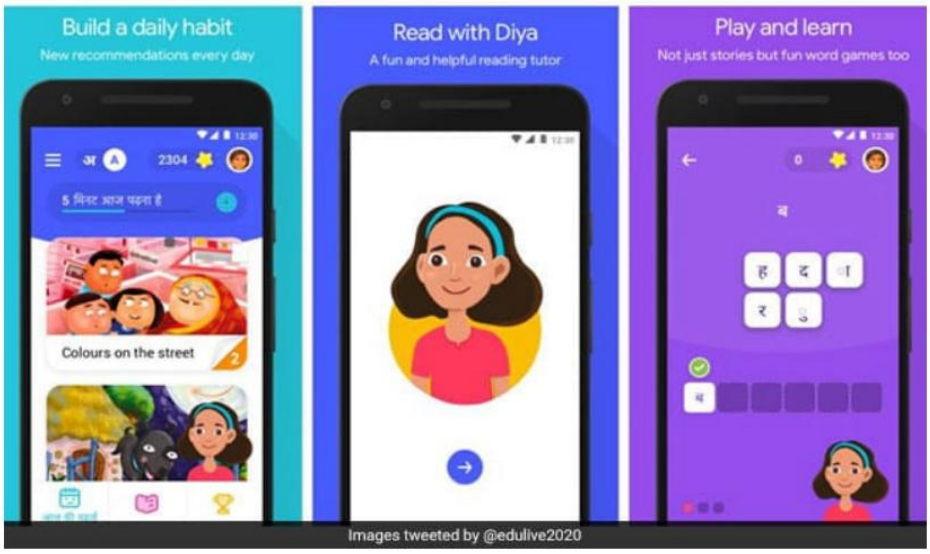

गूगल ने एक नये एप 'बोलो' (Bolo) की लॉन्च किया है। ये ऐप प्राथमिक कक्षा के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा। कंपनी ने कहा कि यह ऐप आवाज पहचानने की तकनीक तथा टेक्स्ट-टू-स्पीच तकनीक पर आधारित है। इसे सबसे पहले भारत में पेश किया गया है।

कंपनी ने बताया कि इसमें एक एनिमेटेड कैरेक्टर दीया है जो बच्चों को कहानियां पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और किसी शब्द का उच्चारण करने में दिक्कत आने पर बच्चों की मदद करती है। यह कहानी पूरा करने पर बच्चों का मनोबल भी बढ़ाती है।

गूगल इंडिया के उत्पाद प्रबंधक नितिन कश्यप ने कहा, "हमने इस एप को इस तरह डिज़ाइन किया है कि यह ऑफलाइन भी काम कर सके। इसके लिए बस 50 एमबी के इस एप को इंस्टॉल करना होगा। इसमें हिंदी और अंग्रेजी की करीब 100 कहानियां हैं।"

(Adapted from NDTV.Khabar.com)

8. अमेरिकी मॉडल काइली जेनर बनीं दुनिया की सबसे युवा अरबपति (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

अमेरिकी मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार काइली जेनर दुनिया की सबसे युवा अरबपति बन गई हैं। प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी दुनियाभर के अरबपतियों की सूची में 21 साल की काइली को भी जगह मिली है। काइली ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग से सबसे कम उम्र के अरबपति का खिताब छीना है। मार्क 23 साल की उम्र में अरबपति बने थे। काइली की तीन साल पुरानी कंपनी काइली कॉस्मेटिक ने पिछले साल 36 करोड़ डॉलर (करीब दो हजार करोड़ रुपये) का कारोबार किया। 90 करोड़ डॉलर (करीब छह हजार करोड़ रुपये) की कुल पूंजी वाली इस कंपनी के सभी शेयर काइली के पास हैं। फोर्ब्स सूची में अपना नाम शामिल होने पर काइली ने कहा, 'मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैं भविष्य नहीं देख सकती। सबसे कम उम्र की अरबपति बनने पर मुझे बेहद खुशी है। इसे मैं अपनी शाबाशी मान रही हूं।'

अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हैं सबसे अमीर

फोर्ब्स सूची के अनुसार, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन के मालिक जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनके पास 131 अरब डॉलर (करीब नौ लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति है। पिछले साल के मुकाबले इसमें 19 अरब डॉलर (करीब एक लाख करोड़ रुपये) का इजाफा हुआ है।

सूची में शामिल सभी अरबपतियों की कुल संपत्ति 9.1 लाख करोड़ डॉलर (करीब 642 लाख करोड़ रुपये) से घटकर 8.7 लाख करोड़ डॉलर (करीब 614 लाख करोड़ रुपये) रह गई है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति भी घटी है।

(Adapted from Jagran.com)

9. इथोपियन एयरलाइंस हादसा, मृतकों में यूएनडीपी सलाहकार शिखा गर्ग समेत चार भारतीय (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इथोपियन एयरलाइंस विमान हादसे में मारे गए लोगों में पर्यावरण मंत्रालय से सम्बद्ध यूएनडीपी की एक सलाहकार सहित चार भारतीय शामिल हैं। बोइंग 737 ने रविवार सुबह नैरोबी जाने के लिए अदीस अबाबा से उड़ान भरी लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार 149 यात्रियों और चालक दल के आठ सदस्यों की मौत हो गई। इनमें सैलानी, कारोबारी और भारतीय पर्यावरण मंत्रालय से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सलाहकार शिखा गर्ग भी शामिल थीं, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की बैठक में हिस्सा लेने जा रही थी

(Adapted from Jagran.com)

10. अब जॉब बदलने के साथ पीएफ अकाउंट ट्रांसफर का झंझट नहीं (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ग्राहकों को अब नौकरी बदलने के बाद हर बार पीएफ खाता ट्रांसफर करने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। श्रम मंत्रलय के एक अधिकारी के मुताबिक इस वर्ष अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष से यह पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। अधिकारी ने कहा, 'नौकरी बदलने के साथ ईपीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो, इसकी फिलहाल पायलट टेस्टिंग हो रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि सभी सब्सक्राइबर के लिए यह सुविधा अगले वित्त वर्ष में कभी भी शुरू की जा सकती है।'

अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ ने पेपरलेस ऑर्गनाइजेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सी-डैक को जिम्मेदारी दी है कि वह संगठन के ऑपरेटिंग सिस्टम का अध्ययन करे। वर्तमान में संगठन का लगभग 80 फीसद काम ऑनलाइन हो रहा है। नौकरी बदलने पर ईपीएफ अकाउंट का ऑनलाइन टांसफर ऐसी प्रक्रिया है, जो इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी।

अभी क्या होता है

वर्तमान में ईपीएफओ के सभी सब्सक्राइबरों को नौकरी बदलने के साथ ही अपना पीएफ फाइल ट्रांसफर करना पड़ता है। यह काम उन्हें भी करना होता है जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर

(यूएएन) है। असल में यूएएन की परिकल्पना ही इसलिए की गई थी कि सब्सक्राइबरों को नौकरी बदलने के साथ हर बार पीएफ अकाउंट नंबर नहीं बदलना पड़े। लेकिन अभी तक हो यह रहा है कि नौकरी बदलने के बाद ईपीएफ ग्राहक अपना यूएएन नई कंपनी को दे देता है, जो ईपीएफ अंशदान उस यूएएन में हस्तांतरित करने लगती है।

(Adapted from Jagran.com)

11. भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागाह-2019 (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

भारत-ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागाह III 2019 आज सवेरे शानदार समारोह के साथ जबल रेजिमेंट, निजवा, ओमान में प्रारंभ हुआ। भारतीय सेना और ओमान की रॉयल सेना (आरएओ) के संयुक्त अभ्यास समारोह में दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए और दोनों देशों के सैनिक ओमान तथा भारत के बढ़ते सैन्य सहयोग, सहकार्य और दोनों देशों के बीच समझदारी का संकेत देते हुए एक-दूसरे के साथ खड़े दिखे।

ओमान के दस्ते का नेतृत्व वहां की रॉयल सेना के जबल रेजिमेंट ने किया, जबकि भारतीय सेना का नेतृत्व गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की दसवीं बटालियन की टुकड़ी द्वारा किया गया। जबल रेजिमेंट के सेकेंड-इन-कमान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अल सइदी द्वारा भारतीय सैनिकों का स्वागत किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि दोनों देश स्वतंत्रता, समानता और न्याय में साझा विश्वास करते हैं। शानदार समारोह में दोनों देशों के सैन्य संगठन की जानकारी और कंट्री प्रेजेंटेशन किया गया।

भारतीय सेना और आरएओ दस्तों का चयन विशेषज्ञता और पेशेवर दक्षता के आधार पर अभ्यास के लिए किया गया है। दो सप्ताह के लम्बे अभ्यास में दोनों देश के सैनिक संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अंतर्गत पर्वतीय इलाकों में संयुक्त रूप से आतंकवाद विरोधी कार्रवाईयों में अपनी निपुणता और तकनीकी कौशल दिखाएंगे। संयुक्त अभ्यास में सैनिकों को एक-दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के काम पर जोर दिया जाएगा, क्योंकि यह संयुक्त अभ्यास की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। संभावित खतरों को समाप्त करने के लिए दोनों देश के सैनिक अति-विकसित निपुणता ड्रील के लिए संयुक्त प्रशिक्षण और नियोजन का कार्य करेंगे। दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा पारस्परिक लाभ के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अल नागाह-2019 दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझदारी और सम्मान बढ़ाएगा और आतंकवाद की विश्वव्यापी समस्या से निपटने में सहायक होगा।

12. मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के पास फुटओवर ब्रिज गिरा, 6 की मौत, 30 से अधिक घायल (प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रासंगिक)

मुंबई : मुंबई (Mumbai) के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (Chhatrapati Shivaji Terminus) के पास फुटओवर ब्रिज (Bridge Collapse) हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को सेंट जॉर्ज अस्पताल और जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिन लोगों ने हादसा करीब से देखा, वह बताते हैं कि पहले कुछ कंपन हुआ और फिर ज़ोर की आवाज़ के साथ पुल का हिस्सा गिर पड़ा। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने बताया कि यह ब्रिज (Mumbai Foot Overbridge Collapse) 'टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग (Times Of India Building) और सीएसटी (CST) स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक को बीटी लेन से जोड़ता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। घायलों के इलाज का खर्च भी राज्य सरकार ही वहन करेगी।

मुंबई में हुए फुटओवर ब्रिज हादसे से जुड़ी 10 खास बातें

1. शाम 7:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बाहर एक फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया। शाम के समय जब भीड़ अपने चरम पर होती है, तब ये हादसा हुआ। पहले ख़बर आई कि हादसे में बस कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन जैसा होता है, धीरे-धीरे त्रासदी की पूरी तस्वीर खुली। पता चला, 6 लोगों की मौत हो गई है और 30 से अधिक लोग घायल हैं।

2. हादसे के चश्मदीद के मुताबिक इस पुल पर मरम्मत का काम आज सुबह भी हो रहा था, बावजूद इसको बंद नहीं किया गया और लोग इससे गुजरते गए। 1984 में बने इस पुल को लाखों लोग रोज इस्तेमाल करते हैं।

3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई में फुटओवर ब्रिज हादसे में लोगों की जान जाने से बेहद आहत हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। '

4. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में टीओआई बिल्डिंग के पास हुए फुटओवर हादसे की खबर सुनकर दुखी हूं। बीएमसी कमिश्नर और मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात की और उन्हें रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर तेजी से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं।

5. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की। घायलों के इलाज का खर्च भी राज्य सरकार ही वहन करेगी।

6. बचाव और राहत टीमों ने मलबे को हटा दिया है। सभी घायलों को पास के सेंट जॉर्ज अस्पताल और जीटी अस्पताल पहुंचाया गया है। घायलों में कम से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

7. राष्ट्रीय आपदा राहत बल (NDRF) की एक टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। एनडीआरएफ ने शुरुआत में कहा था कि 10-12 लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है, लेकिन पुलिस ने बाद में स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं था।

8. मृतकों में से दो महिलाएं शामिल हैं जो जीटी अस्पताल में काम करती थी, जहां 10 घायल लोगों को इलाज के लिए भेजा गया है।10 अन्य लोगों को सेंट जॉर्ज अस्पताल ले जाया गया है।

9. महाराष्ट्र के मंत्री विनोद तावड़े ने कहा, 'पुल खराब स्थिति में नहीं था, इसके लिए मामूली मरम्मत की आवश्यकता थी, जिसके लिए काम चल रहा था। काम पूरा होने तक इसे बंद नहीं किया गया था। इसकी भी जांच की जाएगी।

10.1984 में बना यह ओवरब्रिज CST रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से टाइम्स ऑफ इंडिया की इमारत को जोड़ता है। क्षेत्र में यातायात प्रभावित हुआ है। मुंबई पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने के लिए कहा है।

(Adapted from Khabar.ndtv.com)

13. नहीं रहे गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर, लंबी बीमारी के बाद 63 साल की उम्र में हुआ निधन (केवल जानकारी के लिए पढ़ें)

गोवा (Goa) के मुख्यमंत्री मनोहर परिकर (Manohar Parrikar) का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। मनोहर परिकर (Manohar parrikar death) अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

इससे पहले गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय (Goa CMO) ने बयान जारी कर मनोहर परिकर (Manohar Parrikar News) के स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब होने की जानकारी दी थी। गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट कर बताया गया था कि, 'मुख्यमंत्री मनोहर परिकर की हालत बेहद गंभीर है।

परिकर के जीवन के बारे में

परिकर के परिवार में दो पुत्र और उनका परिवार है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का निधन रविवार शाम छह बजकर चालीस मिनट पर हुआ। पिछले एक साल से बीमार चल रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता का स्वास्थ्य दो दिन पहले बहुत बिगड़ गया था। सूत्रों ने बताया कि पूर्व रक्षा मंत्री परिकर शनिवार देर रात से ही जीवनरक्षक प्रणाली पर थे। परिकर फरवरी 2018 से ही बीमार चल रहे थे।

मनोहर परिकर (Manohar Parrikar) मार्च 2017 में रक्षा मंत्री का पद छोड़कर चौथी बार गोवा के मुख्यमंत्री (Goa CM) बने थे। भारतीय राजनीति में मनोहर परिकर (Manohar Parrikar) की पहचान 'मिस्टर क्लीन' के रूप में होती है। बेहद सरल और बिना तामझाम के जीवन जीने वाले मनोहर परिकर हमेशा जनता से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले मनोहर परिकर का जन्म 13 दिसंबर 1955 के मापुसा में हुआ था। मनोहर परिकर का पूरा नाम मनोहर गोपालकृष्णन प्रभु परिकर (Manohar Gopalkrishna Prabhu Parrikar) है। आमतौर पर कहते हैं कि भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में कम पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं, लेकिन मनोहर परिकर ने 1978 में IIT मुंबई से ग्रेजुएशन किया। मनोहर परिकर भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले वह पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने IIT ग्रेजुएशन किया था।

(Adapted from Ndtv.khabar.com)

14. न्यूजीलैंड मस्जिद गोलीबारी में मारे गये 49 लोगों में केरल की महिला भी शामिल (केवल जानकारी के लिए पढ़ें)

क्राइस्टचर्च आतंकी हमलों में मारे गये 49 लोगों में केरल की एक महिला भी शामिल है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में इसकी पुष्टि की। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अंशी करीप्पकुलम (27) के मौत की पुष्टि हो गई है और उनके परिवार को सूचित कर दिया गया है। अपने फेसबुक पोस्ट में विजयन ने न्यूजीलैंड में आतंकी हमले में मारे गए लोगों में कोडुन्गल्लूर की एक निवासी के शामिल होने की खबर को दुखद बताया।।विजयन ने कहा कि और सूचना लेने के लिए हम नॉन रेसीडेंट केरलाइट्स अफेयर्स डिपार्टमेंट (एनओआरकेए-रूटस) के जरिए दूतावास से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हम परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं।

खबरों के मुताबिक, महिला वहां एक विश्वविद्यालय में एमटेक की पढ़ाई कर रही थी। अंशी का पति कोच्चि का रहने वाला है। वहीं, न्यूजीलैंड गोलीबारी में हैदराबाद के एक निवासी की भी मौत की खबर है। इसका दावा किया है एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन औवैसी का। उन्होंने मौत हो गई : ओवैसी शनिवार रात ट्वीट किया कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि क्राइस्टचर्च हमले में घायल पीड़ितों में से एक फरहाज अहसान की मौत हो गई। उन्होंने आगे लिखा है कि उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और बच्चे हैं। मैं दुख की इस घड़ी में सभी से फरहाज और उनके परिवार के लिए दुआ की अपील करता हूं।

पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर फरहाज पिछले सात साल से न्यूजीलैंड में काम कर रहे थे। फरहाज विवाहित हैं और उनके दो बच्चे हैं। हमले में घायल हैदराबाद के एक अन्य निवासी अहमद इकबाल जहांगीर के बारे में उनके भाई खुर्शीद जहांगीर ने बताया कि वह अस्पताल में हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। खुर्शीद ने कहा कि मुझे न्यूजीलैंड का वीजा दिलाने में मदद करने के लिए मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं। मैं अब अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। वह खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

(Adapted from ndtv.khabar.com)

15. Sawant to be next Goa CM, there will be two deputy CMs- सावंत होंगे गोवा के नए सीएम, दो डिप्टी सीएम बनेंगे (केवल जानकारी के लिए पढ़ें)

आयुर्वेद के डॉक्टर भी हैं प्रमोद सावंत

डॉ। प्रमोद सावंत)45) का जन्म 24 अप्रैल, 1973 को हुआ। सैंकलिम विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए डॉ। प्रमोद सावंत का पूरा नाम डॉ। प्रमोद पांडुरंग सावंत है। उनकी मां पद्मिनी सावंत और पिता पांडुरंग सावंत हैं। प्रमोद ने आयुर्वेदिक चिकित्सा में महाराष्ट्र के कोल्हापुर की गंगा एजुकेशन सोसायटी से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद पुणो की तिलक यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उनकी पत्नी सुलक्षणा केमिस्ट्री की शिक्षिका हैं। वह बीकोलिम के श्री शांतादुर्गा हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन करती हैं। साथ ही भाजपा नेत्री भी हैं।

राज्यपाल से मिले कांग्रेस के 14 विधायक

इससे पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता चंद्रकांत कवलेकर ने पार्टी के सभी 14 विधायकों के साथ राज्यपाल मृदुला सिन्हा से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। शुक्रवार और रविवार को भी कांग्रेस ने भाजपा सरकार के अल्पमत में आने का दावा करते हुए कांग्रेस का दावा पेश किया था। कांग्रेस सबसे बड़े दल के नाते सरकार बनाने का दावा कर रही है।

(Adapted from Jagran।com)

16. Number of Political parties in India-देश में अब हैं कुल 2293 राजनीतिक दल (केवल जानकारी के लिए पढ़ें)

2019 में होने वाले आम चुनावों से पहले देश में कुल 2,293 राजनीतिक दल बन चुके हैं। इन छोटे-बड़े दलों में दिल्ली से पंजीकृत 'सबसे बड़ी पार्टी', तेलंगाना से 'भरोसा पार्टी' और जयपुर से 'राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी' जैसे कई दल पंजीकृत किए गए हैं। इसमें से सात मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और 59 मान्यताप्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियां हैं।

आम तौर पर चुनाव आने से पहले दलों के पंजीकरण का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले ढेर सारे राजनीतिक दलों ने पंजीकरण के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। इस साल ही महज फरवरी और मार्च के बीच 149 राजनीतिक दलों ने आयोग में अपना पंजीकरण करवाया है। इस साल फरवरी तक ही देश में केवल 2,143 पार्टियां थीं। राजनीतिक दलों के पंजीकरण का यह सिलसिला लोकसभा चुनावों की घोषणा के एक दिन पहले, नौ मार्च तक चला।

पिछले साल नवंबर-दिसंबर के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों से पहले 58 राजनीतिक पार्टियों ने अपना पंजीकरण कराया था। हाल-

फिलहाल आयोग में पंजीकरण करने वाली राजनीतिक पार्टियों में 'भरोसा पार्टी', 'राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी' और 'सबसे बड़ी पार्टी' सरीखे राजनीतिक दल शामिल हैं।

बिहार के सीतामढ़ी से 'बहुजन आजाद पार्टी', उत्तर प्रदेश के कानपुर से 'सामूहिक एकता पार्टी' और तमिलनाडु के कोयंबटूर से 'न्यू जेनरेशन पीपुल्स पार्टी' ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि ये पंजीकृत, लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं। उनका अपना कोई तय विशिष्ट चुनाव चिह्न् नहीं होता है जिस पर ये चुनाव लड़ सकें। उन्हें चुनाव आयोग से जारी 'मुक्त चुनाव चिह्नें' में से चुनना होगा। आयोग के नवीनतम सकरुलर के अनुसार ऐसे 84 चुनाव चिह्न् हैं। इन पार्टियों के उम्मीदवारों को हर चुनाव क्षेत्र में अलग-अलग चुनाव चिह्नें पर भी लड़ना पड़ सकता है।

(Adapted from Jagran.com)

17. 2 adoloscent girls forcefully converted into Islam in Pakistan- पाकिस्तान में दो हिंदू किशोरियों को अगवा कर जबरन इस्लाम धर्म कुबूल कराया (Read only for understanding)

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय की दो नाबालिग हिंदू बहनों का अपहरण करके उनसे जबरन इस्लाम कुबूल कराया गया और फिर उनका बलपूर्वक निकाह कराया गया है। इसके बाद से सिंध प्रांत में अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

होली की पूर्व संध्या पर घोटकी जिले में इन दोनों लड़कियों रवीना (13) और रीना (15) को उनके घर से उठा लिया गया। इन दोनों हंिदू लड़कियों का अपहरण करने वाले लोग इलाके के दबंग माने जाते हैं। इन दोनों हंिदू लड़कियों के अपहरण के तुरंत बाद एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक मौलवी को उन दोनों का निकाह कराते दिखाया गया है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें इन दोनों नाबालिग हंिदू बहनों को इस्लाम कुबूल करने का दावा करते दिखाया गया है। साथ ही वह यह भी कहती हैं कि निकाह करने के लिए भी उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया है।

हंिदू नेताओं का कहना है कि आरोपित क्षेत्र के कोहबर और मलिक जनजाति के लोग हैं। इस घटना के बाद पाड़ित लड़कियों के भाई ने एफआइआर दर्ज कराई जिसमें उसने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पिता का आरोपितों से कुछ विवाद हो गया। उसके बाद होली से एक दिन पहले वह लोग हथियार लेकर घर में घुसे और उसकी दोनों बहनों को साथ ले गए। बाद में एक वरिष्ठ पुलिस अफसर ने बताया कि एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

इसके बाद पाकिस्तान में हंिदू समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन किए। साथ ही अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को देश में अल्पसंख्यकों से किए वायदों को पूरा करने को कहा। एक गैर सरकारी संगठन पाकिस्तान हंिदू सेवा वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष संजेश धांजा ने इमरान से इस घटना का संज्ञान लेने का आह्वान किया। उन्होंने यह साबित करने को कहा कि अल्पसंख्यक पाक में सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि अल्पसंख्यकों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बंदूक की नोक पर कम उम्र की हंिदू लड़कियों का अपहरण किया जा रहा है। फिर बलपूर्वक उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है। या फिर सिंध प्रांत में उनसे उम्र में काफी बड़े लोगों से उनका निकाह करा दिया जाता है। धनजा ने कहा कि हंिदू समुदाय के लोगों ने जब घोटकी में कई प्रदर्शन किए तब जाकर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

इस बीच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (फंक्शनल) के सांसद ए.नंद कुमार गोकलानी ने सरकार से वह कानून जल्द पास कराने की अपील की जो उन्होंने बलपूर्वक धर्मांतरण रोकने के संबंध में पेश किया था।

(Adapted from Jagran.com)

18. Chinook helicopter added to Indian Airforce- भारतीय वायुसेना में चिनूक हेलीकॉप्टर शामिल (Relevant for GS Prelims)

भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से सीएच 47 एफ (I) चिनूक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2015 में 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों के लिए मेसर्स बोइंग लिमिटेड के साथ समझौता किया था। चार हेलीकॉप्टरों की पहली खेप समय पर उपलब्ध करा दी गयी थी। अंतिम खेप अगले वर्ष मार्च तक पहुंच जाएगी। इन हेलीकॉप्टरों को भारत के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।

(Adapted from PIB)

19. Naresh Goyal resigned from Jet Airways board of directors- जेट एयरवेज के चेरयमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी ने कंपनी के निदेशक मंडल से दिया इस्तीफा (Relevant for GS Prelims)

मुश्किलों में घिरी एयरलाइंस जेट एयरवेज (Jet Airways) के संस्थापक एवं चेयरमैन नरेश गोयल (Naresh Goyal), उनकी पत्नी अनीता गोयल कंपनी के निदेशक मंडल से हटेंगे।

कंपनी ने कहा कि उसे बैंकों से तत्काल 1,500 करोड़ रुपये का वित्तपोषण मिलेगा। बैंक इस एवज में कंपनी के निदेशक मंडल में दो सदस्यों को नामित करेंगे और एयरलाइन के दैनिक परिचालन के लिये अंतरिम प्रबंधन समिति बनायी जाएगी। अबू धाबी स्थित एतिहाद की जेट एयरवेज में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। नरेश गोयल अब कंपनी के चेयरमैन भी नहीं रहेंगे। कंपनी के 80 से अधिक विमान परिचालन से बाहर हो चुके हैं। इनमें से 54 विमानों को लीज की किस्त नहीं चुका पाने के कारण खड़ा कर दिया गया है। कंपनी अप्रैल अंत तक कम से कम 14 अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर उड़ानें भी निलंबित कर चुकी है।

बता दें कि लगातार घाटे में चल रही और नकदी संकट से जूझ रही जेट एयरवेज पिछले चार महीने से कर्मचारियों की सैलरी भी नहीं दे पाई है। पूर्ण विमानन सेवा कंपनी जेट एयरवेज गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। इसकी वजह से उसे अपने कई विमानों को खड़ा करना पड़ा है और साथ ही वह कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा ऋण भुगतान में विलंब कर रही है।

इससे पहले नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी जेट एयरवेज को लेकर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने सोमवार को कहा कि इस मामले में दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया अपनाने से बेहतर परिणाम कंपनी और कर्जदाताओं के बीच बातचीत से सामने आ सकते हैं। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा, "मुझे लगता है कि कर्जदाता और कर्जदार बातचीत कर रहे हैं। यह सबसे अच्छी प्रक्रिया है।" श्रीनिवास इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या जेट एयरवेज दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के लिये एक अनुकूल मामला है। उन्होंने कहा, "यदि कर्जदाताओं और कर्जदारों के बीच बातचीत से बेहतर परिणाम सामने आते हैं तो यह दिवाला एवं ऋणशोधन की प्रक्रिया में जाने से बेहतर होगा, लेकिन यदि दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया ही एकमात्र रास्ता बचा हो तो बैंकों को कदम उठाना होगा।" श्रीनिवास ने आईबीसी को अंतिम उपाय बताते हुए कहा कि यदि कंपनी के भीतर फिर से स्थिति ठीक करने की क्षमता शेष हो तो कंपनी और कर्जदाताओं दोनों के लिये यही बेहतर है कि वे मामले का समाधान निकालने की कोशिश करें। उन्होंने कहा, "यदि कर्जदाताओं और शेयरधारकों के बीच कोई करार नहीं है तब आपको आईबीसी सहित अन्य विकल्पों पर गौर करना होगा।"

स्टेट बैंक की अगुवाई में बैंकों का एक समूह जेट एयरवेज को संकट से उबारने का प्रयास कर रहा है। उनका मानना है कि निजी क्षेत्र की इस एयरलाइन का धाराशायी होना न तो ग्राहकों के लिये और न ही प्रतिस्पर्धा के लिहाज से ठीक होगा। एसबीआई प्रमुख रजनीश कुमार ने बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। जेट एयरवेज अपने केवल एक तिहाई बेड़े का उपयोग कर पा रही है। एयरलाइन कर्ज की किश्तें नहीं चुका पा रही है और पायलटों का वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा है। स्टेट बैंक आफ इंडिया (एसबीआई) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र के साथ बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी।

कुमार ने कहा था कि यह मुलाकात देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन की स्थति के बारे में सरकार को जानकारी देने के लिये थी क्योंकि सरकार भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि यह बैठक प्रोत्साहन पैकेज पर चर्चा के लिये नहीं थी। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा था कि जेट एयरवेज को परिचालन में बनाये रखना कर्जदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हित में है। जेट एयरवेज को ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत ले जाना अंतिम विकल्प है। जेट एयरवेज के ऊपर 8,200 करोड़ रुपये का कर्ज है और उसे मार्च अंत तक 1,700 करोड़ रुपये भुगतान करने हैं। अगर एयरलाइन धाराशायी होती है, 23,000 नौकरियां खतरे में होंगी।

(Adapted from NDTV.khabar.com)

20. Introduction of Chinook in Air force- वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ 'चिनूक')Relevamt for GS Prelims)

19 देशों में इस्तेमाल

अमेरिकी सेनाओं के साथ ब्रिटेन, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, नीदरलैंड्स और ग्रीस सहित दुनिया के 19 देशों की सेनाएं इस भरोसेमंद हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही हैं।

वायुसेना की बढ़ेगी ताकत

चिनूक हेलीकॉप्टर केवल तेजी से उड़ने के लिए ही नहीं जाने जाते बल्कि इसे किसी भी समय उड़ाया जा सकता है। कैसा भी मौसम हो, इसके उड़ान में रोड़ा नहीं बन सकता है। बीहड़ और पहाड़ी स्थानों के लिए ये बहुत उपयुक्त हेलीकॉप्टर माने जाते हैं।

इन कामों को करने में सक्षम

सीएच-47 चिनूक मल्टीमिशन हेवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। इनके द्वारा सैनिकों, हथियारों, युद्धक उपकरणों, गोला बारूद सहित अन्य तमाम तरीके की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। सैन्य ऑपरेशन के अलावा आपदा में राहत और बचाव कार्य में भी इनका प्रभावी इस्तेमाल होता है। इस हेलीकॉप्टर से एम-777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भारतीय फौज को मदद मिलेगी।

खूबियों से लैस

11 टन का अधिकतम पेलोड ले जा सकता है। इसके साथ ही 45 सैनिक भी जा सकते हैं। यहीं नहीं, इन सबके साथ 10 टन का वजन लटकाकर ले जा सकता है।

डिजिटल कॉकपिट

पूरी तरह से एकीकृत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके साथ ही एविएशन आर्किटेक्चर और एडवांस्ड कार्गो हैंडलिंग क्षमताएं भी होती हैं।

2015 में हुआ था करार

सितंबर 2015 में भारत के बोइंग और अमेरिकी सरकार के बीच 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का करार हुआ था। अगस्त 2017 में रक्षा मंत्र लय ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय सेना के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से 4168 करोड़ रुपये की लागत से छह अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, 15 चिनूक भारी मालवाहक हेलीकॉप्टर अन्य हथियार प्रणाली खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान की थी।

(Adapted from Jagran.com)

21. Air India withdrew boarding passes with photo of PM-विवाद के बाद एयर इंडिया ने पीएम की तस्वीर वाले बोर्डिंग पास वापस लिए (जानकारी के लिए पढ़ें)

विवाद के बाद एयर इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तस्वीरों वाले बोर्डिंग पास वापस ले लिए। हाल ही में रेलवे टिकट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर छपी होने को लेकर भी बवाल मच चुका है। गत 20 मार्च को मोदी की फोटो वाले रेलवे टिकटों को वापस लिया गया था, क्योंकि इस बारे में तृणमूल कांग्रेस ने शिकायत की थी।

पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत ने सोमवार को नई दिल्ली हवाई अड्डे से जारी अपने बोडिर्ंग पास की तस्वीर ट्वीट करते हुए सवाल पूछा कि दोनों नेताओं की तस्वीरें इस पर कैसे हो सकती हैं? उन्होंने ट्वीट किया, '25 मार्च 2019 को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर मेरे एयर इंडिया के बोडिर्ंग पास में नरेंद्र मोदी, वाइब्रेंट गुजरात और विजय रूपाणी की तस्वीरें हैंहैरानी हो रही है .. कि हम इस निर्वाचन आयोग पर पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं जो न देखता है, न सुनता है और न ही बोलता है।'

एयर इंडिया द्वारा सफाई

एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय कुमार का कहना था कि ये बोडिर्ंग पास वही हैं जो जनवरी में हुए वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के दौरान छपे थे। तस्वीरें तीसरे पक्ष के विज्ञापनों का हिस्सा हैं। इसका एयर इंडिया से कोई लेनादेना नहीं है। इन पर आपत्ति उठाना गलत है। ये बोडिर्ंग पास न केवल गुजरात, बल्कि पूरे भारत के लिए हैं। हालांकि, देर रात संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए सारी सरकारी मशीनरियां सक्रिय हो गईं और तत्काल प्रभाव से बोर्डिंग पास वापस ले लिए गए।

(Adapted from Jagran.com)

22. Coffee Board launched blockchain based e-market place- कॉफी बोर्ड ने ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्किटप्लेस का आरंभ किया (Relevant for GS Prelims)

कॉफी बोर्ड ने ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्किटप्लेस का आरंभ किया। परियोजना से किसानों को बाजारों के साथ पारदर्शी ढंग से जोड़ने में मदद मिलेगी और कॉफी उत्पादकों को उचित मूल्य की प्राप्ति होगी। ब्लॉकचेन से कॉफी उत्पादकों और खरीदारों के बीच की परतें कम होंगी और किसानों को अपनी आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।

भारतीय कॉफी क्यों खास है?

भारत दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जहां कॉफी छाया में उगाई जाती है, उसे हाथ से तोड़ा जाता है और धूप में सुखाया जाता है। यहां उगायी जाने वाली कॉफी दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी में शुमार है। कॉफी छोटे उत्पादकों, दुनिया के जैवविविधता दो प्रमुख वाले क्षेत्रों - पश्चिमी और पूर्वी घाटों में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारणयों से सटे इलाकों के जनजातीय किसानों द्वारा उगायी जाती है। विश्व बाजार में भारतीय कॉफी की बहुत मांग है और यह प्रीमियम कॉफी के रूप में बेची जाती है। लेकिन बदले में किसानों को बहुत कम आमदनी होती है।

भारतीय कॉफी की ट्रेडिंग के लिए ब्लॉकचेन आधारित मार्किटप्लेस ऐप का उद्देश्य भारतीय कॉफी के व्यापार में पारदर्शिता लाना है। इस पहल से भारतीय कॉफी की ब्रैंड इमेज तैयार करने में मदद मिलेगी और खरीदारों तक सीधी पहुंच कायम होने से कॉफी उत्पादकों की बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

23. Facebook's candidate connect feature launched on account of elections- चुनाव के लिए फेसबुक ने लांच किया 'कैंडीडेट कनेक्ट' फीचर (Read only for understanding)

फेसबुक ने एक नया फीचर 'कैंडीडेट कनेक्ट' लांच किया है। इसके माध्यम से लोकसभा उम्मीदवार महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचारों से संबंधित 20 सेकेंड का वीडियो बनाकर मतदाताओं से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 'शेयर यू वोटेड' टैग करने के बाद फेसबुक संबंधित लोगों को मतदान की तारीखों का रिमाइंडर भी भेजेगा।

सोशल मीडिया कंपनी के सिविक इंटीग्रिटी के प्रोडक्ट मैनेजर समीद चक्रवर्ती ने कहा, 'लोगों को अत्यधिक जानकारी उपलब्ध कराकर हम इस चुनाव में बड़ा योगदान दे सकते हैं। कैंडीडेट कनेक्ट अनिवार्य रूप से मतदाताओं के लिए विजुअल गाइड की भूमिका निभाएगा।' उन्होंने कहा कि फेसबुक ने फेक अकाउंट और लोगों को गुमराह करने वाले लोगों को हटाने का काम पहले ही शुरू कर दिया है। राजनीतिक विज्ञापनों में भी पारदर्शिता लाने का काम जारी है।

प्रत्याशियों को दिया जाएगा चार प्रश्नों का सेट : उन्होंने बताया कि शोध के आधार पर कैंडीडेट कनेक्ट फीचर लांच किया गया है। इसके माध्यम से लोग अपने प्रत्याशी के विचारों को सीधे सुन सकेंगे। फेसबुक प्रत्याशियों को चार प्रश्नों का एक सेट देगा। प्रत्याशी को प्रत्येक प्रश्न के जवाब में 20 सेकेंड का वीडियो पोस्ट करने की अनुमति होगी। चक्रवर्ती ने कहा कि इस फीचर में केवल लोकसभा प्रत्याशियों के ही वीडियो देखे जा सकेंगे। उम्मीदवारों के नाम के लिए कंपनी एक ऐसे तटस्थ संगठन के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसे चुनाव आयोग से प्रत्याशी सूची जैसी जानकारी मिलती है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के वीडियो उस क्षेत्र के लोगों की टाइमलाइन पर दिखाई देंगे। हालांकि लोग अन्य जिलों के प्रत्याशियों के वीडियो भी देख सकेंगे।

(Adapted from Jagran.com)

24. Five Indian varieties of coffee received GI tag- कॉफी की पांच देसी किस्मों को मिला जीआइ टैग (Relevant for GS Prelims)

जीआइ टैग के फायदे

सरकार ने भारतीय कॉफी की पांच किस्मों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआइ टैग प्रदान कर दिया है। इससे इन किस्मों के उत्पादकों को कॉफी की उचित कीमत मिल सकेगी। जीआइ टैग मिलने के बाद दुनियाभर में कॉफी की इन किस्मों के नामों का दुरुपयोग भी रुकेगा।

जीआइ टैग प्राप्त कॉफी की पांच देसी किस्में

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक कारोबार विभाग (डीपीआइआइटी) ने हाल ही में कर्नाटक की कूर्ग अरैबिका, चिकमगलूर अरैबिका तथा बाबाबुडंगिरिस अरैबिका, केरल की वायनाड रोबस्टा तथा आंध्र प्रदेश की अराकू वैली अरैबिका कॉफी किस्मों को जीआइ टैग प्रदान किया। विभाग ने कहा कि अराकू कॉफी का उत्पादन जनजातीय किसानों द्वारा किया जाता है, जो उत्पादन में जैविक कृषि को बेहद प्रोत्साहित करते हैं। उसी तरह बाबाबुडंगिरिस अरैबिका के कॉफी बीज भी प्राकृतिक रूप से तैयार होते हैं और बेहद खास तरीके से हाथों से चुने जाते हैं। विभाग ने कहा कि भारत में 3.66 लाख किसान 4.54 लाख हेक्टेयर में कॉफी की खेती करते हैं। इनमें 98 फीसद छोटे किसान हैं। कॉफी की खेती में सबसे ज्यादा 54 फीसद हिस्सेदारी अकेले कर्नाटक की है।